खण्ड-204, अंक-2
बुधवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1881
(1 अप्रैल, 1959 ई0)

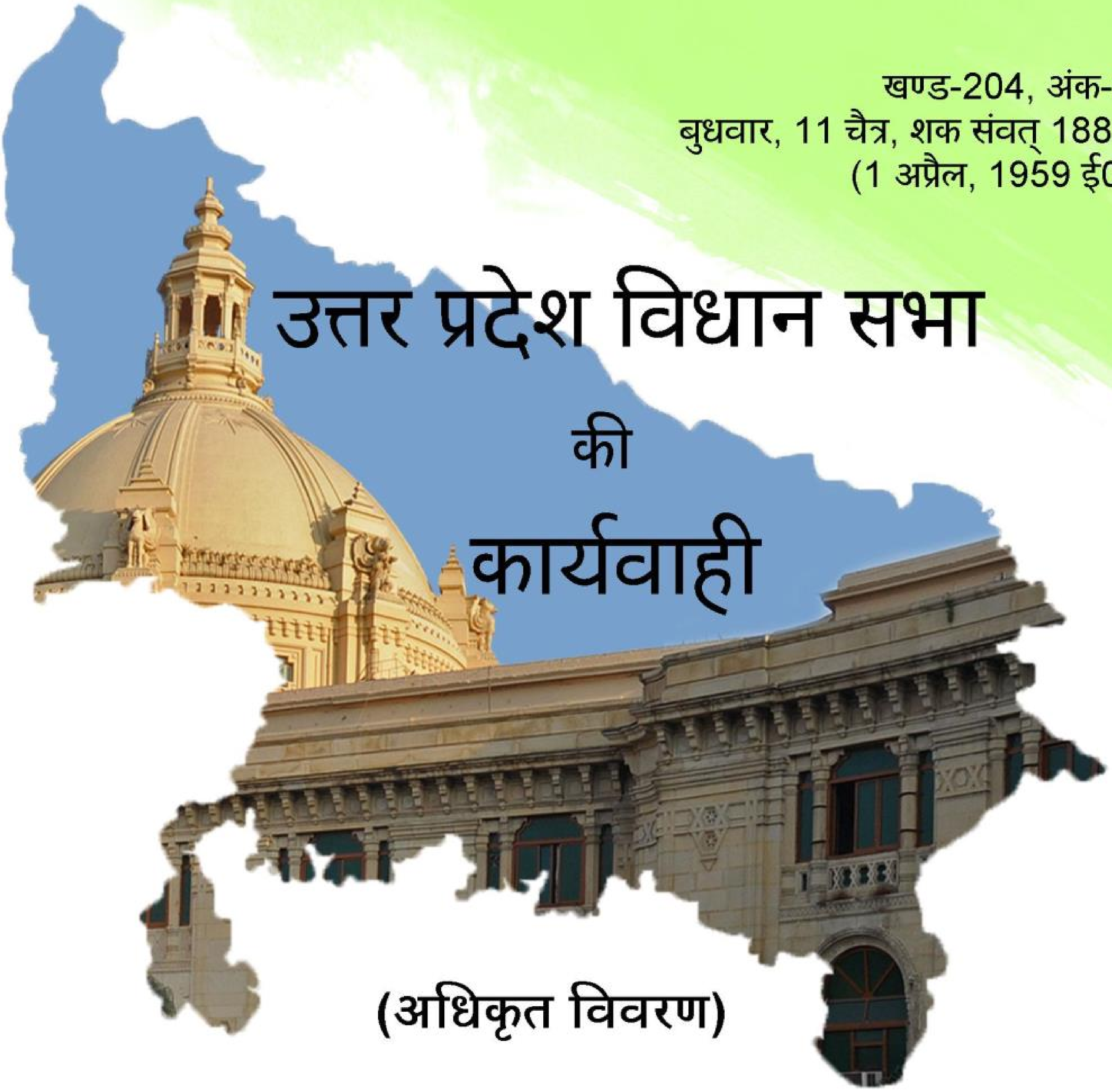

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 204 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १ अप्रैल, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गफूर अली खां, श्री
ग़रीब दास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण अग्रवाल, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्द सिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झ खंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दात राम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दाराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रताप बहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रणबहादुर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूर्मसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिव प्रसाद, श्री (देवरिया)
शिव प्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान अलाम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

[बुधवार, १ अप्रैल, १९५९

तारांकित प्रश्न

जिलेवार महिला कैदी

*१---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अक्तूबर, १९५८ को राज्य में कितनी महिला कैदी (prisoners) थीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---३०७ ।

*२---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितनी राजनैतिक कैदी थीं और कितनी अन्य अपराधों के कारण सजा पायी हुई थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-- ९ महिला बन्दी ऐसी थीं जो खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुई थीं, बाकी २९८ अन्य अपराधों के अन्तर्गत गिरफ्तार हुई थीं।

*३---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी-- क्या सरकार जिलेवार (district-wise) उन कैदियों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-- सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७९ पर)

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी-- क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य से बाहर के कैदियों के लिये जेलों में रहने की व्यवस्था है ? यदि है, तो क्यों।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-- राज्य से बाहर के कैदियों को तो यदि वहां की राज्य सरकारें लिखता हैं तो हम लोग अपने यहां स्थान दे देते हैं, और तो कोई दूसरी व्यवस्था है नहीं।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ महिला कैदी किन कारणों से काश्मीर, करनाल, बिहार, मद्रास, जोधपुर, देहली आदि जगहों से भेजी गईं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य-- इस समय तो मुझे इसके सम्बन्ध में ज्ञान है नहीं। नोटिस दें तो मैं पता लगवाऊं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ९ महिलाओं को खाद्य आन्दोलन में सजा मिली थी, उनकी अधिकतम सजा और न्यूनतम सजा कितनी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ९ महिलाओं के अतिरिक्त ३०७ कैदियों में और कितनी महिलायें कंसन्ट्रेशन जेल्स में हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- इसका कोई वर्गीकरण नहीं है मेरे पास।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन ९ महिलाओं में से या ३०७ महिलाओं में से मथुरा जेल में देवकी नाम की कोई महिला है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुझे तो मालूम नहीं है, श्रीमन्। माननीय सदस्य को मालूम हो तो हो।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ९ महिला खाद्य आंदोलन में गिरफ्तार की गई थीं उन्हें आर्डिनरी क्लास में रक्खा गया या सुपीरियर क्लास में ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसकी भी इस समय सूचना नहीं है मेरे पास।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ९ महिलाओं के नाम और जिले क्या हैं जो कि खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में जेल में बन्द थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस समय तो सूचना नहीं है, श्रीमन्।

आगरा जिले में महिला मंगल योजना चालू करने की प्रार्थना

*४---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में महिला मंगल केन्द्र कहां-कहां पर खोले जा चुके हैं और उनके द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं ?

*५---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर महिला मंगल केन्द्र खोले गये हैं उनमें से ऐसे कितने स्थान कहां-कहां पर हैं जहां भवनों की व्यवस्था नहीं है ? क्या मंत्री ऐसे स्थानों पर भवन निर्माण कराने की शीघ्र व्यवस्था करायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आगरा जिले में महिला मंगल योजना चालू नहीं है। अतः ये प्रश्न नहीं उठते।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में इन केन्द्रों के न खुलने के कारण क्या हैं, और भविष्य में इनके कब तक खुल जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी केवल ३३ जिलों में योजना चालू है और इस वर्ष के बजट में एक जिले के लिये और प्राविधान किया गया है, अभी वह जिला तय नहीं हुआ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---वह कौन-सा जिला है जिसमें महिला मंगल केन्द्र खोलने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने कहा कि यह तय नहीं हुआ है।

*६-७---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले में ऊसर भूमि के लिये तकावी

*८---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सन् १९५३ व १९५४ में कितने लोगों को ५०० रुपये से अधिक धन तकावी के रूप में सरकार द्वारा दिये गये हैं?

*९---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सन् १९५५ व सन् १९५६ ई० में कितने लोगों को ५०० रुपये से अधिक तकावी के रूप में दिये गये हैं?

*१०---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सन् १९५७ व १९५८ ई० में कितने लोगों को ५०० रुपये से अधिक तकावी के रूप में सरकार द्वारा दिये गये हैं?

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---किसी भी व्यक्ति को तकावी नहीं दी गई।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतायेगी कि ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये ५०० रुपये से ऊपर तकावी न दिये जाने के कौन-कौन से कारण हैं?

श्री धर्मसिंह---पहली बात तो किसी ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया और दूसरी बात यह है कि जितने तकावी के नियम हैं उनके आधार पर ऊसर भूमि के लिए तकावी नहीं दी जाती।

जोतों की निर्धारित सीमा पर विधेयक लाने का विचार

*११---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Ceiling on Existing Land Holdings के प्रश्न पर उसने क्या निश्चय किये हैं?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)---सरकार ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं किया है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न पर सरकार ने अब तक क्यों नहीं विचार किया?

श्री चरण सिंह---इसलिये कि सरकार के लिये अब तक लाजमी नहीं था कि विचार जरूर कर ले।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की नजरों में कब तक लाजमी होने का वक्त मुकर्रर किया गया है?

श्री चरणसिंह---सरकार की कोशिश यह है कि इस वर्ष के अन्त तक इस सम्बन्ध में अधिनियम बन जाय। और जैसा कि पहले एक जवाब में सदन के सामने कह दिया गया है कि वर्षाकालीन जो सदन का अधिवेशन होगा उस समय बिल लाने की कोशिश की जायगी।

दोहरीघाट पम्प नहर के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण

*१२---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्पनहर, जिला आजमगढ़ का मुख्य कार्यालय आजमगढ़ जिले से हटाकर बलिया रखने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह--जी हां। दोहरीघाट कैनाल डिवीजन, आजमगढ़, द्वारा किये जाने वाले अधिकांश कार्यों के पूरे हो जाने तथा भविष्य में इस डिवीजन के अधिकतर कार्य बलिया जिले में या उसके आस पास केंद्रित होने के कारण, इस डिवीजन को जिसका मुख्य कार्यालय बलिया में होगा, २८ फरवरी, १९५९ से इर्रीगेशन डिवीजन बलिया के नाम से पुकारने के आदेश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन से काम समाप्त हो चुके हैं जो बलिया में शेष हैं ?

श्री धर्मसिंह--आजमगढ़ जिले में जो मऊ पावर हाउस का काम था जिसमें सिविल कार्य इर्रीगेशन के द्वारा होता था वह पूरा हो चुका है और इसके साथ साथ जो दोहरीघाट कैनाल योजना चल रही थी उसका काम भी पूरा हो चुका है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि यह आफिस हटाने में और बलिया में बिल्डिग वगैरह बनाने में कितना खर्चा सरकार को पड़ेगा ?

श्री धर्मसिंह--बिल्डिग बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। एक डिवीजन तोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि एक जगह काम खत्म हो गया था।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ के कुछ विधायकों ने लिखित प्रार्थना-पत्र दिया था कि इस कार्यालय को न हटाया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र दिया था।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ से मुख्य कार्यालय हटाने के बाद आजमगढ़ में भी इस संबध में कोई और कार्यालय होगा ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन--क्या यह सही है कि अभी दोहरीघाट कैनाल की छोटी उपशाखायें मधुबन आदि हल्कों में नहीं बनी हैं और आजमगढ़ जिले में काम अधूरा है।

श्री धर्मसिंह--थोड़ा बहुत काम रह गया है। अब दूसरे डिवीजन में जाने का मतलब यह नहीं है कि वहां काम नहीं होगी। अवश्य होगा। २,२ जिलों में एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं और वे दोनों जिलों का कार्य देखते हैं और इसलिये वे उस जगह भी काम देखेंगे।

*१३--**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१४-१६--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८० पर।)

*१७-१८--**श्री गौरीशकर राय** (जिला बलिया)--[इक्कीसव बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१९--**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

एम० जी० टेक्निकल स्कूल, हाथरस को अनुदान

*२०--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने एम०जी० टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, हाथरस को उसके आरम्भ काल सन् १९५५ से अब तक कितना रुपया सहायता या अनुदान के रूप में प्रदान किया है ?

श्री धर्म सिंह--२१,१२,००० रुपये।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या विद्युत मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एम० जी० टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, हाथरस को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह--जी है, और उसको ग्रांट-इन-एड भी दी जाती है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति सरकार द्वारा मनोनीत है या अलग से है ?

श्री धर्मसिंह--उस समिति में कुछ लोग सरकार के भी हैं, कुछ लोग वहां के भी हैं। सरकार ने उसको बाद में मनोनीत किया।

इलाहाबाद ब्रांच नहर योजना

*२१--श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद ब्रांच नहर योजना, जिसका प्रारम्भ फतेहपुर जिले में हो गया है, कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह--इलाहाबाद ब्रांच नहर योजना अभी विचाराधीन है परन्तु हठगांव नाम के रजबहे का निर्माण-कार्य अवश्य आरम्भ हो गया है जिसे राम गंगा बांध योजना के स्वीकृत होने पर इलाहाबाद ब्रांच नहर में परिणत कर दिया जायगा। यह आशा की जाती है कि इस रजबहे का निर्माण-कार्य १९६०-६१ में पूर्ण हो जायगा।

*२२--श्री वासुदेव दीक्षित--इलाहाबाद ब्रांच नहर योजना में सन् १९५८-५९ ई० में कितना और सन् १९५९-६० ई० में क्रमशः कितना व्यय हुआ और कितना होने को है ?

श्री धर्मसिंह--इस रजबहा के निर्माण-कार्य पर १९५८-५९ ई० में ८१,००० रुपये और १९५९-६० में ५,६४,००० रुपये व्यय हो जाने का अनुमान है।

श्री वासुदेव दीक्षित--क्या राजस्व मंत्री जी सन् १९५९-६० में अधिक अन्न उपजाओ योजना को दृष्टि में रखकर इस रजबहे की सिंचाई योजना पर पैसा खर्च करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया है कि हठगांव रजबहे पर कार्य हो रहा है और बाकी पर नहीं हो रहा है।

श्री वासुदेव दीक्षित--इस रजबहे पर १९५८-५९ और १९५९-६० में जो धन व्यय हो जाने का अनुमान है क्या वह ब्लाक से निर्मित हुये धन से खर्च होगा ?

श्री चरणसिंह--जी हां।

*२३-२४--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२७--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर तथा बदायूं जिलों की हद बन्दी में परिवर्तन पर विचार

*२८--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह शाहजहांपुर और बदायूं जिलों की सीमा घटाने बढ़ाने पर विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

*२९---श्री देवनारायण भारतीय---क्या यह सही है कि तहसील जलालाबाद का कुछ भाग शाहजहांपुर जिला से निकाल कर बदायूं जिला को तहसील दातागंज में मिलाकर अथवा उसावा में नई तहसील बनाकर परिवर्तन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। जिला शाहजहांपुर, हरदोई तथा फर्रुखाबाद का जो भाग गंगा तथा राम गंगा के मध्य में स्थित है उसे सरकार बदायूं जिले को दातागंज तहसील में मिलाकर और एक नई तहसील बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले की सीमा घटाने की आवश्यकता सरकार को क्यों प्रतीत हुई ?

श्री चरणसिंह---रामगंगा और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है उसकी देखभाल और उसका इंतजाम करने में, विशेषकर बरसात के जमाने में, इन चारों जिलों के अधिकारियों को काफी कठिनाई होती है। इसलिये बोर्ड आफ रेवेन्यू ने कमिश्नर से कहा कि इन चारों जिलों के कलेक्टरों की कान्फ्रेंस बुलाइये और वहां पर सोचा जाय कि इसका कोई इलाज हो सकता है। तो वहां से सुझाव आया है कि हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और बदायूं के बीच का जो हिस्सा है और जो छोटे-छोटे हिस्से हैं, थोड़ा-थोड़ा हिस्सा बाढ़ से ग्रस्त होता है, चारों जिलों को मिला कर काफी बड़ा इलाका हो जाता है, लेकिन एक इलाके को देखने के लिये ४ जिलों के अधिकारी होते हैं। इसलिये असुविधा होती है और इसके लिये उनका सुझाव आया कि इसकी एक तहसील अलग बना दी जाय।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार को विदित है कि १९२३ में फर्रुखाबाद के ४२ गांव जो रामगंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित हैं वे फर्रुखाबाद से निकाल कर शाहजहांपुर में मिलाये गये थे ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हरदोई जिले का हिस्सा जो बदायूं में मिलाया जायगा वह बदायूं से कितनी दूर पड़ेगा ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। जब मिलाने की बात होगी तो डिटेल में एग्जामिन होगा और तभी निर्णय होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---इन जिलों में परिवर्तन करने के पहले क्या सरकार इन जिलों के विधायकों से परामर्श करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---मिलाने से पहले नोटिफिकेशन गवर्नमेंट गजट में होगा। उसके बाद में आब्जेक्शंस इन्वाइट किये जायंगे तो विधायक उस वक्त अपनी राय दे सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि केवल शाहजहांपुर और बदायूं में ही ऐसा हो रहा है या प्रदेश के और जिलों में भी ऐसा हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---और जिलों का प्रश्न तो है नहीं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस शाहजहांपुर के प्रश्न को आधारभूत मानते हुये भविष्य में प्रदेश भर के कमिश्नरों की कांफ्रेंस बुला कर पूछने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रशासन को ठीक करने के लिये बाकी तहसीलों को भी छोटा किया जाय ?

श्री चरणसिंह---तहसीलों के रिआर्गनाइजेशन के सिलसिले में कुछ काम हुआ है और जो सामग्री इकट्ठी हुई है उस पर विचार हो रहा है।

*३०---श्री देवनारायण भारतीय---[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

जमींदारी विनाश विभाग के कर्मचारी

*३१---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी विनाश विभाग में जो कर्मचारी अब तक ३ साल या तीन साल से अधिक से काम कर रहे हैं उनको मुस्तकिल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जमींदारी विनाश विभाग अस्थायी विभाग है। इस कारण इसके अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के इस विभाग में मुस्तकिल किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अलबत्ता इस विभाग के छटनी किये हुये (retrenched) कर्मचारियों के कलेक्टरेट में खपत के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो कर्मचारी छटनी में निकाल दिये गये हैं उनकी तादाद क्या है ?

श्री चरणसिंह---छटनी नहीं हुई है।

श्री उग्रसेन---जिन कर्मचारियों को कलेक्टरी में रखा जायगा उनकी पुरानी नौकरी जोड़ी जायगी या उनकी सीनियारिटी का क्या होगा ?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

सीतापुर जिले के वर्षा पीड़ित क्षेत्रों को सहायता

*३२---**डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में पिछली बरसात में अतिवृष्टि के कारण प्रति तहसील में कितनी-कितनी छूट लगान तथा तकावी में दी गई ?

श्री धर्मसिंह---सीतापुर जिले में पिछली बरसात में अति वृष्टि तथा अन्य आपदाओं से फसल को क्षति पहुंचने के कारण प्रत्येक तहसील में मालगुजारी तथा लगान में छूट देने का जो प्रस्ताव है, और तकावी की वसूली जो मुल्तवी की गई है वे संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८१ पर)

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---क्या माननीय मंत्री बतलायगे कि सिधौली तथा मिसरिख में जो छूट दी गयी है वह किस आधार पर दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---रेवेन्यू मैनुअल के नियमों के आधार पर।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---सिधौली में १ लाख कुछ हजार और मिसरिख में ३६ हजार की छूट है, तो यह कौन-सा नियम है ?

श्री चरणसिंह---नियम तो रेवेन्यू मैनुअल के आधार पर ही है कि नुकसान के अनुपात से छूट दी जाती है, यह नहीं कि सब तहसीलों का बराबर-बराबर, सब धान २२ पंसेरी, ऐसा दुनिया में कहीं नियम नहीं होता है।

*३३-३४---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---[हटा दिये गये।]

गाजीपुर जिले में बिजली के लिये सर्वे

*३५---**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में बिजली लगाने के लिये किन-किन गांवों और किन-किन कस्बों का सर्वे कराया गया था और कब ?

श्री धर्मसिंह---गाजीपुर के कुछ स्थानों का सर्वे १९५७ में कराया गया था पर अब पुनः थोड़े खर्चे से अधिक लाभ वाले क्षेत्रों को पहले बिजली देने के हेतु जनरल सर्वे कराया जा रहा है।

श्री रघुवीरराम---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में जिन ग्रामों का सर्वे कराया गया वे कौन-कौन से ग्राम हैं?

श्री धर्मसिंह---२४ ग्राम हैं जिनके नाम हैं, गहमार, रेयोतीपुर, शेरपुर, बाड़ा, बहादुरगंज टाउन, दिलदारनगर, जलालाबाद, मोहमदाबाद, नौली, सैदपुर, उसिया टाउन, समनिया, बीरपुर, गौसपुर, करीमुद्दीनपुर, कोसी, महेंद, मैनपुर, मिरजापुर, नारीपछद्वारा, पचोकरखास, सादत सुहवल टाउन, रयूराय।

श्री रघुवीरराम---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इन ग्रामों में से किन-किन ग्रामों को बिजली दी गयी है?

श्री धर्मसिंह---किसी भी ग्राम में नहीं दी गयी।

श्री रघुवीरराम---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन ग्रामों में जो फिलहाल सर्वे कराया जा रहा है उसमें कौन से ऐसे ग्राम हैं जिनको बिजली जल्द से जल्द देने की सरकार कृपा करेगी?

श्री धर्मसिंह---सन् १९५८-५९ के लिये चीफ इंजीनियर, हाइडल ने मोहमदाबाद ग्राम का नाम एलैक्ट्रिफिकेशन के लिये भेजा था। सरकार ने उस पर विचार किया और जो फिलहाल सर्वे किया जा रहा है उसमें वह होगा या नहीं यह तो आगे चल कर निर्णय हो सकेगा, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री चित्तरसिंह निरंजन---क्या यह सही है कि जो बिजली देने में ढील की जा रही है इसका कारण यह है कि रिहन्द बांध से बिजली अभी नहीं मिली है?

श्री धर्मसिंह---यह कारण नहीं है।

*३६-३७---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली सेंट्रल जेल में बन्दियों की मृत्यु

*३८---**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ और १९५८ में बरेली सेन्ट्रल जेल में बन्दियों की कितनी मौतें हुईं और उनसे उक्त अवधि में क्या कोई कत्ल भी हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सन् १९५७ में ११ और सन् १९५८ में २ मौतें हुईं। कत्ल कोई नहीं हुआ।

श्री शिवराजबहादुर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में जो ११ मौतें हुईं थे किस-किस महीने में हुईं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या समाज सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में जो ११ मौतें हुईं उनके कोई विशेष कारण थे? अगर हां, तो क्या?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आम रोग थे, कोई विशेष कारण तो था नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय---जो ११ मौतें जेल में हुईं उनमें से आत्महत्या द्वारा कितनी हुईं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आत्महत्या से तो कोई मौत हुई नहीं, लेकिन एक बशीर नाम के कैदी को कुछ थोड़ी मारपीट हुई थी जिससे बाद में तिल्ली फटने से उसकी मौत हुई थी ।

कानपुर तहसील में जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे

*३९---**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर तहसील में जमींदारी विनाश कानून की दफा ११५ के अन्तर्गत कई हजार दावे बिनाया तसफिया हुए सन् १९५७-५८ से पड़े हैं ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । कानपुर तहसील में सन् १९५७-५८ में जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५ डी० के अन्तर्गत कुल २,४७८ मुकदमे दायर हुए, जिनमें से केवल ३५९ मुकदमों में अभी फैसला होने को बाकी है ।

*४०---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या सरकार यह विचार रखती है कि उपर्युक्त मामलों के निर्णय करने के अधिकार अन्य अधिकारियों को भी दे दिया जावे ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं ।

*४१---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---[न्याय मंत्री से सम्बन्धित १५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में ओला पीड़ितों की सहायता

*४२---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५९ में आजमगढ़ जिले के किन-किन ग्रामों में ओला-पत्थर पड़ने से फसलों की क्षति हुई है और वहां के निवासियों के सहायतार्थ अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री धर्मसिंह---आजमगढ़ जिले के १३९५ ग्रामों में ओले से फसल को क्षति पहुंची है । जिन ग्रामों में रुपये में ८ आने या इससे अधिक क्षति पहुंची है उनकी संख्या २८९ है । इन ग्रामों के नाम संलग्न †तालिका में दिखा दिये गये हैं । ओला पीड़ितों को ५०,००० रुपये की तकावी बांटी गई व मकानों की मरम्मत के लिये ४,००० रुपये की अहेतुक सहायता दी गई और मवेशियों के लिये १,००० रुपये के मूल्य का भूसा मुफ्त बांटा गया । इसके अतिरिक्त निर्धन व असहायों को मुफ्त गल्ला दिया जा रहा है और उनके सहायतार्थ टेस्ट वर्क्स भी चलाये जा रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत याद---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन २८९ ग्रामों में आठ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां क्षतिग्रस्त फसल के लगान में कोई छूट दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---अभी छूट दी नहीं है । अभी तो रबी की फसल की मालगुजारी वसूल होकर इकट्ठी नहीं हुई है । जब उनके प्रपोजल्स आयेंगे तो गौर किया जायगा ।

---

†तालिका छापी नहीं गई ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के ओलाग्रस्त क्षेत्र में कितने लोगों को मुफ्त गल्ला देने की व्यवस्था की है और प्रति व्यक्ति कितना गल्ला दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह---कितने लोगों को मुफ्त गल्ला देने की व्यवस्था की है इसके आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मुफ्त गल्ला बांटा गया है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में २८९ गांवों में कितने व्यक्तियों को मकानों की मरम्मत के लिये रुपया दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---जिले भर की रकम बता दी गई है । तहसीलवार तफसील नहीं है ।

महादेव परगने में कतिपय ग्राम सभाओं की बंजर भूमि

*४३---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा सिहरिया तथा ग्राम सभा उदयपुर गिरन्ट और ग्राम सभा कटरा जगदीशपुर, परगना महादेवा, तहसील नरबगंज, जिला गोंडा में कितने एकड़ भूमि बंजर है ?

श्री धर्मसिंह---ग्राम सभाओं में बंजर भूमि का क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :

ग्राम सभा का नाम	बंजर भूमि का रकबा
	एकड़
सिहरिया	६९.६३
उदयपुर	४२.४५
कटरा जगदीशपुर	३४.०२

श्री गंगाप्रसाद---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बंजर भमि तीनों ग्राम सभाओं में है उसमें सहकारी खेती के आधार पर कृषि फार्म बनाने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार इस भूमि को भमिहीनों को देने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह---नियमों के अनुसार गांव समाज के पास कुल रकबे की १० फीसदी बंजर, ऊसर या नाकाबिल काश्त जमीन है, तो गांव समाज जिसको चाहे उसको दे सकता है और फिर उन व्यक्तियों का फर्ज है कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग करें या न करें । अब इन तीनों गांवों में दस फी सदी से ज्यादा जमीन है या नहीं है, यह इस पर निर्भर है ।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार चाहती है कि दस फीसदी से ज्यादा जमीन है तो फौरन वह भूमिहीनों को दे दी जायगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, उनको मजबूर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सी जगह दस फीसदी से ज्यादा जमीन होते हुए भी एक बीघा जमीन ऐसी नहीं हो सकती है जिसको काबिले काश्त माना जाय ।

रेउना रजबहे को बढ़ाने के लिये सर्वेक्षण

*४४—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोअर गंगा नहर, कानपुर डिवीजन के अन्तर्गत रेउना शाखा को बढ़ाकर नोन व जमुना के बीच में पूर्णतया असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—नोन व यमुना नदी के बीच में असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिये रेउना रजबहे को १३-४ मील बढ़ाने की योजना पर सर्वेक्षण हो रहा है । सर्वेक्षण के पश्चात् ही यह निश्चय किया जा सकेगा कि इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा या नहीं, और यदि किया जा सकेगा तो ऐसा कब तक हो सकेगा यह अभी कहना कठिन है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण कब से प्रारम्भ किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है । तिथि निश्चयपूर्वक बताना कठिन है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बता सकेगी कि इस योजना की ओर सरकार का किसके द्वारा ध्यान दिलाया गया था ?

श्री धर्मसिंह—यह तो सरकार का भी काम होता है कि जहां-जहां सिंचाई की आवश्यकता है खुद भी उसकी देख-भाल करे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सर्वेक्षण कब तक संपन्न हो जायगा ? कोई निश्चित तिथि बतायेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इसकी भी जांच की है कि कितना क्षेत्र असिंचित है जिसके लिये सरकार योजना बनाने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—उसका तो सर्वेक्षण ही हो रहा है । लेकिन ८३ वर्गमील ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई नहीं होती है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने करवाया है और वह मुकम्मिल हो चुका है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार यह बता सकेगी कि सर्वेक्षण में मोटे तरीके से कितने रुपये के खर्च होने का अनुमान है ?

श्री धर्मसिंह—जब तक कंप्लीट रिपोर्ट प्राप्त न हो जाय तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

*४५—श्री रामस्वरूप वर्मा—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

टान्डा पम्प नहर से सींची जाने वाली भूमि

*४६—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि टांडा पम्प नहर द्वारा इस वर्ष कितने एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध हुआ है ?

श्री चरणसिंह—टांडा पम्प नहर पर साठ-साठ क्यूसेक्स (cusecs) के दो पम्प दिसम्बर, १९५८ में लग चुके हैं जिन पर अनुमानित क्षेत्र १४,५५९ एकड़ है। रबी १३६६ फसली में इनसे १,७५० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है।

सहसवान तहसील के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण

*४७—श्री उल तसिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील सहसवान के गांव जतकी में किस-किस व्यक्ति को सन् १९५८ में सैलाब की तकावी दी गई ?

श्री चरणसिंह—जिला बदायूं की तहसील सहसवान के ग्राम जतकी में सन् १९५८ में किसी व्यक्ति को सैलाब की तकावी नहीं दी गई।

*४८—श्री उलफतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के हाकिम परगना तहसील सहसवान ने सैलाब आने पर अगस्त से सितम्बर, १९५८ तक किन ग्रामों का दौरा किया ?

श्री चरणसिंह—जिला बदायूं की तहसील सहसवान में अगस्त से सितम्बर, १९५८ तक बाढ़ से प्रभावित निम्न ७ ग्रामों का दौरा वहां के परगनाधीश द्वारा किया गया :—

१—ननोल बागवाला,
२—हरदत्तपुर,
३—कोलिहाई,
४—वह गवां,
५—भ ध ा,
६—भावनीपुर,
७—अम्बियापुर।

*४९—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५०-५२—श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया)—[इक्कीसवें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

सीतापुर जेल में बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें

*५३—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १४ नवम्बर, सन् १९५८ ई० को किसी सदस्य विधान सभा ने जिला जेल, सीतापुर का मुआयना किया था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या मुआयना लिखा है और किन कमियों की ओर ध्यान दिलाया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५४—श्री मूलचन्द—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को कोई ऐसा पत्र ९-१२-५८ को प्राप्त हुआ है जिसमें जिला जेल सीतापुर के अधिकारियों द्वारा कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों की चर्चा है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। जांच के पश्चात् वे शिकायतें निर्मूल पाई गईं। इसलिये किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यहां से वह प्रान्तीय कारागार निरीक्षक के पास भेजी गई थी और सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल से उन्होंने जांच कराई ।

श्री मूलचन्द---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जन का पत्र माननीय मंत्री जी के पास पहुंचा है क्या उनसे किसी किस्म की पूछताछ की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो खैर मुझे मालूम नहीं कि किन-किन से पूछा गया और किन-किन से नहीं पूछा गया, लेकिन इसकी पूरी जांच जेल में की गई और शिकायतें निर्मूल पाई गईं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या इस जांच में यह अपेक्षा की गई थी कि दोनों पक्षों को बुला कर उनकी साक्षी ली जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अब यह तो जांच करने वाले अधिकारी ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार जांच की । लेकिन जांच पूरी की गई, इतना निश्चित है ।

श्री बालकराम---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ही जेल का मालिक होता है ? तो फिर उसकी जांच किसने की, कोई खुद अपनी जांच कर सकता है?

श्री अध्यक्ष---जांच किसने की, यह जानना चाहते हैं वह ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्री के०एन० बनर्जी, सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल हैं, उन्होंने जांच की ।

श्री मूलचन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो चिट्ठी उनको मिली थी वह बनर्जी के खिलाफ और वहां के जो जेलर थे उनके खिलाफ थी; और उन्हीं के द्वारा जांच कराई गई ? ऐसा क्यों किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुझे तो आश्चर्य होता है श्रीमन्, बनर्जी का तो शायद उसमें नाम भी नहीं है । जो शिकायतें थीं वे कुछ जेल के अधिकारियों के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में थीं और मोटी शिकायतें थीं । सुपरिन्टेन्डेन्ट ने यह किया, ऐसी कोई शिकायत मुझे तो नजर आई नहीं ।

श्री छत्तरसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस शिकायती पत्र में मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुख्य बातें ये थीं---मूल चन्द जी ने यह कहा था कि १२५ और दूसरे कैदियों के साथ में उनको सुपीरियर क्लास के लिये कहा गया था, लेकिन २४ सितम्बर को उन्हें भेजा गया वहां और ३० सितम्बर तक उनको खाना और बिस्तर नहीं दिया गया था । दूसरी शिकायत यह थी कि जब उन्होंने खाना मांगा तो किसी एक साथी को पीटा गया । तीसरी शिकायत यह थी कि कैदियों की मुलाकात बन्द कर दी गई । चौथी शिकायत यह थी कि दो सोशलिस्ट कैदियों ने भूख हड़ताल की । पांचवीं यह थी कि जेल के अन्दर कुछ बाहर के लोग आते थे और छठी कुछ भोजन के सम्बन्ध में थी कि अच्छा भोजन नहीं मिलता । यह भी एक शिकायत थी कि डा० अवधेश, एम०एल०ए० और बृजनाथ मिश्रा से एक वार्डन ने दुर्व्यवहार किया और उनके बैठने के लिये उचित प्रबंध नहीं किया । और एक आम शिकायत थी कि जेल में बहुत भ्रष्टाचार है । बस इनके अतिरिक्त और कोई शिकायत नहीं थी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या समाज सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जेल का सन् १९३९ से १९४५ तक का रेकार्ड ही गायब है जिसके कारण पोलिटिकल सफरर्स को किसी तरह के राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण-पत्र नहीं उपलब्ध हो पाते ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इन प्रश्नों से तो कहीं यह उठता नहीं, श्रीमन्, और न मुझे इस समय इस सम्बन्ध में ज्ञान है कि कौन सा रेकार्ड है और कौन-सा गायब है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि किसी विधायक ने भी जेल का मुआयना करके जेल की शिकायतें लिखी थीं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---विधायक के बारे में तो मुझे विशेष बात कोई नहीं मालूम, लेकिन यह मालूम है कि १६ अक्तूबर को जिलाधीश और १२ अक्तूबर को सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट ऐन्ड सेशन्स जज और कुछ गैरसरकारी निरीक्षकों ने वहां का मुआयना किया था और उनमें से किसी ने भी जेल के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जिस पर कोई कार्यवाही की जा सके ।

*५५-५७---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)---[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५८---५९---**श्री लोकनाथ सिंह** (जिला वाराणसी)---[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

केलही ग्राम के ताल से नाला निकालने की योजना

*६०---**श्री यमुनासिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के केलही ग्राम मे एक ताल है जिससे नहर निकालने की कोई योजना है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं । इस ताल से एक नाला (drain) निकालने की योजना विचाराधीन है ।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह योजना कब से विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है इस समय नहीं बताया जा सकता ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नाला निकालने की योजना विचाराधीन है उसकी तारीफ क्या है ? यह डिसचार्ज ड्रेन है या सिंचाई के लिये निकाला जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---जी, यह तो सिर्फ नाला निकाला जा रहा है । उसमें दोनों बातें होती हैं । वाटर लागिंग की समस्या है तो वह भी हल हो जायगी और सिंचाई भी होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना जो विचाराधीन है यह कब तक पूरी की जा सकेगी या कब तक इसका सरकार फैसला करेगी ?

श्री धर्मसिंह---समय बताना कठिन है, लेकिन जैसे ही धन उपलब्ध हुआ यह कार्यान्वित की जायगी ।

बाराबंकी जिले में गोकुलपुर माइनर योजना का कार्यान्वित न होना

*६१---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत नवाबगंज रजबहा के नौ मील २ फर्लांग दाहिनी पटरी से गोकुलपुर माइनर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तजवीज हुई थी और इस माइनर की दागवेल भी मौके पर माह सितम्बर, १९५६ में लगाई गई थी ? यदि हां, तो उसके बाद उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। इस स्थान से एक रजबहा बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन सर्वेक्षण (Survey) करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि भूमि बहुत ऊंची-नीची है। इसलिये प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया गया।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि ऊंची भूमि को खोदकर और नीची भूमि में मिट्टी डालकर रजबहा या माइनर प्रदेश के अन्दर बनाये जाते हैं? यदि हां, तो यह माइनर क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री धर्मसिंह---यह तो प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दिया गया कि पहले सर्वेक्षण किया गया और फिर इसकी लाइन इत्यादि डाली गई और बाद में इसको निकालने का प्रयत्न किया गया, तो भूमि ऊंची नीची हुई जिसको पाटने में ज्यादा खर्चा होता। इसलिये इसको छोड़ दिया गया ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सितम्बर सन् १९५६ में सर्वे होने के बाद दागबेल लगाई गई जिसकी वजह से किसानों की भूमि बिना बोये २ वर्ष तक पड़ी रही और किसानों को लगान मुफ्त में देना पड़ा ? तो क्या सरकार उनको मुआवजा देने का विचार कर रही है और देगी ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, जहां तक लगान की मांग का सम्बन्ध है, उसके नियम अलग से बने हुये हैं लेकिन जहां तक रजबहे की बात है उस पर दो कुलाबे थे, उनके द्वारा सिंचाई होती रही होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सर्वेक्षण के समय दो साल तक जो किसान की जमीन को न बोने से हानि हुई उस पर सरकार ने क्या विचार किया? क्या सरकार उस हानि की पूर्ति करने के लिये तैयार है ?

श्री धर्मसिंह---जमीन खाली क्यों पड़ी रहती ?वे आबपाशी का साधन खुद भी कर सकते थे। उन्होंने जमीन जरूर बोई होगी ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---मेरा तात्पर्य यह है कि सर्वे होने के बाद जब दागबेल लग गई तो नहर विभाग का यह नियम है कि जब दागबेल लग जाय तो दो साल तक किसान उस भूमि को बो नहीं सकते। इसलिये वह बोने से पड़ी रही और किसानों को लगान मुफ्त में देना पड़ा; तो क्या सरकार उसका मुआवजा देगी ?

श्री धर्मसिंह---सरकार के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि जमीन खाली पड़ी रही।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर का सर्वे होने के पहले किसानों की कोई जमीन ली गई थी ? यदि हां, तो उनको कोई मुआवजा दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस माइनर के बन्द होने के बाद उस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के क्या साधन दिये गये ?

श्री धर्मसिंह---जी, फिलहाल कोई साधन नहीं है । जैसा मैंने निवेदन किया, वहां पर ६ इंच और २ इंच के दो माइनर हैं जिनसे अभी तक सिंचाई होती रहती थी।

*६२---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६४--६५--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६६--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६७-६८--श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६९--श्री जंगबहादुर वर्मा--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में जैदपुर व मुरलीगंज माइनर से क्षति की शिकायत

*७०--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, परगना सिद्धौर माइनर जैदपुर और माइनर मुरलीगंज की टेल पर हजारों बीघा इस वर्ष की रबी की फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न में उल्लिखित जैदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर रबी की फसल को कोई भी क्षति नहीं हुई है। मुरलीगंज माइनर की टेल गूल के किनारों के कट जाने से कुल ३ एकड़ क्षेत्र की फसल को क्षति पहुंची है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नहर की टेल से किसी नदी तक कोई नाली बनाकर नहर विभाग ने निकाली है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

*७१--७२--श्री उग्रसेन--[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

जमींदारी उन्मूलन का बकाया मुआवजा तथा दसगुने में प्राप्त धन

७३--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० सरकार को जमींदारी उन्मूलन के मुआवजे में कितना रुपया जमींदारों को देना बाकी है और कितना रुपया अभी तक दस गुने में सरकार को प्राप्त हुआ है?

श्री धर्मसिंह--२८ फरवरी, १९५९ तक सरकार को जमींदारी उन्मूलन मुआवजे में लगभग ६,४१,०४,४१७ रुपये की रकम देना बाकी थी और ३० जून, १९५८ तक उसे दसगुने में कुल ३७,४५,६६,५९२ रुपये की रक़म प्राप्त हुई थी।

श्री भूपकिशोर--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कुल रकम वसूल की गयी है वह सब जमींदारों को अदा कर दी गयी?

श्री चरणसिंह--जमींदारी अबालीशन फंड में जो रकम जमा की गयी थी वह तो गवर्नमेन्ट के कोष में जमा हुई और जमींदारों को जो मुआवजा दिया गया उसका इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। जमींदारी अबालीशन फंड में एक भी पैसा जमा न होता तब भी मुआवजा दिया जाता।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लगभग ६ करोड़ रुपया जो अभी तक नहीं दिया जा सका है उसका क्या कारण है?

श्री चरणसिंह--रुपया कोई ६८,८०,००,००० देना था। ६२ करोड़ और कुछ लाख दिया जा चुका और ६ करोड़ और कुछ लाख बाकी है। ४६ करोड़ बांड्स की शक्ल में थे। पी०डी०ओ० के यहां बांड्स जो इंडेंट्स बनने के लिये गये हैं वे २-३ करोड़ रुपये के हैं। जैसे ही वे आ जायेंगे वह इश्यू कर देंगे। इसके अलावा ५-६ बड़े बड़े इंटरमिडियरीज के बांड्स फाइनलाइज नहीं हुये हैं; उनके मुकदमे आपस में हाई कोर्ट वगैरह में चल रहे हैं।

श्री भूप किशोर—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि १०गुना वसूल करने का टार्गेट कितना था ?

श्री चरणसिंह—कोई टार्गेट नहीं था। अगर सब किसान १०गुना जमा कर देते तो डेढ़ अरब रुपया हो जाता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी, इस टार्गेट को देखते हुये जो १/५० हिस्सा वसूल हुआ है, इसके कुछ कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—मैंने अर्ज किया कि कोई टार्गेट था ही नहीं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी कितनी धनराशि है जिसके बांड्स बन चुके हैं, परन्तु अभी तक तहसील से जमींदारों ने नहीं उठाये ?

श्री चरणसिंह—जो पी०डी०ओ० से बांड्स हमको वसूल करने थे उनका रुपया कुल २,५८,००,००० था ।

मुबारकपुर और मुहम्मदाबाद टाउन एरियाओं से बिजली की मांग

*७४—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ ज़िले की मुहम्मदाबाद गोहना तहसील स्थित मुबारकपुर और मुहम्मदाबाद गोहना टाउन एरियाओं ने अपने यहां बिजली लगाने का प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया है ?

श्री धर्मसिंह—ऐसा प्रस्ताव आया तो है, परन्तु थोड़े खर्चे से अधिक लाभ वाले क्षेत्रों को पहले बिजली देने के हेतु जनरल सर्वे किया जा रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थोड़े खर्चे से अधिक लाभ वाले क्षेत्रों का जो जनरल सर्वे सरकार करा रही है वह सर्वे क्या उन्हीं स्थानों पर कराया जा रहा है जहां से बिजली लगाने की मांग आई है या सारे प्रदेश में किया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—इसमें जहां से मांग आई है वह भी शामिल है और जहां-जहां हम थोड़ी बहुत बिजली दे सकते हैं वह भी शामिल किया जा रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुबारकपुर और मुहम्मदाबाद, इन दो टाउन एरियाज़ से जो प्रस्ताव आये हैं वे कब आये सरकार के पास और उनका सर्वेक्षण सरकार कब तक समाप्त करा देगी ?

श्री धर्मसिंह—चीफ इंजीनियर के यहां १९-११-१९५८ को आये हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका सर्वेक्षण इत्यादि करके चीफ इंजीनियर अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दें ।

श्री चन्द्रजीत यादव—इन दोनों टाउन एरियाज़ में जो सर्वेक्षण हो रहा है वह किस अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर (हाइडल) बरेली सर्किल द्वारा कराया जा रहा है और उनको पत्रादि भेज दिये गये हैं ।

*७५-७७—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पुरवा तहसील के कुछ गांवों की पड़ताल

*७८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वर्ष फसली में उन्नाव जिले की तहसील पुरवा के नायब तहसीलदार ने कितने ग्रामों की पड़ताल की और प्रत्येक ग्राम में लेखपाल के कागज में कितने प्रतिशत गलतियां मिलीं ?

श्री धर्मसिंह—नायब तहसीलदार ने १० ग्रामों की पड़ताल की जिनमें से प्रत्येक ग्राम के खसरे में ६ प्रतिशत और खतौनी में ८ प्रतिशत गलतियां मिलीं ।

*७९—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्रामों में से किन-किन ग्रामों के लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है और उनमें से प्रत्येक की गलतियों का औसत फीसदी क्या है ?

श्री धर्मसिंह—उक्त ग्रामों से संबंधित किसी लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है ।

श्री सजीवनलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों के विरुद्ध जहां गलतियां मिलीं उसके लिये कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ?

श्री चरणसिंह—हर मनुष्य राज कर्मचारी होने के बाद भी मनुष्य रहता है और गलती हर मनुष्य से हो सकती है, इसलिये हर गलती पर सजा नहीं दी जाती ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गलतियां बताई गई हैं वह क्या १० गांवों का एवरेज बताया गया है कि ६ फीसदी खसरा में और ८ फीसदी खतौनी में निकलीं ?

श्री धर्मसिंह—प्रत्येक ग्राम के खसरे में ६ फीसदी और खतौनी में ८ फीसदी निकलीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तहसील में भूमि सुधार सम्बन्धी कागजों में भी शिकायतें हैं उनको दुरुस्त कराने के सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—अभी तक हमारी यह इत्तला नहीं है कि इसमें इतनी गलतियां हैं कि वहां पर रिकर्ड आपरेशन कराया जाय । जहां पर बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं वहां पर रिकर्ड आपरेशन करा दिया जाता है ।

श्री सजीवनलाल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १० गांवों की पड़ताल कराई गई और उसमें हर गांव में ६ फीसदी और ८ फीसदी गलतियां मिलीं, यह बराबर कैसे हो गया ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक गलतियों का सम्बन्ध है, यह जरूरी नहीं है कि बराबर रहें । इसमें भी आगे पीछे हैं, ६ और ८ हैं ।

टाउन एरियाज से जमींदारी समाप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

*८०—श्री चन्द्रिका प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरियाज से कब तक जमींदारी खत्म करने का उसका विचार है ?

श्री धर्मसिंह—परिच्छेद क्रियाएं जमीन्दारी खत्म करने के पहले आवश्यक हैं और जैसे ही यह कार्य, जो अभी चल रहा है, समाप्त हो जायगा, जमीन्दारी खत्म करने का कार्य आरम्भ किया जायगा ।

श्री चन्द्रिकाप्रसाद—क्या सरकार को यह जानकारी है कि जमींदारी प्रथा के कारण टाउन एरिया के कार्यों में बहुत बाधा पड़ती है और आये दिन कमेटी और जमींदारों में संघर्ष बना रहता है ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि कोई बड़ा भारी संघर्ष रहता हो। मुमकिन है कहीं किसी टाउन एरिया में जमींदारी खत्म न होने के कारण कोई संघर्ष रहता हो लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है, ऐसी इत्तला नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को मालूम है कि इस कानून के बनने के बाद जमींदारों ने टाउन एरियाओं में जमीन को बड़ी जल्दी से बेचना शुरू कर दिया है और क्या इसके लिये सरकार ने कोई रोक लगाई है ?

श्री चरणसिंह—जमीन के हस्तांतरण के खिलाफ हम संविधान के मुताबिक कोई रोक नहीं लगा सकते हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदार वहां की भूमि को बहुत गरां बेचते हैं और क्या वह कोई रेट निर्धारित करेगी जिससे ज्यादा वे न बेंचें ताकि गरीब आदमी खरीद सकें ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट कोई रोक नहीं लगा सकती है।

*८१—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८२–८४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८५–८६—श्री मुल्लाप्रसाद हंस (जिला उन्नाव)—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८७–८९—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९०—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*९१–९३—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

डाइरेक्टर आफ जेल इण्डस्ट्रीज की नियुक्ति

*९४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजूदा डाइरेक्टर आफ जेल इन्डस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन से जब हुई उस वक्त उनकी क्या योग्यता थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उस समय मौजूदा डाइरेक्टर आफ जेल इंडस्ट्रीज की निम्नलिखित योग्यताएं थीं :—

(१) हाई स्कूल परीक्षा—द्वितीय श्रेणी।
(२) इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष तक अध्ययन।

इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुकूल गृह उद्योग, औद्योगिक संगठनों एवं कच्चा माल आदि खरीदने की योग्यताएं भी थीं जिनके कारण लोक सेवा आयोग ने इन्हीं की नियुक्ति के लिये सरकार से सिफारिश की थी तथा यह भी सिफारिश की थी कि इन्हें निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं से मुक्त कर दिया जाय।

बदलापुर थाने के अन्तर्गत ईख की सिंचाई

*९५—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के थाना बदलापुर के अन्दर पड़ने वाले कितने गांवों में इस वर्ष नहर से ईख की सिंचाई की गई तथा किस-किस महीने में पानी दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के थाना बदलापुर के अन्दर पड़ने वाले ४२ गांव में १९५८ ई० में नहर से ईख की सिंचाई की गई तथा नहर का पानी पलेवा के लिये जनवरी और फरवरी, १९५८ ई० में दिया गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई का पानी किन महीनों में दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—सिर्फ पलेवा के लिये दिया गया है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि उस क्षेत्र में जनवरी में ईख नहीं बोई जाती है तो फिर जनवरी में पलेवा के लिये पानी कैसे दिया ?

श्री धर्मसिंह—किसी खेत को बोने से पहले ही तो पलेवा होता है और उसके बाद बुवाई होती है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—पलेवा बोने के १, २ दिन पहले किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री बलवान सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फसल के लिये जब तक ईख की फसल खड़ी रही उसके लिये कितने दिन तक पानी नहर का मिला ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है ।

जौनपुर जिले में गांव सभाओं द्वारा मालगुजारी की वसूली

*९६—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की किन-किन पंचायतों को सन् १९५७–५८ और १९५८–५९ में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया गया ? उनके द्वारा कितनी-कितनी वसूली हुई और उनको कमीशन में कितना धन दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—जौनपुर जिले की जिन-जिन गांव सभाओं को सन् १९५७–५८ और १९५८–५९ में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया गया उनके नाम तथा उनके द्वारा की गई वसूली का अलग-अलग वर्षवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है । इनमें से किसी भी गांव सभा को अब तक कोई कमीशन नहीं दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८२–१८३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभाओं द्वारा जो मालगुजारी की वसूली की गई उसका प्रतिशत क्या है और कमीशन न देने का कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह—कमीशन तो तब दिया जाता है जबकि गांव सभायें पूरी तरह से उसका हिसाब त्यादि दें और इस बात का प्रार्थना-पत्र दें कि जो कुछ वसूली उनके लिये निर्धारित की गई थी वह सब वसूल हो गई है । उसके बाद निर्णय होता है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ९६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री नागेश्वर प्रसाद—जिन गांव पंचायतों ने मालगुगारी वसूल की है उनकी तरफ से कुछ गांव सभाओं ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनको कमीशन की रकम दी जाय ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल हमारी सूचना के अनुसार कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया ।

माताटीला बांध में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*९७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि माताटीला बांध के निर्माणार्थ मध्य प्रदेश के कितने किसानों की कितनी भूमि अधिगृहीत (acquire) की गयी और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री चरणसिंह—माताटीला बान्ध के निर्माणार्थ मध्य प्रदेश के १,७७० किसानों की २२,२९३ एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी और उनको अब तक ६१,७१,२५५.९१ रु० मुआवजा दिया जा चुका है ।

*९८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त माताटीला बांध के निर्माणार्थ उत्तर प्रदेश के कितने किसानों की कितनी भूमि अधिगृहीत (acquire) की गयी और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री चरणसिंह—माताटीला के निर्माणार्थ उत्तर प्रदेश के २,२४८ किसानों की १३०४५.४९ एकड़ भूमि ली गई है और उनको अब तक ११,४४,८५८.४९ रु० मुआवजा दिया जा चुका है ।

*९९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार माताटीला बांध से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त जल को सिंचाई हेतु मध्य प्रदेश को भी प्रदान कर रही है ? यदि हां, तो कितना और किन शर्तों पर ?

श्री चरणसिंह—जी हां । कितना जल दिया जायगा और किन शर्तों पर, इस सम्बन्ध में अभी मध्य प्रदेश सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

ग्रामदान में प्राप्त ग्राम

*१००—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने गांव ग्रामदान द्वारा अब तक प्राप्त हुये हैं और क्या सरकार उनकी सूची सदन की मेंज पर रखने की कृपा करेगी ?

*१०१—ग्रामदान द्वारा प्राप्त ग्रामों में सरकार किस प्रकार की सहायता करती है ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

घाघरा नदी के पेटे से निकली पेहिला ग्राम की भूमि

*१०२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पेहिला, तहसील बासगांव, जिला गोरखपुर में घाघरा नदी के पेटे से कितनी भूमि खेती योग्य निकली है और बन्दोबस्त सन् १३२३ फसली में इसका खसरा नम्बर और रकबा क्या है ?

*१०३—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १४-६-५८ को परगनाधीश बासगांव ने उक्त भूमि में से कुछ भूमि गांव समाज को दी और उसे भूमिहीनों को दे दिया गया ? यदि हां, तो कितनी भूमि और कितने भूमिहीनों को दी गई ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जल निकासी योजनान्तर्गत पश्चिमी जिले

*१०४---स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमी जिलों में कौन-कौन जिले जल निकासी योजना में शामिल किये गये हैं और जल निकासी योजना के लिये प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ तथा मोहनलालगंज तहसीलों में गांव समाजों से सम्बन्धित गबन व अनियमित पट्टों के मामले

*१०५---श्री रामशरण यादव---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८ के १२वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर के अनुसार गबन और अनियमित पट्टे के लिये ग्राम समाज के प्रधानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

*१०६---उक्त अनियमित पट्टे रद्द न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में तहसीलवार समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यय

*१०७---श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में पहली जनवरी सन् १९५७ से १५ दिसम्बर, १९५८ तक कितना रुपया समाज कल्याण के कार्यों पर खर्च किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---समाज कल्याण विभाग द्वारा गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में उक्त अवधि में निम्नलिखित व्यय किया गया :---

				रु०
१---गोरखपुर तहसील	..	..	..	८९,०१७.८८
२---सदर तहसील	..	..	..	३६,३७१.९२
३---बासगांव तहसील	..	..	..	१०,११८.८४
४---महाराजगंज तहसील	..	..	..	७,२०९.००
५---फरेन्दा तहसील	..	..	..	२,४६३.७३
		योग	..	१,४५,१८१.३७

पडरौना तहसील में तालाबों से पानी के निकास की योजना

*१०८---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में कितने तालाबों से पानी निकास का नाला खोदा जाना विचाराधीन है और कहां-कहां नाला खोदने का कार्य ठेकेदारों को सौंप दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बदायूं कलेक्टरी में अपरेन्टिसों की भर्ती

*१०९---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में सन् १९५८ में कलेक्टरी आफिस में कितने अपरेन्टिसों के प्रार्थना-पत्र आये और कितने अपरेंटिसों को जगहें दी गयीं ?

श्री चरण सिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मेजा तहसील में दो लेखपालों की बहाली तथा वेतन-वृद्धि न पाने वाले लेखपाल

*११०--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में राजाज्ञा के विरुद्ध अब तक उन अस्थायी लेखपालों को जिनकी नौकरी गत वर्ष समाप्त कर दी गयी थी बहाल नहीं किया गया ?

श्री चरणसिंह--इस प्रकार के दोनों लेखपालों सर्वश्री चन्द्रमा प्रसाद और दुर्गा प्रसाद को ५ मार्च, १९५९ को बहाल कर दिया गया ।

*१११--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में ऐसे कितने लेखपाल हैं जिनको अप्रैल, १९५३ में उनके वेतन में दी गई बढ़ोत्तरी अब तक नहीं दी गई है ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पूरनपुर तहसील में नलकूप न चालू हो सकने की शिकायत

*११२--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ८ ट्यूबवेल के कुओं के अभी तक चालू न होने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इटावा जिले में सेवा-मुक्त लेखपाल

*११३--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में सन् १९५५ व सन् १९५६ में कितने लेखपाल परीक्षा में पास न होने एवं शामिल न होने के कारण निकाल दिये गये ?

श्री चरणसिंह--२१ ।

*११४--श्री गजेन्द्र सिंह--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदेश नम्बर ८७९८/आई०वी०--१५७५-५७, दिनांक ३० अगस्त, १९५८ के अन्तर्गत समस्त निकाले गये लेखपालों के वापस लेने की आज्ञा हो चुकी है ? यदि हां, तो इटावा जिले में कितने वापस लिये गये और कितने नहीं ?

श्री चरणसिंह--इस राजकीय आदेश के अन्तर्गत इटावा जिले में किसी लेखपाल के बहाल होने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस जिले में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं पाया गया जिसमें किसी अस्थायी लेखपाल ने हाई कोर्ट में स्थायी होने का दावा किया हो और हाई कोर्ट ने उस लेखावेदन को स्वीकार किया हो तथा यह आदेश दिये गये हों कि उसे स्थायी मानकर बहाल किया जाय ।

भैसहा बाजार को गंडक के कटाव से बचाने की योजना

*११५--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि भैसहा बाजार, जिला देवरिया गंडक नदी के कटाव से खतरे में पड़ गया है ? यदि हां, तो उसके बचाने के लिये जो बांध का ठोकर बनने वाला था वह कब तक बन जायेगा ?

श्री चरणसिंह--जी हां । इस खतरे को दूर करने के लिये एक तखमीना (estimate) बनाया गया है जो विचाराधीन है ।

राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना

*११६--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार राज्य में विद्युत बोर्ड (Electricity Board) की स्थापना करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बोर्ड किस प्रकार गठित होगा तथा उसकी कार्य सीमा क्या होगी ?

श्री चरणसिंह--जी हां, यह बोर्ड सरकारी उच्च अधिकारियों द्वारा गठित हुआ है जो कि इसके पदेन सदस्य हैं। इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा १८ के अनुसार इस बोर्ड की कार्य सीमा समस्त उत्तर प्रदेश है।

*११७--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बोर्ड कब तक अस्तित्व में आ जायगा ?

श्री चरणसिंह--१ अप्रैल, १९५९ से बोर्ड अस्तित्व में आ गया है।

*११८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[हटा दिया गया।]

वर्षा एवं ओला से कृषि क्षति

*११९--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री गरीबदास (जिला जालौन)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९५९ के अंतिम सप्ताह में किन-किन जिलों में ओला एवं वर्षा से खेती की बर्बादी हुई है और रुपये में कितने आने की हुई है ?

श्री चरणसिंह--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १८४-१८५ पर)

तल्ला तिखून व दानपुर पट्टियों में भूकम्प पीड़ितों को तकावी

*१२०--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा), श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा तथा श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अल्मोड़ा जिले की तल्ला तिखून व दानपुर की पट्टियों में २८-१२-१९५८ को जोरदार भूकम्प हुआ तथा तब से आज तक लगातार प्रति दिन ३,४ तक धक्के दानपुर में आ रहे हैं ? अगर हां, तो इन भू-कम्पों से कितने मकान टूटे, कितनों में दरारें आईं व कितनी क्षति हुई ?

श्री चरणसिंह--जी हां, अल्मोड़ा जिले के तल्ला तिखून व दानपुर की पट्टियों में २८-१२-५८ को भूकम्प आया था और इससे जो हानि हुई उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। इसके बाद २०-२-५९ तक कई बार मामूली धक्के आते रहे लेकिन इनसे कोई हानि नहीं हुई।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १८६ पर)

*१२१--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा तथा श्री प्रताप सिंह--क्या आपदग्रस्त लोगों को सहायता दी जाने व उन्हें अन्यत्र बसाये जाने के संबंध में सरकार के पास आवेदन-पत्र या अन्य पत्र आये हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरणसिंह--आपद ग्रस्त लोगों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को मिले थे जिनमें सहायता की प्रार्थना की गई थी। ऐसा कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला जिसमें अन्यत्र बसाये जाने की प्रार्थना की गई हो। लोगों को मकानों की मरम्मत कराने अथवा फिर से बनाने के लिये सरकार ने १०,००० रुपये की तकावी मंजूर की है।

*१२२--श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा तथा श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार ने इन भूकम्पों के कारण जांचने की कोई कार्यवाही की ? अगर हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री चरणसिंह--सरकार ने इन भूकम्पों के कारण जांचने के लिये डाइरेक्टरेट आफ जियालाजी एन्ड माइनिंग के विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। उनकी प्रारम्भिक रिपोर्ट का सारांश यह है कि हिमालय का क्षेत्र "भूचाल-क्षेत्र है जिसके भूगर्भ की बनावट में पूर्ण संतुलन अभी तक नहीं स्थापित हो पाया है। इस समय जो भूचाल आया था उसका केंद्र बिन्दु अल्मोड़ा से ४० मील उत्तर पूर्व अनुमानित किया जाता है। वह भूचाल लगभग समस्त उत्तरी भारत में अनुभव किया गया।"

२८-१२-५८ के बाद बहुत दिनों तक मामूली धक्के आते रहे। उसका कारण यह है कि भूचाल के संबंध का यह साधारण सिद्धांत है कि किसी बड़े भूचाल के केंद्र बिन्दु के ऊपर का भूखंड जो ऊपरी धरातल के नीचे होता है अस्तव्यस्त हो जाता है और उसे संतुलन की स्थिति प्राप्त करने में कुछ समय लगता है।

फिरोजाबाद तहसील में नलकूप योजना

*१२३--श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या सरकार सदन की मेज पर उन ग्रामों की सूची रखने की कृपा करेगी जिनमें सिंचाई विभाग द्वारा आगरा जिले की फिरोजाबाद तहसील में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री चरणसिंह--आगरा जिले की फिरोजाबाद तहसील में नहर द्वारा असिंचित क्षेत्र के ग्रामों की पैमाइश की जा रही है। अभी यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि उक्त तहसील में किन-किन ग्रामों में नलकूप बनाये जायेंगे।

*१२४--श्री जगन्नाथ लहरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ट्यूबवेल उस क्षेत्र में कब तक लग जायेंगे और कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी ?

श्री चरणसिंह--अभी तक यह निश्चित नहीं है कि नलकूप कब तक लग जायेंगे। ऐसा अनुमान है कि नलकूपों के लगने से लगभग ३२,००० एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा।

जालौन जिले में वर्षा एवं ओला से कृषि क्षति

*१२५--श्री गरीबदास--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में जनवरी, सन् १९५९ में किन-किन ग्रामों में कितनी फसल की हानि ओला पड़ने एवं अति वृष्टि से हुई ?

श्री चरणसिंह--केवल चार ग्रामों, इंगुरा, कुठोंडा, इटहा कालपी एवं सलेमपुर कालपी में फसल को क्षति पहुंची। क्षति का तखमीना रुपये में केवल एक आने से दो आने तक है।

परीक्षा बांध से निकलने वाली गुरसराय नहर की जमीन का मुआवजा

*१२६--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा बांध (झांसी) से नहरें कब कब निकाली गई थीं ?

श्री चरणसिंह--परीक्षा बांध (झांसी) से १९ वीं शताब्दी के अन्त में बेतवा नहर तथा १९५७ में गुरसराय नहर निकाली गई थीं।

*१२७--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि उक्त नहरों के लिये जिन किसानों की जमीनें ली गई हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया है और उनसे लगान बराबर वसूल किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---गुरसराय नहर के लिये जिन किसानों की जमीन ली गई है उनको मुआवजा दिया जा रहा है और उक्त भूमि का पूरा मुआवजा ३१ दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक बांटे जाने की संभावना है। भूमि का लगान १ जुलाई, १९५७ से वसूल नहीं किया जा रहा है।

रुड़की परगने में नलकूप न बढ़ाना तथा भगवानपुर परगने में बाढ़ सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी

*१२८---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह रुड़की परगने के किन-किन गांवों में नलकूप लगाने जा रही है ?

श्री चरणसिंह---रुड़की परगने में इस समय ८ नलकूप लगे हुये हैं। इनके अतिरिक्त और कोई स्वीकृत (approved) नलकूप इस समय इस परगने में लगाने का विचार नहीं है।

*१२९---**श्री दीनदयालु शास्त्री**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भगवानपुर परगने के चौली खुब्बनपुर तथा कुड़कावाला गांवों की बाढ़ से रक्षा के लिये वह क्या योजना बना रही है ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

नहर मांट ब्रांच के क्षेत्र अलीगढ़ व बुलन्द शहर के नलकूप तथा सिकन्दराबाद तहसील की बाढ़ योजना

*१३०---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नहर मांटब्रांच के क्षेत्र अलीगढ़ व बुलन्दशहर में जो ट्यूबवेल्स बनाये गये उनमें कितने चालू हैं और कितने नहीं, और क्यों ?

*१३१---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन ट्यूबवेल्स पर नाली बनाये जाने का कार्य कब से प्रारम्भ है और कब समाप्त हो जावेगा ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३२---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि दोआबा हीन्डन व जमुना तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में बाढ़ योजना जो बनायी गई उसमें से कितनी पूरी हो चुकी है और शेष योजना कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

श्री चरणसिंह---इस योजना के अंतर्गत ३० ग्रामों एवं २० मील लम्बी सड़क को ऊंचा करने का निश्चय किया गया था, जिसमें से २० ग्रामों को ऊंचा करने का कार्य पूर्णतया समाप्त हो गया है और २ ग्रामों पर कार्य प्रगति पर है तथा १८ मील सड़क ऊंची की जा चुकी है। शेष ग्रामों एवं २ मील सड़क को ऊंचा करने का कार्य धनाभाव के कारण रोक दिया गया है। इस कार्य का पूर्ण किया जाना आवश्यक धन के उपलब्ध होने पर निर्भर है, जिसके विषय में इस समय निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

बांसडीह तहसील में कुछ ग्राम समाजों की भूमि

*१३३---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत तहसील बांसडीह के गांव समाज सीसोटार-सिलकर-कठाड़ा तथा डूहा-बिहरा-सिवान कलां में गांव समाज की कुल कितनी-कितनी भूमि है ?

*१३४---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांव समाजों की बंजर भूमि को उठाने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है।

बदायूं तथा बिसौली तहसीलों के नलकूप

*१३५---श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं) तथा श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील बिसौली तथा बदायूं के किस-किस नम्बर के सरकारी नलकूप का डिस्चार्ज (अ) १२,००० गैलन प्रतिघंटा से कम है, (ब) जीरो है ?

*१३६---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कूप कब तक reconstruct किये जा सकेंगे ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

तरबगंज तहसील में बाढ़ विभाग का काम

*१३७---श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज में बाढ़ विभाग, गोंडा से किन-किन गांवों की पटाई की गयी और कितने कुओं की मरम्मत की गयी ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है

ग्राम समाज कुरुमौता-गवनरिया से संबंधित कुछ लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

*१३८---श्री उग्रसेन---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माल विभाग के पत्र संख्या ६९९ पी०/१-अ, दिनांक १२ अप्रैल, १९५८ के संदर्भ में भूतपूर्व जमींदारों द्वारा देवरिया में सलेमपुर तहसील के ग्राम समाज कुरुमौता गवनरिया, कानून गोवाई भटनी की सार्वजनिक भूमि पर अनधिकार चेष्टा की शिकायत, जो उक्त गांव समाज के संबंध में थी उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न में वर्णित शिकायती पत्र में गांव समाज की भूमि से खर काटने वालों पर तथा भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी थी। खर काटने वाले ८ व्यक्तियों के ऊपर हाकिम परगना सलेमपुर के द्वारा जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-सी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी और १९ फरवरी, सन् १९५९ को फैसला दिया गया जिसमें प्रतिवादियों से १५० रुपये बाबत नुकसान गांव समाज खर वसूल करने के आदेश हुए हैं। अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति, के खिलाफ नियम ११५-सी के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। इस मुकदमें का फैसला होने के बाद अध्यक्ष के खिलाफ मुनासिब कार्यवाही की जायेगी।

*१३९-१४०---श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)---[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में कृषकों को तकावी

*१४१---श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में जिला मुजफ्फरनगर को कितना धन कृषकों को बैलों की तकावी के संबंध में दिया गया ?

श्री चरणसिंह---जिला मुजफ्फरनगर में कृषकों को बैलों की तकावी के लिये सन् १९५७ में १,२१४५० रुपय और सन् १९५८ में १,८८,४५० रुपये दिये गये।

*१४२—श्री बादामसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति कृषक न्यून से न्यून और अधिक से अधिक कितना धन दिया गया ?

श्री चरणसिंह—प्रति कृषक न्यून से न्यून ५० रुपया अधिक से अधिक २,००० रुपया दिया गया।

जटपुरा डीह ग्राम के निकट शारदा नदी का रुख बदलना

*१४३—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या यह सत्य है कि शारदा नदी, तहसील निघासन, जिला खीरी के गांव जटपुरा डीह के पास से अपना रुख बदल रही है ?

*१४४—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १९५८ की वर्षा में इस नदी के रुख बदलने के कारण कौन-कौन गांव प्रभावित हुए ?

*१४५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस नदी के रुख को ठीक दिशा में रखने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

जेलों के लिये खाद्यान्न-क्रय

*१४६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में जेलों के लिये कौन-कौन से खाद्यान्न कितनी-कितनी मात्रा में खरीदे गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में प्रदेश की जेलों के लिये निम्नलिखित मात्रा में खाद्यान्न खरीदे गये। इन संख्याओं में बलिया जिला जेल द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों की मात्रा नहीं सम्मिलित है क्योंकि उस जेल से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी है।

खाद्यान्न	मन
गेहूं	१,२९,०८६
चना	६०,६७४
जौ	१४६
अरहर	६,४५१
मसूर	१,९४४
उर्द	१,९६०
मूंग	१,७६१
चावल	९,६३६

*१४७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के मुकाबले १९५८-५९ के वर्ष में जेलों के हेतु खरीदे गये खाद्यान्नों की कीमत कितनी अधिक है और क्या वजन में भी खाद्यान्न अधिक खरीदना पड़ा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के मुकाबले १९५८-५९ में अधिक मात्रा में खाद्यान्न खरीदे गये। लगभग ४,७९,८५६ रुपया अधिक व्यय हुआ।

*१४८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में जेलों द्वारा निर्मित सामानों की कीमत तखमीना किये हुए कीमत के मुकाबले कितनी अधिक प्राप्त हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वित्तीय वर्ष कल ही समाप्त हुआ है। सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

खोह नदी तथा पन्याली सोत पर ब्लाकों का टूटना

*१४९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि गढ़वाल भावर में खोह नदी तथा पन्याली सोत पर जो "ब्लाक" भूमि के कटाव को रोकने के लिये बनाये गये थे वे बारिश पड़ने पर टूट गये ? यदि हां, तो सरकार ने फिर से ब्लाकों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में मध्यस्थ के विचाराधीन चकबन्दी के मुकदमे

*१५०---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक चकबन्दी के कितने मुकदमे आर्बीट्रेटर की अदालत में भेजे गये ?

श्री चरणसिंह---इस अवधि में कुल ४८० मुकदमे मध्यस्थ (arbitrator) की अदालत में भेजे गये।

*१५१---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---आर्बीट्रेटर की अदालत में चकबन्दी के जो मुकदमे सन् १९५७-५८ में भेजे गये थे उनमें कितने का निर्णय अब तक हो चुका है ?

श्री चरणसिंह---दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५८ तक इनमें से २२१ मुकदमों का निर्णय हो चुका था।

असिस्टेन्ट कन्सालिडेशन आफिसर्स की ट्रेनिंग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार

*१५२---श्री रामशरण यादव---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष दिसम्बर, १९५८ में ए० सी० ओ० (असिस्टेंट कन्सालीडेशन आफिसर्स) की ट्रेनिंग के लिये कुल कितने उम्मीदवार चुने गये ? कितने उनमें से हरिजन व कितने पिछड़ी जातियों के हैं ?

श्री चरण सिंह---दिसम्बर, १९५८ में इस पद के लिये कुल २८५ उम्मीदवार चुने गये। इनमें से ८ परिगणित जातियों के तथा २२ पिछड़े वर्गों के थे।

*१५३---श्री रामशरण यादव---हरिजन व पिछड़ी जातियों के कुल कितने प्रार्थियों ने ए० सी० ओ० की ट्रेनिंग के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री चरणसिंह---परिगणित जातियों के उम्मीदवारों के ६७ तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के ११७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे।

आगरा जिले में बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

*१५४---स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की तहसील किरावली में सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में बाढ़ से संरक्षण के लिये कौन-कौन से गांव ऊंचे किये गये हैं और इस कार्य में कितना धन व्यय हो चुका है ?

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

*१५५---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा में गर्की (water-logging) की समस्या को हल करने के लिये कहां-कहां पर कितने बरसाती नालों की योजना बनायी गयी है ? और उनमें से कहां-कहां पर नाले अब तक बनाये जा चुके हैं ?

*१५६---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसाती नालों में कार्य के लिये जिलाधीश आगरा को सवा लाख रुपया (१,२५,०००) कब दिया गया था और उस रुपये से अब तक कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य किया जा चुका है तथा कितना रुपया उक्त धनराशि में से अब तक खर्च किया जा चुका है ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

दमउत्तिया नलकूप की नाली की भूमि का मुआवजा तथा पडरौना तहसील में नलकूप

*१५७---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय नलकूप दमउत्तिया, तहसील पडरौना, जिला देवरिया, की नाली में जो जमीन ग्राम दमउत्तिया व सिधुआ बांगर के किसानों की निकली है उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है और उस जमीन का लगान किसानों से वसूल किया जा रहा है ?

*१५८---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में इस वर्ष १९५९ ई० में कितने तथा कहां नये नलकूप लगाये जायेंगे ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गाजीपुर जिले में उपल वृष्टि

*१५९---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले में २१ जनवरी, १९५९ को एक घंटा भीषण ओले की वर्षा हुई ?

श्री चरणसिंह---जी हां, गाजीपुर जिले के कुछ भागों में २१ जनवरी, १९५९ को लगभग एक घंटा भीषण ओले की वर्षा हुई ।

नानक-मता बाजार का अग्निकाण्ड

*१६०---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले सप्ताह में तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल के नानक-मता बाजार में आग लग गयी थी ? यदि हां, तो कितनी हानि हुई और सरकार की ओर से क्या सहायता दी गयी ?

श्री चरण सिंह---जी हां, १० फरवरी, १९५९ को आग लग गयी थी । इसके फलस्वरूप दस दूकानें जल गयीं तथा लगभग ३३,००० रुपये की हानि हुई । शासन द्वारा उन्हें मुफ्त लकड़ी व छप्पर बनाने का सामान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

खीरी परगने में फसल को हानि पहुंचाने वाले तालाब

*१६१---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के परगना खीरी में ऐसे कितने बड़े-बड़े तालाब व झीलें हैं जिनमें हर साल हजारों एकड़ जमीन मय फसल के डूब जाती है ?

*१६२---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन झीलों और तालाबों में कितना रकबा हर वर्ष डूब जाता है ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ तहसील के लेखपालों के विरुद्ध शिकायत की जानकारी

*१६३—श्री रामशरण यादव—लखनऊ जिले की लखनऊ तहसील के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में ११ फरवरी, १९५९ के प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि लेखपालों के विरुद्ध निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में शिकायत आयी है कि—

(१) बाढ़ से प्रभावित कुछ गांव सूची में नहीं दिये गये हैं ?

(२) बाढ़ से प्रभावित खातेदारों की सही सूची नहीं दी गयी है ?

(३) नुकसान की सही रिपोर्ट नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी । प्रश्न का अगला भाग उठता ही नहीं है ।

सिंचाई विभाग, जिला बिजनौर के कर्मचारी तथा मंडावर परगने में बाढ़ग्रस्त गांवों को ऊंचा करने की प्रार्थना

*१६४—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर में सिंचाई विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और किस-किस पद पर ?

श्री चरणसिंह—जिला बिजनौर में सिंचाई विभाग में कुल ६७२ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । इनके विवरण की सूची सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १८७–१८८ पर)

*१६५—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बिजनौर के परगना मंडावर में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण बहुत से गांव पानी में प्रायः डूबे से रहते हैं ? यदि हां, तो इसके लिये क्या सरकार उक्त गांवों का स्तर ऊंचा कराने के हेतु विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कनिगावां ग्राम से बरसाती पानी निकालने की प्रार्थना

*१६६—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव, तहसील हसनगंज के ग्राम कनिगावां के किसानों ने बरसाती पानी के निकालने के लिये मौजूदा ड्रेन को चौड़ा और गहरा करने के लिये कई प्रार्थना-पत्र एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, शारदा कैनाल, उन्नाव को दिये ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—जी हां । एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है और यह प्रार्थना-पत्र उचित कार्यवाही हेतु विचाराधीन है ।

कानपुर जिले के कुछ गांवों से बरसाती पानी निकालने की प्रार्थना

*१६७—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले में ग्राम खेड़ा, सनाया, हथेई, रठगांव आदि गांवों में वाटर-लागिंग हो जाता है जिसके कारण एक ही फसल उस अंचल में हो पाती है ?

*१६८—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि इन गांवों का पानी वर्षा के बाद निकल जाया करे ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

संगीत कलाकार यूनियन, लखनऊ की मांगों पर विचार

*१६९--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या लखनऊ शहर में संगीत कलाकार यूनियन नाम की संस्था का प्रतिनिधि-मंडल जनवरी, सन् १९५९ के प्रथम सप्ताह में समाज कल्याण मंत्री से शहर के संगीत कलाकारों की दिक्कतों के सम्बन्ध में मिला था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उक्त प्रतिनिधि-मंडल द्वारा रखी गयी मांगें तथा उस पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां। उक्त प्रतिनिधि मंडल द्वारा रखी गयी मांगों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचना यथा-शीघ्र सदन के सम्मुख रखी जायेगी।

अलीगढ़ ड्रेन को चौड़ी करने का कार्य

*१७०--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी वर्षा के पूर्व अलीगढ़ ड्रेन और मांट ब्रांच के नीचे साइफन को और चौड़े किये जाने का काम पूरा हो सकेगा ?

श्री चरणसिंह--अलीगढ़ ड्रेन को चौड़ा किये जाने का कार्य आगामी वर्षा से पूर्व पूरा हो जाने की आशा है। अलीगढ़ नाला मांट ब्रान्च को नहीं काटता है। इसलिये इसको और हाथरस ब्रान्च के नीचे साइफन को चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हाथरस ब्रान्च के नीचे साइफन अनुमानित अधिकतम जल निकास देने के उपयुक्त है।

खाद्य तथा पूर्ति विभाग से लिये गये सिंचाई विभाग के लिपिक

*१७१--श्री गौरीशंकर राय--क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सिंचाई विभाग में कितने लिपिक हैं जो खाद्य तथा पूर्ति विभाग कर्मचारियों में से लिये गये थे ?

*१७२--सिंचाई विभाग में इनको सरकार कब तक स्थायी कर देगी क्या सरकार इनकी सेवाओं को देखते हुए इन्हें विभागीय परीक्षाओं के बन्धन से मुक्त करेगी ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

गढ़वाल जिले में भूकम्प पीड़ितों को गृह निर्माणार्थ तकावी

*१७३--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लगभग एक-डेढ़ मास पूर्व पर्वतीय चार जिलों में जो भूकम्प आये उनसे अल्मोड़ा के अतिरिक्त अन्य जिलों में कितना नुकसान और कहां-कहां हुआ और भूकम्प पीड़ितों को कितनी सहायता कहां-कहां दी गयी ?

श्री चरणसिंह--नैनीताल जिले में भूकम्प से क्षति होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। टेहरी-गढ़वाल में भूकम्प से केवल टेहरी के सार्वजनिक निर्माण निरीक्षण भवन के दो कमरों को थोड़ी-सी क्षति पहुंची और टेहरी के महाराजा के शीश महल में दरारें पड़ गयी हैं। इन दोनों क्षति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं समझी गयी। गढ़वाल में भूकम्प से हुई क्षति का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। सहायता के सम्बन्ध में मकान बनाने के लिये तकावी वितरण करने हेतु ४,२०० रुपया स्वीकृत कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १८९ पर।)

मार्टिन ऐण्ड बर्न कम्पनी को दिये गये ऋण की शर्तें

*१७४—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुपूरक अनुदान संख्या ५२ के द्वारा जो मार्टिन एण्ड बर्न बिजली कम्पनी को १ करोड़ रुपया ऋण के तौर पर दिया गया, उसकी क्या शर्तें हैं ?

श्री चरणसिंह—मार्टिन बर्न कम्पनी को गत वित्तीय वर्ष में ४२ लाख रुपये का ऋण दिया गया। उसकी शर्तें संलग्न †सूची में दी हैं।

*१७५—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—मार्टिन बर्न कम्पनी को सरकार ने जो अन्य ऋण अब से ५ साल के भीतर दिये हैं उनकी शर्तें व आज तक की अदायगी की क्या हालत है ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

मड़ियाहूं शाखा नहर में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*१७६—श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील के जिन-जिन गांवों से मड़ियाहूं नहर जाती है उनमें स किन गांवों के किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है और खाते की मालगुजारी कम कर दी गयी है ?

श्री चरणसिंह—मड़ियाहूं शाखा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर के ४० ग्रामों से होकर जाती है जिनकी सूची संलग्न है। इनमें से निम्नलिखित १३ ग्रामों में भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है :

(१) नाहरभाऊ
(२) परहुआ
(३) बजहा
(४) पूरहरनारायण
(५) कुटांव
(६) जमालपटी
(७) मटियाही
(८) डोमपुर
(९) सराय खानी
(१०) दाऊदपुर
(११) उमरपुर
(१२) बहारपुर
(१३) गोहानी

उपरोक्त ४० ग्रामों में से सराय चेतन और आमीपुर के अतिरिक्त अन्य समस्त ग्रामों में भूमि कर वसूली स्थगित कर दी गयी है। इन दो ग्रामों में भूमि कर वसूली अभी तक स्थगित न किये जाने के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १९० पर)

खीरी जिले के नलकूप

*१७७—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में कितने ट्यूबवेल (नलकूप) बने हैं और कितने और किस-किस जगह पर बनेंगे ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

तहसीलदार मौदहा की कचहरी में सेहत कागजात के मुकदमे

*१७८—श्रीमती राजेन्द्र कुमारी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर के तहसीलदार तथा हाकिम परगना की कचहरी में जनवरी, सन् १९५९ तक कुल कितने मुकदमे बाबत सेहत कागजात (रेवेन्यू रिकार्ड्स) तथा काबिज, गैर-काबिज के संबंध में थे और उनमें से कितने ऐसे थे जो दो वर्ष से पहले दायर हो चुके थे और अब तक फैसल नहीं हुए।

---

†सूची छापी नहीं गयी ?

श्री चरणसिंह--तहसीलदार मौदहा, जिला हमीरपुर की कचहरी में जनवरी, सन् १९५९ तक २९२ मुकदमे सेहत कागजात तथा काबिज गैर-काबिज के थे तथा हाकिम परगना मौदहा की कचहरी में केवल १ मुकदमा बाबत सेहत कागजात का था। इनमें से कोई भी मुकदमा २ साल से अधिक पुराना नहीं था।

राबर्ट्सगंज दुद्धी तहसील में तकावी का वितरण

*१७९--श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रबी, सन् १९५८ के सिलसिले में किसानों को तकावी बांटने के लिये राबर्ट्सगंज दुद्धी तहसील, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्रदान की थी?

श्री चरणसिंह--रबी, सन् १९५८ के सिलसिले में तहसील राबर्ट्सगंज और दुद्धी, जिला मिर्जापुर में किसानों को बांटने के लिये क्रमशः ६९,५०० रुपया व ८५,५०० रुपया निर्धारित किया गया था।

*१८०--श्री शोभनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस धनराशि में कितनी बांटी गयी और कितनी शेष रही?

श्री चरणसिंह--तहसील राबर्ट्सगंज में ५४,३७० रुपया बांटा गया और १५,१३० रुपया शेष रहा तथा तहसील दुद्धी में ७५,५०० रुपया बांटा गया और १०,००० रुपया शेष रहा।

*१८१--श्री शोभनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त धनराशि में जो शेष रही वह क्यों नहीं बांटी गयी?

श्री चरणसिंह--तहसील राबर्ट्सगंज में १५,१३० रुपया इस कारण नहीं बांटा गया कि प्रार्थीगण बाकीदार थे और तहसील दुद्धी में शेष धनराशि १०,००० रुपया बैलों की तकावी के लिये निर्धारित थी जिसके लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

देवरिया जिले की बाढ़ योजनाओं पर व्यय

*१८२--श्री उग्रसेन--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में बाढ़ से बचाव के लिये कौन-कौन सी योजनायें परिचालित की गयी थीं?

*१८३--उक्त योजनाओं की पूर्ति में प्रदेश के राजस्व का कितना धन उक्त अवधि में लगा?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है।

रामगंगा योजना तथा गंगा नहर की शाखाओं को बढ़ाने पर विचार

*१८४--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा बांध कब तक बनकर गंगा नहर के पानी में वृद्धि कर सकेगा?

श्री चरणसिंह--रामगंगा योजना के प्रति सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन की स्वीकृति अभी तक नहीं हो सकी है। कमीशन की स्वीकृति प्राप्त हो गयी और तृतीत योजना-काल में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था हो जायेगी तो तृतीय योजना काल के पश्चात् गंगा नहर में पानी की मात्रा में वृद्धि की आशा की जा सकेगी।

*१८५--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि सरकार गंगा नहर की नहरों को बांध बनाने के पूर्व बढ़ाने को सोच रही है? यदि हां, तो सरकार उन नहरों, रजबहों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी, जिनको वह बढ़ाना चाहती है?

श्री चरणसिंह--जी हां, लोअर गंगा नहर से राम-गंगा योजना के अन्तर्गत उप-शाखायें निकालने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। नयी तथा बढ़ाई जाने वाली नहरों के प्रति अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

*१८६--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोअर गंग नहर के कानपुर, इटावा व भोगनीपुर डिवीजनों में कोई ऐसा आदेश प्रचलित है कि जिसके अनुसार किसी खेत में एक दो (खेत के छोटे भाग में) बिसवें में नहर का पानी जाने पर पूरे खेत को आबी लिख दिया जाता है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इस संबंध में सरकार क्या सोच रही है?

श्री चरणसिंह--प्रथम भाग--जी नहीं।

दूसरा भाग--प्रश्न ही नहीं उठता।

फैजाबाद जिले में लेखपालों की बहाली

*१८७--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य** (जिला आगरा)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यादेश संख्या ८७९८/आई० वी०-१५७५८--५७, दिनांक अगस्त ३०,१९५८ जो तमाम जिला आफिसरों को भेजा गया था उसके अन्तर्गत फैजाबाद जिले के कितने लेखपाल आते हैं। उनके नाम और पते क्या हैं तथा उनमें से अब तक कितने अपने पदों पर बहाल किये गये और जो बहाल नहीं किये गये उनको बहाल न करने का क्या कारण है?

श्री चरणसिंह--आलोच्य राज्यादेश के अन्तर्गत फैजाबाद जिले के १६ लेखपाल आते ह। उनके नाम और पतों की सूची प्रस्तुत है। यह सभी लेखपाल बहाल किये जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १९१ पर)

सगड़ी तहसील में ओला-पीड़ितों को सहायता

*१८८--**श्री विश्रामराय**--क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के २१ जनवरी, १९५९ को उपलवृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों में मधनापार, पंडरी वगैरह में गल्ले की दूकान टस्ट वर्क तथा मकान बनाने के लिय आवश्यक तकावी की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है?

श्री चरणसिंह--यह सत्य नहीं है। पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ सस्ते गल्ले की दूकानें तथा टेस्ट वर्क खोले गये और तकावी के वितरण की भी व्यवस्था की गयी है।

ग्राम रती के नगला (टुंडला) से बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र

*१८९--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रती के नगला (टूंडला) आगरा के निवासियों ने बिजली प्राप्त करने के लिये गत दो वर्ष से प्रार्थना-पत्र दिये हैं और इसके लिये जमानत भी जमा कर दी है?

श्री चरणसिंह--जी हां। ३३ प्रार्थना-पत्र अभी तक आये जिनमें से केवल १३ प्रार्थियों ने जमानत जमा कर दी है।

*१९०--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**--क्या राजस्व मंत्री यह सूचना देने का कष्ट करेंगे कि इन ग्रामीणों को बिजली प्रदान करने की आज्ञा देने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री चरणसिंह--थोड़े खर्चे से अधिक लाभ वाले क्षेत्रों को पहले बिजली देने के हेतु जेनरल सर्वे (General survey) किया जा रहा है। इसलिये अभी किसी विशेष स्थान को बिजली देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सहारनपुर जिले की बाढ़-ग्रस्त बेकार जमीन

*१९१--श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर)--क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला सहारनपुर में बाढ़ का पानी अधिक बढ़ जाने के कारण जमीन बेकार कहां कहां पड़ी है और क्या इस पानी को निकलवाने की कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गाजीपुर जिले में गांवों को ऊंचा करने पर व्यय

*१९२--**श्री रघुवीरराम**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में बाढ़ विभाग द्वारा अब तक जो ग्राम ऊंचे किये गये हैं उन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह--गाजीपुर जिले में गांव ऊंचे करने में अब तक कुल ४२, ९१,४९६ रुपया व्यय हुआ ।

वाराणसी जिले में बाढ़-सुरक्षा-कार्य

*१९३--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में बाढ़ से सुरक्षा योजना के अनुसार किन-किन तहसीलों के किन-किन परगनों में कौन-कौन गांव पूरी तौर से ऊंचे किये जा चुके हैं और किन-किन गांवों का कार्य अधूरा है ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१९४--**श्री ऊदल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी तहसील के बरुनी गांव के मजोखरा ताल से पानी निकालने के लिये बाढ़ से सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कोई नाला निकालने की स्कीम थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१९५--**श्री ऊदल**--क्या सरकार यह बताने की करेगी कि क्या तहसील चन्दौली के पचोखर ताल से पानी निकालने की स्कीम चालू की गयी है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, पचोखर ताल से पानी के निकास के हेतु एक छलका (weir) बनाया गया है जिसकी लम्बाई २९० फुट है ।

सिंचाई विभाग कालोनी, आजमगढ़ पर व्यय

*१९६--**श्री मोहनलाल वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग कालोनी, आजमगढ़ में सरकार द्वारा दफ्तर तथा अधिकारियों के रहने के क्वार्टर्स किस-किस कार्य के लिये तथा किन-किन अधिकारी वर्ग के लिये बनाये गये हैं ? क्या सरकार उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सिसांवा व गजमोचननाथ के बीच झील के पानी के निकास के लिये प्रार्थना

*१९७--**श्री बंशीधर शुक्ल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला खीरी में गोला से जोड़ौरा होकर सिसांवा और गजमोचन नाथ तक जो झील है उसके पानी को निकाल कर जमीन खेती योग्य बनाने का कोई आयोजन है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शाहजहांपुर जिले की बंजर भूमि

*१९८—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिला में चारों तहसीलों में पृथक-पृथक कितनी जमीन जमींदारी उन्मूलन होने से पूर्व १-१-१९५२ को बंजर पड़ी थी ?

श्री चरणसिंह—जिला शाहजहांपुर में कुल ११७,२८६ एकड़ भूमि जमींदारी उन्मूलन होने से पूर्व १-१-१९५२ को बंजर पड़ी थी, जिसका तहसीलवार विवरण निम्न है :—

तहसील	क्षेत्रफल
	एकड़
शाहजहांपुर	३३,६३४
पुवायां	३६,१२७
जलालाबाद	३९,३२८
तिलहर	८,१९७
योग ..	११७,२८६

*१९९—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १-१-१९५९ को अब कितनी भूमि चारों तहसीलों में पृथक-पृथक बंजर पड़ी रह गयी है ?

श्री चरणसिंह—अब जिला शाहजहांपुर में १-१-१९५९ को कुल ८६,८५६ एकड़ भूमि बंजर पड़ी रह गयी है, जिसका तहसीलवार विवरण निम्न है :—

तहसील	क्षेत्रफल
	एकड़
शाहजहांपुर	३२,५७०
पुवायां	१७,३९६
जलालाबाद	३०,६८०
तिलहर	६,२१०
योग ..	८६,८५६

राज्य में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने का कार्य

*२००—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि पर खेती होती है और कितनी भूमि बंजर काबिल काश्त बिना खेती के पड़ी है ?

*२०१—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितनी कितनी नयी बंजर काबिल काश्त भूमि पर सरकार द्वारा और गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा तोड़ कर खेती करना शुरू हुई ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले में महिला मंगल योजनान्तर्गत कार्य तथा राज्य समाज सलाहकार बोर्ड के अन्तर्गत जिला समितियों की अध्यक्षाओं के त्यागपत्र

*२०२---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ से आज तक महिला मंगल योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में क्या-क्या कार्य हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १९२ पर)

*२०३---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ तक कितने जिलों में महिला मंगल योजना चालू की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१ जनवरी, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ तक किसी नये जिले में महिला मंगल योजना नहीं चालू की गयी।

*२०४---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के तत्वावधान में कितनी जिला समाज कल्याण समितियों की अध्यक्षाओं ने वर्ष १९५५, १९५६, १९५७ व १ जनवरी, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५८ तक त्याग-पत्र दिये और हटायी गयीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१९५५ से ३१ अगस्त, १९५८ तक राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के तत्वावधान में चलने वाली दस जिला समितियों की अध्यक्षाओं ने त्यागपत्र दिये और चार जिला समितियों की अध्यक्षायें हटायी गयीं।

अतारांकित प्रश्न

रिहन्द योजना

१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या रिहन्द योजना के व्यय का कुछ भाग सिंचाई विभाग से लिया जायगा ? यदि हां, तो कितनी धनराशि ली जायेगी तथा उससे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी ?

२---जितनी बिजली पैदा होगी उसमें से बिड़ला अल्युमुनियम प्लान्ट को कितनी बिजली देने का वायदा किया गया है तथा साहूजैन केमिकल फैक्टरी उत्तर रेलवे और मध्य प्रदेश सरकार में से हर एक को कितनी-कितनी ?

३---इन सब को देने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को (अ) सिंचाई (ब), घरेलू धन्धों, तथा (स) रोशनी इत्यादि के लिये कितनी-कितनी बिजली दी जायगी ?

४---कुल कितनी धनराशि इस बांध के निर्माण में खर्च होगी उसमें से क्रमशः (१) बांध के निर्माण, (२) विद्युत गृह, और (३) ट्रांसमीशन लाइन्स पर कितना-कितना व्यय होगा ?

श्री चरणसिंह---सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहसवान को बिजली देने की प्रार्थना

५---श्री उल्फतसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला बदायूं, कस्बा सहसवान में बिजली लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---थोड़े खर्च से अधिक लाभ वाले क्षेत्रों को पहिले बिजली देने के हेतु जनरल सर्वे (General Survey) किया जा रहा है। इसलिये अभी किसी विशेष स्थान को बिजली देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[इक्कीसवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

श्री गौरीशंकर राय द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के संबंध में आज के संबंधित मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं । आज के. . . .

श्री अध्यक्ष—आपने इसका नोटिस दे दिया है, अब मेरे पास लिखकर भेज दीजिये ।

प्रश्नों के बारबार स्थगन पर आपत्ति

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—प्रश्नों के संबंध में मुझे एक निवेदन करना है । जब आप दूसरी बार प्रश्नों को स्थगित करने लगें तो आपसे निवेदन है कि उस संबंध में जांच कर लें कि जिससे हकतलफी न हो । कल के एजेन्डा पर हमारा एक प्रश्न था जो दूसरी बार स्थगित किया गया । मैं चाहता हूं कि उसका कारण सदस्यों को मालूम हो जाय कि क्यों आप ऐसी इजाजत देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें ।

प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब की शिकायत

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—मेरा प्रश्न १०४ आज के एजेन्डा में है । यह तारांकित प्रश्न के रूप में ३-२-५९ को रखा गया था । यह सूचना मंत्री जी के कार्यालय में ही मिल सकती थी । फिर भी, इस प्रश्न का उत्तर दो महीने तक न मिलने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आकर बतावें तो मैं मंत्री जी से पूछूंगा ।

डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यों ने समाचार-पत्रों में डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप के निधन का समाचार पढ़ा होगा। डाक्टर ब्रिजेन्द्र-स्वरूप हमारे प्रदेश की पुरानी पीढ़ी के प्रतिष्ठित और विद्वान कार्यकर्त्ताओं में थे और उनके उठ जाने से न केवल कानपुर शहर का बल्कि इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनका कार्यक्षेत्र केवल राजनीति तक नहीं, बल्कि दूसरे कामों तक भी फैला हुआ था। राजनीति के लिए इतना ही कहना काफी है कि वह पुराने वक्तों के लिबरल विचार के अच्छे नेता थे। पुरानी कौन्सिल के, जिसकी कि यह असेम्बली उत्तराधिकारिणी है, वह सदस्य रह चुके थे, और आजकल की कौन्सिल के भी २० वर्षों तक सदस्य रहे। इसके अलावा, विद्या का प्रेम भी उनका इस बात से स्पष्ट होता है कि आज कानपुर का डी० ए० वी० कालेज, जो कि हमारे प्रदेश के कालेजों में अग्रगण्य है, उसकी वर्तमान उन्नति का श्रेय डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप को ही है। वह १९३२ में उसकी प्रबन्धकारिणी समिति के सभापति हुए, अध्यक्ष हुए, और सन् १९५२ तक इस पद पर रहे। इसके अलावा, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार कौन्सिल के वाइसप्रेसीडेंट रहे और आगरा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी आफ़ ला के २१ वर्ष तक डीन रहे। वह कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रह चुके हैं। सच तो यह है कि कानपुर में शायद ही कोई ऐसी शैक्षिक या सांस्कृतिक संस्था होगी जिससे उनका संबंध न रहा हो और जिसको उनसे बराबर सहायता न मिलती रही हो। वह इधर एक महीने से बीमार थे, हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब था, लेकिन फिर भी कर्त्तव्य-पालन का उनको यहां तक खयाल था कि बीमारी की हालत में भी जब तक संभव हुआ वह बराबर पुरानी कौन्सिल में आते थे। लगभग १ साल या डेढ़ साल से उन्होंने कौन्सिल से अपने संबंध का विच्छेद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कर लिया। उनके दो लड़के इस समय भी कौंसिल के सदस्य हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया उनके उठ जाने से प्रदेश की बहुत क्षति हुई है और मेरा आपसे यह निवेदन है कि उनके परिवार के पास हम लोगों की समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भावनायें स्वर्गीय माननीय ब्रिजेन्द्रस्वरूप जी के संबंध में प्रकट की हैं, उनसे मैं अपने आपको जोड़ता हूं। माननीय ब्रिजेन्द्र स्वरूप जी की सेवायें कुछ क्षेत्रों में अनुकरणीय हैं। वह एक ऐसे परिवार के सदस्य रहे हैं जिसका सार्वजनिक जीवन से घनिष्ट संबंध रहा है। इस अवस्था में भी जब कि वे करीब ८० वर्ष के थे, उन्होंने सार्वजनिक जीवन से प्रेम रखा। इस काम से उनका इतना घनिष्ट संबंध होना ही इस बात को बतलाने के लिये काफी है कि उनकी भावनायें कैसी थीं। मुझे यह मालूम हुआ है कि जिस जमाने में जमींदारी एबालीशन का सवाल था और इसके ऊपर खींचतान हो रही थी कि जमींदारी एबालीशन किया जाय या नहीं उन्होंने इस प्रगतिशील कदम का समर्थन किया था। इससे मालूम होता है कि उनको देश की प्रगति से प्रेम था। ऐसा आदमी आज हमारे देश से उठ गया। चाहे उनकी अवस्था कोई भी क्यों न हो, लेकिन अगर वह हमारे बीच में होते तो अवश्य ही हमारे लिये वह उपयोगी होते और हम लोग उनकी सेवाओं से लाभ उठाते। इसलिये उनके विषय में जो भी भावनायें प्रकट की गयी हैं, मैं उनसे सहमत हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोगों के साथ हमारे सभी साथियों की तरफ से समवेदना और सहानुभूति प्रकट कर दी जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय ब्रिजेन्द्रस्वरूप जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध आज से ३७-३८ वर्ष पहले हुआ था। सन् २१-२२ में जब मैं मासिक 'प्रभा' और दैनिक और साप्ताहिक 'प्रताप' का संपादक था तथा कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी का सभापति था, तब से मेरा उनसे परिचय हुआ और तब से मेरा वह संबंध आज तक बना रहा। सूबे की विधान परिषद् में १९४७ से लेकर १९५२ तक मेरा और उनका सदस्य के नाते साथ रहा, इसलिये उनके निधन से जो प्रदेश के लिये क्षति हुई है, मेरे लिये वह व्यक्तिगत आघात भी है। उनके गुणगान की जो स्वल्प चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी और गेंदा सिंह जी ने की, उन सब से मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से और हमारे दल की ओर से उनके परिवार के लिये हार्दिक समवेदना आप भेज दें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें शांति दे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप के निधन को अखबारों में पढ़ कर मुझे बड़ा दुख हुआ। डाक्टर साहब कानपुर के राजनीतिक जीवन में ही नहीं शिक्षा क्षेत्र में भी और जो उनका खास पेशा वकालत था। उसमें भी यद्यपि वे दिलचस्पी बहुत कम लेते थे, फिर भी बहुत योग्य और प्रतिष्ठित वकील थे। उनके विद्या-व्यसन के संबंध में मैं यह कहूं तो अत्युक्ति न होगी कि सबसे अधिक समय और प्रयत्न उन्होंने विद्या की उन्नति में किया और दयानन्द कालेज आज उसके लिये बहुत बड़ी क्षति महसूस कर रहा है कि ऐसा अच्छा संचालक और अभिभावक उसका नहीं रह गया। इतना ही नहीं डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप का प्रयास उन अवसरों पर जब कि कानपुर में कभी हिन्दू-मुस्लिम दंगा होता था तो वहां शांति स्थापित करने के लिये दोनों ओर से एक सहयोग की भावना लाने के लिये होता रहा है। डाक्टर साहब के निधन से जो क्षति राजनीतिक क्षेत्र में, कानपुर के शिक्षा जगत में और कानून के जगत में हुई है उस क्षति की पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। मैं इन शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी और हमारी पार्टी की समवेदना उनके दुखी परिवार के प्रति भेजने की कृपा करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप के बारे में कहीं या माननीय गेंदा सिंह, माननीय पालीवाल जी और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहीं, मैं उन सब बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, यह सत्य है कि डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप का शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा स्थान था और विशेषकर उनके जीवन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रहा है। ऐसे व्यक्ति का निधन समाज के लिये दुखद होता ही है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जनसंघ की ओर से और मेरी ओर से हम सब की समवेदना उनके दुखी और संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे स्वर्गीय डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप से मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय पहले से नहीं था, लेकिन ३ महीने पहले मुझे स्वयं कानपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस अवसर पर मैं स्वर्गीय डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप और उनके परिवार के लोगों से मिला था। उस समय मैंने देखा था कि कानपुर के विद्यार्थियों के अन्दर और वहां के नागरिकों के अन्दर, जो स्वर्गीय ब्रिजेन्द्रस्वरूप की देन थी, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा आदर उनके प्रति उन सबों में था। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से समाज की भारी क्षति हुआ करती है। मैं भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने और अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो अपनी भावनायें प्रकट की हैं उनसे अपनी सहमति प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी तथा मेरी पार्टी की इस भावना को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की आप कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—आदरास्पद डाक्टर ब्रिजेन्द्रस्वरूप के निधन पर माननीय नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने अपने अपने दल की ओर से जो दुख की भावना प्रकट की है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्री ब्रिजेन्द्रस्वरूप की अवस्था ८२ वर्ष की थी। इस अवस्था में भी वे सार्वजनिक कार्य अन्त तक करते रहे। मेरा उनका सम्पर्क, मैं नहीं कह सकता कि कितने वर्षों से था लेकिन करीब १५, २० वर्षों से तो अवश्य हुआ होगा। मेरा उनका पहला परिचय एक सामाजिक कार्य से ही, जिसे आप कौटुम्बिक कार्य कह सकते हैं, यानी विवाह के कार्य के संबंध में ही, एक उत्सव में हुआ था। उनके लड़के की शादी झांसी के एक प्रतिष्ठित लिबरल नेता की नातिन के साथ हुई थी। तभी मैंने देखा था कि न केवल कानपुर के ही लोग उनका आदर करते थे बल्कि झांसी भी उनके आदर और सम्मान के लिये टूट पड़ी थी। तब से मेरी उनकी जानकारी है। कौंसिल के कार्य के संबंध में उनकी बड़ी ऊंची ख्याति रही है। अभी माननीय गेंदा सिंह ने कहा ही है कि जमींदारी विनाश के कार्य में उनका कितनी सहयोग सरकार के साथ रहा है और उनसे कितनी कानूनी मदद सरकार को प्राप्त होती रही है, यद्यपि वह लिबरल कहे जाते थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी उनकी सहायता लेने का सन् ५१ के चुनाव में मौका आया और मेरी प्रार्थना पर वे कानपुर से झांसी आये थे और जातिपांति की कल्पना को छोड़कर उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर ही मेरी सहायता की थी। आप किसी भी क्षेत्र में देखें हर क्षेत्र में उनके लिये कहा जा सकता है कि वे लोगों के सहायक रहे, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। परन्तु उनकी सेवा शिक्षा कार्य में विशेषतः रही है और कानपुर की कोई भी शिक्षण संस्था ऐसी न होगी जिस को उनकी सहायता प्राप्त न हुई हो और जिसने उनसे प्रेरणा प्राप्त न की हो। डी० ए० वी० कालेज के जलसों में करीब-करीब साल दो साल के बीच में एक दो बार जाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। जब उस सौम्य मूर्त्ति को जिसका सब कोई आदर करता था मैं उन जलसों के बीच में प्रतिष्ठित देखता था और जब उनको सब से प्रेम से बातें करते हुए देखता था तो हृदय गद्गद हो जाता था। ऐसे, सब के आदरास्पद व्यक्ति के चले जाने से समाज का भारी नुकसान हुआ है जिसकी कि क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं दिखायी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

देता लेकिन होनहार के सामने सब को सिर झुकाना है। उनके संतप्त परिवार के प्रति जो समवेदना और दुख प्रकट किया गया है उसको मैं उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा और अब हम उनकी महान् आत्मा की शांति के लिये २ मिनट के लिये खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने अपने स्थान पर खड़े हुए।)

श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास २ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री जंग बहादुर वर्मा ने भेजा है उसी विषय के ऊपर जिस पर कि कल नियम ५२ के अनुसार उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया था, मैंने उसकी इजाजत उनको कल भी नहीं दी थी और आज भी मैं इसको इतना आवश्यक यानी अरजेंट नहीं समझता कि जिसकी इजाजत दी जाय।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, कल के सम्बन्ध में मैं....

श्री अध्यक्ष--मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

मुबारकपुर टाउन एरिया में दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब श्री मलिखान सिंह जी ने आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर टाउन एरिया के सम्बन्ध में वहां पर जो दंगा हुआ है उसके विषय में उनका आक्षेप यह था कि पुलिस की लापरवाही से वहां की हिन्दू जनता आतंकित हो गई और वह अपने घरों को छोड़कर बाहर जा रही है। इस सम्बन्ध में वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। मैं इसको अनिश्चितता के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात की सूचना दे देना चाहता हूं कि इस संबंध में जो वहां का झगड़ा हुआ गृह मंत्री जी ने उस रोज कहा था वक्तव्य देते हुए कि वह जांच कर रहे हैं और जब पूरी जांच हो जायगी तो उस संबंध में सदन में वे फिर से उस पर प्रकाश डालेंगे। तो जिस वक्त वह वक्तव्य दें उस वक्त यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है तो उस पर विचार किया जा सकता है, और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जबकि कामरोको प्रस्ताव उनके पास भेज दिये गये हैं---अपने वक्तव्य में इस सदन में जो सूचना देना चाहते हैं, उसके साथ इस खबर पर भी जिसकी उन्हें आज सूचना दी गई है तहकीकात करके सूचना देवें तो उचित ही होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी से पूछ लें कि वक्तव्य आज या कल में देना चाहते हैं? इस संबंध में तार आया हुआ है। उनसे पूछ लिया जाय कि कब वक्तव्य देना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री जी, क्या वक्तव्य आज कल के बीच में आप देने वाले हैं?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---यह कहना मुश्किल है, इसलिये कि अभी रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है। जांच हो रही है, यह मैं जानता हूं। तो उसकी रिपोर्ट आ जाने पर ही कुछ कहा जायगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी अपनी सूचना देंगे आपने कल यह आज्ञा दी थी मेरे कामरोको प्रस्ताव के संबंध में।

श्री अध्यक्ष---उसके संबंध में मैंने कहा था कि तहसील का मामला है, उसमें तहकीकात करके वह सूचना देंगे। लेकिन आज ही वक्तव्य देने के लिये बात नहीं थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मालूम हो जाय कि कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह तो तहकीकात करके सूचना देंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---कोई सूचना उनके पास....

श्री अध्यक्ष---इस संबंध में कोई इजाजत नहीं दूंगा जबतक कि पूरी तहकीकात नहीं हो जाती।

नियम ५२ के अन्तर्गत रिहन्द बांध की बिजली बिड़ला ब्रदर्स को देने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार कुछ मेरे पास सूचनाएं आई हैं। उनमें से एक की इजाजत दे रहा हूं। श्री उग्रसेन जी का कथन है कि "राज्य सरकार ने अभी हाल में निश्चय किया है कि रिहंद बांध की बिजली में से ५६,००० किलोवाट बिजली प्राइवेट सेक्टर में "मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स" अल्मूनियम फैक्टरी को दी जावेगी। इस कारण पूर्वी प्रदेश के १६ जिलों में बिजली न देकर केवल मिर्जापुर तथा वाराणसी को ही बिजली दी जावेगी जिससे ट्रांसमिशन लाइन का खर्च कम हो जाने से केन्द्रीय सरकार ने योजना के धन में ६ करोड़ की कमी कर दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य की जनता में घोर निराशा व्याप्त है तथा नियोजन के जनोपयोगी सिद्धान्तों का हनन हुआ है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्पष्टीकरण एवं चर्चा के लिये नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत करता हूं।"

माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय पर वक्तव्य आज देना चाहें तो आज नहीं तो किसी और दूसरे रोज दे दें।

(डाक्टर सम्पूर्णानन्द से) आप आज ही देंगे ?

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कुछ सूचना देना संभव है वह मैं आपके सामने उपस्थित कर देता हूं। जहां तक कि इस बात का जिक्र है कि केन्द्रीय सरकार ने योजना में से ६ करोड़ काट दिया, पहले-पहल तीन-चार दिन हुए लखनऊ के एक अंग्रेजी दैनिक-पत्र में यह खबर छपी थी। जहां तक मुझको ज्ञान है, यह खबर बिलकुल गलत है। हमारे यहां केन्द्रीय सरकार से इस किस्म का कोई खत या किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई। इस बात को तो मैं बिलकुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। दूसरी बात एक और भी कह देना चाहता हूं, यों उसका जिक्र पहले भी आ चुका है। यह बिलकुल सही बात है कि हम चाहते हैं कि अल्मूनियम का कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। इस वक्त अल्मुनियम का बहुत महत्व है और तीन चार प्रादेशिक सरकारें इस कोशिश में हैं कि यह कारखाना उनके यहां स्थापित हो लेकिन कई सरकारों में हम भी हैं और हम जरूर चाहते हैं कि वह कारखाना हमारे यहां स्थापित हो।

इतना मैं और कह देना चाहता हूं कि यों तो केन्द्रीय सरकार के लिये सभी प्रादेशिक सरकारें बराबर हैं और वह न्युट्रल है उनके बीच में फिर भी उत्तर प्रदेश में अल्मुनियम का कारखाना स्थापित हो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की भी सहानुभूति हमारे साथ है। इतना तो मैं कह सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा कहना इस वक्त मेरे लिये सम्भव नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में कई पक्षों में बातचीत चल रही है, जैसे केन्द्रीय सरकार, उत्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रदेश, सरकार मध्य प्रदेश सरकार, वह लोग जो कारखाना चलाना चाहते हैं और कुछ हद तक बिहार सरकार भी । ऐसी हालत में इस वक्त इस विषय में इससे ज्यादा कुछ कहने में असमर्थ हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कैबिनेट में इस पर निश्चय ले लिया गया है कि रिहंद डैम से १ लाख ५ हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी और उसमें से ५६ हजार किलोवाट इस फैक्टरी को दे दी जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कैबिनेट के फैसले जब तक सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने न आवें तब तक मैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---इस योजना के पूरी हो जाने पर कितने किलोवाट बिजली पैदा होगी और उसको किस प्रकार से खपाने का प्रबन्ध सरकार करेगी, इसको बतलाने की मुख्य मंत्री जी मेहरबानी करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बिजली तो १ लाख ५ हजार किलोवाट पैदा होगी लेकिन उसके खपाने का क्या प्रबन्ध होगा वह इस वक्त नहीं कहा जा सकता ।

श्री गेंदासिंह---क्या कोई योजना इस प्रकार की बना ली गयी है कि यह जो बिजली होगी वह कारखाने के काम के लिये कितनी दी जायगी और और जगहों के काम के लिये कितनी दी जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने निवेदन किया कि सब बातें तय हो जाने पर ही कुछ कह सकता हूं ।

श्री उग्रसेन---क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एस्टीमेटेड कास्ट पर किलोवाट कितनी आ रही है और बिड़ला कंसर्न्स को बिजली किस रेट पर देने की बात की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह मैंने अभी निवेदन किया कि जो कारखाना चलाना चाहते हैं उनसे बातचीत चल रही है और एस्टीमेटेड कास्ट की बाबत मैं इसलिये निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि जिन लोगों से बातचीत चल रही है उस बातचीत पर निर्भर करेगा कि एस्टीमेटेड कास्ट क्या होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है कि बिड़ला ब्रदर्स को कितनी बिजली इसमें से दी जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि सब बातें ठिकाने से तय हो जायं और ऐसी शर्तें तय हों और हमारे उत्तर प्रदेश के लिये हर दृष्टि से अनुरूप हों तो सम्भव है कि ५० हजार किलोवाट के करीब उनको देनी पड़े लेकिन मैं नहीं कह सकता कि क्या फाइनली तय होगा ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलायेगी कि इसमें जो बिजली बिड़ला ब्रदर्स को दी जा रही है उसके रेट्स क्या होंगे ? क्या इस विषय पर भी उनसे कुछ बातचीत हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने बतलाया कि बातचीत हो रही है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि वर्तमान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है कि बिड़ला ब्रदर्स को अल्मुनियम के कारखाने के लिये बिजली दी जायगी वह कास्ट प्राइस से कम पर दी जावेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किसी हालत में भी ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि एक्सपर्टस् कमेटी ने सरकार को यह राय दी है कि बिड़ला ब्रदर्स से बिजली के लिये समझौता करते समय बिजली का रेट न तय किया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह एक ऐसी पागलपन की सलाह होगी जो कोई दे नहीं सकता और न स्वीकार कर सकते हैं अगर दी भी जाय तो ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सम्भवतः ५०,००० किलोवाट बिजली देनी होगी । तो अगर वह सारी शर्तें मान ली गई तो उतनी ही बिजली देने के बाद जो ट्यूबवेल्स और अन्य सिंचाई की योजनायें बिजली के अभाव में रुक जायंगी उसके बारें में सरकार ने विचार किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम खूब विचार कर रहे हैं और माननीय सदस्य को विश्वास रखना चाहिये कि हमको भी इन चीजों का उतना ही खयाल है जितना उनको है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार जो ऐल्मुनियम का कारखाना प्रदेश में खोलने का विचार कर रही है इसे सार्वजनिक हित में क्यों न खोला जाकर बिड़ला ब्रदर्स के साथ समझौता किया जा रहा है और उसकी शर्तें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप शर्तें पूछ रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव---सरकार उस कारखाने को सार्वजनिक हित में क्यों नहीं खोलती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य जानते हैं ऐसा सम्भव नहीं है । अभी केरल में ही बिड़ला के साथ समझौता हुआ है और सार्वजनिक हित में कारखाना नहीं खोला जा सका है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि जो बात बिड़ला ब्रदर्स से इस कारखाने के खोलने के सम्बन्ध में चल रही है, उसमें जो बिजली सप्लाई होगी उसमें रेट्स सर्व साधारण से कम ही पर दिये जाने की बात है ?

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि रिहेन्ड डैम से जिन १६ जिलों को बिजली दी जाने वाली थी और जो अब प्राइवेट सेक्टर में दिये जाने के कारण नहीं दी जा सकेगी तो उन १६ जिलों के लिये बिजली दिये जाने का सरकार क्या विचार कर रही है, और कर रही है तो किन जरियों से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार को इन बातों का पूरा-पूरा खयाल है और जब कभी इसका मौका आवेगा तो माननीय सदस्य देखेंगे कि हमने उन बातों का खयाल किया है ।

श्री गेंदासिंह---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि बिड़ला को लुभाने में केरल की सरकार कामयाब हुई है या यू० पी० की सरकार ?

(हंसी---कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---अब यह विषय समाप्त किया जाता है ।

१८ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न १६ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

श्री अध्यक्ष—अब माननीय राजस्व मंत्री जी के सभा सचिव एक प्रश्न के उत्तर का शोधन करेंगे।

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, १८ फरवरी, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या १६ के सम्बन्ध में श्रीमती चन्द्रावती ने यह अनुपूरक प्रश्न किया था कि "क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन डूबे हुए व्यक्तियों की जो लाशें थीं, वह कितनों की मिलीं।" इसका उत्तर यह दिया गया था कि "कई दिन बाद तीनों इंजीनियरों की लाशें मिल गईं और स्त्री जो बैठी हुई थी, किसी इंजीनियर की पत्नी थी, उसकी लाश फौरन ही मिल गई थी।" किन्तु वास्तव में स्त्री (श्रीमती प्रेमसिंह जैन) जो बैठी हुई थी, बचा ली गई थी। वह मरी नहीं थी। अतः उक्त उत्तर में निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया जाय:—

"डूबे हुए तीनों इंजीनियरों की लाशें मिल गई थीं।"

भावी कार्य-क्रम के बारे में पूछ ताछ

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के नेता की हैसियत से जो यह आश्वासन दिया था कि विधान सभा के अगले कार्यक्रम के बारे में वह आज सूचना देंगे, तो क्या उस सूचना को वह देने की कृपा करेंगे?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कल, यानी २ तारीख के बाद यह उपवेशन समाप्त हो जायगा और ईद की छुट्टी के बाद १३ अप्रैल को हम फिर बैठेंगे।

प्रकीर्ण पूछ ताछ

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि कल मैंने दफा ५३ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था कि प्रदेश में पौने दो लाख विद्यार्थियों को अंग्रेजी का दूसरा परचा कठिन आ जाने के कारण बड़ी परेशानी हो गई है। उस सम्बन्ध में आपने निर्णय देने को कहा था। हम चाहते हैं कि आप जब उस पर निर्णय दें तो हमको मौका दें कि हम बता सकें कि किस प्रकार यह आवश्यक है और क्यों इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसे उठाने के लिये तो इजाजत नहीं दी, उसको अस्वीकृत कर दिया था। लेकिन मैंने जानकारी हासिल करने के लिये संबंधित मंत्री जी के पास भेजा था और जिस वक्त वे मुझे जानकारी दे सकेंगे उसी समय मैं आपको जानकारी अपने कमरे में दे दूंगा।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि आजमगढ़ के मुबारकपुर टाउन एरिया में जो साम्प्रदायिक झगड़ा हो गया है और वहां के हिन्दू डर-डर कर भाग रहे हैं नियम ५२ के अन्तर्गत मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत आपकी सूचना और एक जो कामरोको प्रस्ताव इस तरह का था इन दोनों को मंत्री जी के पास भेज दिया है। उसके बारे में जांच करके वे किसी दिन वक्तव्य दे देंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन से मैं यह जानना चाहता हूं कि १३ अप्रैल से जो उपवेशन प्रारम्भ होगा वह सम्भवतः कब तक चलेगा?

---

*१८ फरवरी की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं बिलकुल निश्चय रूप से नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम ७, ८ दिन तो चलेगा ही।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—नियम ५२ के अन्तर्गत एक मेरी भी सूचना थी लेकिन वह सदन के सामने नहीं आयी। बड़ा दुख है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं मिलता। मेरी सूचना थी कि मथुरा में होली के दिन जो उत्पात गुंडों ने मचाया और गोली चलाई उससे १ आदमी घायल हुआ और उसे आगरे के अस्पताल में भेजा गया।

श्री अध्यक्ष—आप सूचना नहीं दे सकते।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, दुख की बात है हमारे गांवों के लोग कहा करते हैं कि अंधों में एक काना नेता होता है। आगे जो बैठे हैं वे एक आंख वाले हैं जो ऊपर को ही देखते हैं और हम पीछे दो आंख वाले हैं जो नीचे को भी देखते हैं और ऊपर को भी देखते हैं, हमें मौका नहीं मिलता यह मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मुझे अर्ज करना है कि ८ दिन के लिये सेशन बुलाना है। ४ दिन नान आफिशियल डेज के हैं और एक कुमायूं जमींदारी एबोलीशन प्रोग्राम में है वह पास होने पर भी अभी लागू नहीं हो सकेगा क्योंकि कुमायूं में ३ साल में बन्दोबस्त पूरा होगा। तो फिर सेशन ८ दिन के लिये न रह कर ४ दिन के लिये बाकी रह जाता है और अगर उन ४ दिनों को बाद में ले लिया जाय तो हम सभी सदस्य अपनी-अपनी कांस्टिट्युएंसी में घूम सकेंगे।

कुछ सदस्य—नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष—आपका सुझाव उन्होंने सुन लिया, लेकिन दूसरे लोग इससे नाइत्तफाकी जाहिर करते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अगर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल बिल आता है तो जरूर बुलायें, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल नहीं आता है तो बेकार है बुलाना।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अखबारों में खबर निकली है कि राजस्व मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी के पास कोई इस्तीफा भेजा है। मुख्य मंत्री जी विद्यमान हैं, वे बतलायें कि इस्तीफा किस कारण आया है। बाहर लोग पूछा करते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्रश्न नहीं है। जब होगा तब बतला दिया जायगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कमरे में सूचना दीजिये।

श्री बंशीधर शुक्ल—कमरे में नहीं, मैं यहां देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप अपना स्थान ग्रहण करें।

सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा २५ स्थायी समितियों के कार्य काल को बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा २५ अन्य स्थायी समितियों की अवधि उस समय तक के लिये बढ़ा दी जाय जब तक नया चुनाव न हो जाय। मुझे यह इसलिये करना पड़ रहा है कि कल से सदन समाप्त हो जायगा और बाद को सदन

[नरेन्द्र सिंह विष्ट]

बैठेगा भी तो बहुत थोड़े समय के लिये। इसलिये यह संभव नहीं है कि इनका चुनाव जैसा पहले कहा गया था हो सके। इसके अलावा पुरानी जो समितियां थीं उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिये आज इस प्रस्ताव का आना अत्यन्त आवश्यक था, इसलिये आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय विष्ट साहब हमेशा ऐसा प्रस्ताव लाते हैं। पिछली बार जब वे ऐसा प्रस्ताव लाये थे तो हम लोगों ने शंका प्रकट की थी कि फिर तो कोई पोस्टपोनमेंट नहीं मांगेंगे माननीय विष्ट साहब, तो उन्होंने कहा था कि नहीं। और आपने भी यह निर्णय दिया था कि अब दूसरी बार इसको नहीं टाला जायगा। तो श्रीमन्, अगर उनके घर में कोई गड़बड़ है या आपस में कोई फूट है तो उसको वे ठीक कर लें, लेकिन उसका असर इन समितियों पर नहीं पड़ना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैं भी प्रस्ताव का इसलिये विरोध करता हूं कि ऐसी परम्परा सी होती चली आ रही है कि बार-बार समितियों के नाम निर्देशन की और उनके चुनाव की तिथि घोषित होती है और फिर उनको टाल दिया जाता है। लगातार जब इसको दोहराया गया तो आपने स्वयं यह व्यवस्था भी दी थी कि यह अन्तिम बार है, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जायगा। मैं नहीं समझता कि अब फिर किस-लिये इस प्रकार का मौका आया। अगर ऐसा था तो आपकी व्यवस्था के बाद सरकार इस सदन को क्यों अचानक बन्द कर रही है। पहले १६ तारीख तक का प्रोग्राम था, फिर १२ तक का हुआ और अब यकायक सदन को बन्द किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी बुरी परम्परा कायम की जा रही है और इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो समितियों का चुनाव होने वाला है उसके लिये मैंने जो समय निर्धारित किया था उसमें ७ अप्रैल को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि रखी थी और ९ अप्रैल को सूक्ष्म परीक्षा रखी थी और १३ तारीख को सायंकाल ५ बजे चुनाव रखा था। पहले यह खयाल था कि ६ तारीख को सदन फिर बैठेगा लेकिन अब सदन बैठने वाला नहीं है, तो इसमें कोई अन्तर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कार्यक्रम पर चलना असम्भव सा हो गया है। मैंने कहा था कि अब की बार समय बदलूंगा नहीं लेकिन अगर वह असम्भव हो जाय तो बदलना ही पड़ता है। मैंने यह इसलिये सूचना दी थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी बातों को सुन कर अगर इस राय के हो जाते हैं कि चुनाव करना जरूरी है तो यह हो सकता है कि १३ तारीख के बाद कोई रोज मैं निर्धारित कर सकूं जिस रोज नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि हो। अब माननीय मुख्य मंत्री जी जो कहना चाहें कहें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, चुनाव हो जाय इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। इस समय जो प्रस्ताव रखा गया उसका एक कारण तो यह है कि इन समितियों की जिन्दगी ३१ मार्च को खत्म हो जाती है और ३१ तारीख कल हो गयी। जो आपने पहले प्रोग्राम रखा था उसके हिसाब से भी १३ तारीख को चुनाव होता। तो ३१ से १३ तक गैप पड़ता ही। इसलिये जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये समितियां चलती रहें। बाकी, सवाल यह हुआ कि यकायक सदन बन्द कर दिया गया इसका कारण स्पष्ट है। २ तारीख तक तो हम बैठेंगे। ३ तारीख को जमीअतुलविदा की छुट्टी है। इसके बाद शनिवार और इतवार है। फिर यह निश्चित नहीं है कि ईद किस दिन पड़ेगी ९ को भी पड़ सकती है और १० को भी पड़ सकती है। कई मुसलमान सदस्यों ने लिख कर दिया है कि रोजे के आखिरी दिन बड़े भारी पड़ते हैं और यह ठीक भी है। दूसरे यह कि अगर ईद ९ को

पड़ती है तो मुसलमान सदस्य चाहेंगे कि ८ तारीख को ही यहां से चले जायं ताकि ९ को अपने घर पहुंच जायं । फिर ९, १०, ११, और १२ छुट्टी होगी, ९ और १० को ईद की और ११ और १२ को शनिवार और इतवार है । तो कुल जमा दो ही दिन सदन बैठ सकता है जोकि उचित नहीं मालूम पड़ता था । इसीलिये हमको १३ तारीख से रखना पड़ा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--अब किसी भी अवस्था में कमेटियों के चुनाव की तिथियां नहीं बढ़ाई जायंगी, ऐसी आपकी व्यवस्था के बाद क्या यह उचित है कि जो कांग्रेस पार्टी के व्हिप साहब ने प्रस्ताव पेश किया है उसे यह सदन स्वीकार करे ? यह तो ठीक है कि सुविधा की दृष्टि से आपने इसी सेशन में दूसरा वक्त कर दिया लेकिन वे तो अनिश्चित काल के लिये प्रस्ताव लाये हैं ।

श्री अध्यक्ष--वह तो अनिश्चित काल के लिये होगा ही क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होता तभी तक तो ये कमेटियां बनी रह सकती हैं, बाद को नहीं । किस रोज़ चुनाव होगा, यह तो उनको मालूम नहीं इसीलिये अनिश्चित काल के लिये कह रहे हैं ।

१३ तारीख आप मुकर्रर कर देंगे कि नामजदगी हो तो भी जब तक चुनाव नहीं होंगे उस समय तक यह कमेटियां चलेंगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि इसी सेशन में चुनाव हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--अच्छी बात है । आपका सुझाव मौजूद है और मैं भी नेता सदन से जिक्र कर दूंगा ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि निश्चित हुआ कि १३ तारीख से असेम्बली बुलाई जायगी तो इसी बीच में रामनवमी वगैरह पड़ेगी । इसलिये इसको देख लिया जाय और १३ के बजाय १८ से असेम्बली बुला ली जाय ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--श्रीमन्, हमको ६ तारीख को बुलाया गया है इसको १३ या १४ कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैंने कह दिया था कि वह नोटिस बदल देंगे ।

प्रश्न यह है कि सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा २५ स्थायी समितियों की अवधि उस समय तक बढ़ा दी जाय जब तक कि नया चुनाव न हो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो समितियां ३१ तारीख को समाप्त हो गई हैं क्या उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, बढ़ाया जा सकता है क्योंकि आज ही ३१ तारीख के बाद हम बैठे रहे हैं ।

श्री रामकुमार वैद्य--श्रीमन्, यदि ऐसा बार बार हुआ तो गलत परम्परा पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष--लेकिन आज ही नहीं सूचना मालूम हुई नहीं तो चुनाव हो जाता ।

श्री गेंदा सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मैंने कल कहा था कि जो फैसला हुआ विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर उसके आगे की कार्यवाही आज करूंगा । मैं इतना बता देना चाहता हूं कि आगे मुझे जो कार्यवाही करना है उसमें दो बातें हैं । एक तो विशेषाधिकार समिति ने अपनी कार्यवाही के दौरान में जो नया, प्रश्न उठाया कि विशेषाधिकार की अवहेलना, दौरान तहकीकात, श्री गेंदा सिंह द्वारा हुई है, उसके विषय में मुझे निर्णय देना होगा और सदन को बताना होगा कि मैं क्या निर्णय देता हूं, उस प्रश्न को उठाने की इजाजत देता हूं या नहीं ।

दूसरे जो एडमोनीशन का तरीका हो उसको तय करना है कि किन शब्दों में एडमोनीशन होना चाहिये । इसके संबंध में और जो प्रश्न उठाये गये हैं प्रतिवेदन में, विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में उनको प्रतिवेदन में पढ़ लेता हूं और कल जो भाषण हुये हैं उनको भी मुझे देखने की आवश्यकता है । इसलिये मैंने निर्णय किया है कि कल ही जौन सा तरीका एडमोनीशन का होगा उसके अनुसार मैं सदन को सूचना दे दूंगा श्री गेंदासिंह जी भी कल उपस्थित होंगे और उस प्रश्न के बारे में भी कल ही निर्णय दूंगा जो कि प्रतिवेदन में नवीन अवहेलना के विषय में उठाया गया है ।

काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९२३ के अधीन आलेख्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९२३ की धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति एवं धारा ७ के अधीन नियम के आलेख्य की स्वीकृति के लिए उक्त धारा ८ के अनुसार निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :--

"यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली कपास की किस्म और ख्याति बनी रहे;

और उक्त प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९२३ की धारा ३ और ७ के अधीन विज्ञप्ति जारी करने एवं नियमावली बनाने का, जो आलेख्य के रूप में इस सदन की स्वीकृति के लिए सदन की मेज पर रक्खी जा चुकी है, प्रस्ताव है;

अतः यह सदन एतद्द्वारा उक्त विज्ञप्ति एवं नियमावली के आलेख्य को स्वीकृति प्रदान करता है ।"

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही आवश्यक विज्ञप्ति है जो मैं इस सदन की स्वीकृति के लिए इस समय पेश कर रहा हूं । काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९२३ में इसलिए बना था कि कपास की शाख और उसकी क्वालिटी ठीक-ठीक कायम रह सके । इसके अनुसार यह हो सकता है कि अगर अच्छी कपास में खराब कपास न मिलाई जाय तो अच्छी कपास एक ढंग को कारखानों को तथा इस्तेमाल करने वालों को मिल जाय, इससे कपास भी अच्छी रहेगी और उसका दाम भी अच्छा मिल जायगा । इसमें मिलावट अक्सर होती है और इसलिए भी अच्छी कपास मिलना काफी मुश्किल हो जाता है । इस प्रदेश ने कुछ दिन हुए एक योजना बनाई थी कि जिसमें पांच जिलों में अच्छी कपास बोना शुरू किया था । वह पांच जिले हैं--सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर । इन पांच जिलों में अच्छी कपास जिसका नं० ३५।१ है उसकी काश्त शुरू की गई । अब सवाल यह है कि यह जो अच्छी कपास है इसके साथ दूसरी कपास न मिलाई जा सके और टैनिंग और प्रोसेसिंग के वक्त जब वह ओटी जाती है और गांठों में बन्द करके भेजी जाती है उसमें घटिया किस्म की कपास न मिलाई जाय । इसलिए यह विज्ञप्ति घटिया किस्म की कपास की किस्मों को रोकती

है जिसके मिलाने से वह कपास खराब हो जायगी । यह विज्ञप्ति हमने असल में देर से निकाली । दूसरे प्रदेशों में—बम्बई, मद्रास और मध्य प्रदेश में यह बहुत दिन हुए निकल चुकी है । इंडियन सेन्ट्रल काटन कमेटी बहुत दिनों से हमसे यह आग्रह कर रही है कि हम इस तरह की विज्ञप्ति निकाल कर अच्छी कपास की रक्षा कर सकें । इसको यू० पी० की काटन कमेटी ने भी सन् १९५६ में हम से कहा था । जो पांच जिलों में उत्तर प्रदेश में अच्छी कपास पैदा करने की योजना है उसके लिए लगभग ३५, ४० हजार रुपये सेन्ट्रल काटन कमेटी से हमको अनुदान के रूप में मिलते हैं और उसी के आधार पर अच्छी कपास उगाने का प्रयत्न हो रहा है । यह बात भी बहुत साफ है कि अगर इस प्रदेश में अच्छी कपास होने लगे तो हमारे यहां की टेक्साटाइल इंडस्ट्री, हाथ के कते हुए कपड़े इन सब की उन्नति हो जायगी । यह हमारे लिए दिक्कत हो जाती है जब हमारी दस्तकारी को बाहर से कपास मंगानी पड़ती है और उसका बहुत-सा खर्चा उसके ट्रांसपोर्ट में हो जाता है । इसलिए वह कपास महंगी हो जाती है और उसके महंगा होने के बाद यह कपड़े की मिलें दूसरी मिलों का मुकाबला नहीं कर सकती । उसमें यह भी एक कारण हो जाता है ।

अगर हम अपने प्रदेश में अच्छी कपास उगाने लगें तो पहला फायदा तो किसानों को होगा जिनको अच्छी कपास उगाने का अच्छा दाम मिल जायगा, दूसरे दस्तकारी को भी मदद मिलेगी । इसलिए कपास की क्वालिटी के कायम रखने के लिए यह विज्ञप्ति निकाली गई है । इसमें सिर्फ एक ही सवाल और पैदा होता है और वह यह है कि कुछ रोजगार ऐसा है जो वेस्ट काटन के साथ जुड़ा हुआ है । घटिया किस्म की कपास लेकर उसको कतवाया जाता है मोटे रूप से और उससे मोटी-मोटी चीजें दरी, कालीन वगैरह बनाई जाती हैं । उसमें काफी लोग लगे हुए हैं और इस प्रकार की बहुत सी फैक्टरियां हमारे यहां काम कर रही हैं । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को विश्वास दिला सकता हूं जहां तक उस दस्तकारी का ताल्लुक है हम उसको रोकना या उसमें बाधा डालना नहीं चाहते जिस दस्तकारी से बहुत से लोगों का रोजगार चलता हो, पेट चलता हो, उसमें रुकावट डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है और वह रास्ता उसका निकल सकता है । इसीलिए यह कह दिया गया है इस विज्ञप्ति में कि अगर कोई इस तरह का व्यापार करना चाहे, इस तरह की कपास की जरूरत अगर कुछ लोगों को हो तो वह लाइसेन्स लेकर उसको मंगा सकते हैं और उससे अपना रोजगार कर सकते हैं । लेकिन जो हमारा असली मतलब है वह यह है कि असली और बढ़िया कपास के साथ इसको मिलाया न जाय ताकि कपास घटिया न हो जाय और उसका मार्केट हमारे यहां न रहे । यह इसका मुख्य काज है । इसमें कोई विशेष बात नहीं है और इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प को सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"और उसका उचित मूल्य उत्पादकों को मिल सके ।"

श्रीमन्, स्वतः कृषि मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि मंशा उनका यह है कि रुई की कीमत किसानों को कम न मिले । तो मैं समझता हूं कि अगर यह इच्छा है तो यह कागज पर भी लिख दिया जाय, कोई हर्ज तो होगा नहीं और मैं समझता हूं कि अगर इच्छा नहीं है तो केवल कहने से काम नहीं चलता । हाउस में इसको स्वीकार कर लेने से . . . .

श्री अध्यक्ष—आप क्या अपना पूरा संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहते हैं ?

श्री गेंदासिंह—नहीं, चूंकि उसका पहला हिस्सा है . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---आप एक साथ कह दीजिये न जिसमें भाषण एक ही रहे ।

श्री गेंदा सिंह---बहुत अच्छा, अब दूसरा संशोधन मैं उपस्थित किये देता हूं । वह यह है कि संकल्प की अन्तिम पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित कर दिया जाय:---

"अतः यह सदन एतद्द्वारा उक्त विज्ञप्ति के अनुसार नियमावली के संशोधित आलेख्य को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाने का निश्चय करता है---

१---श्री रामचन्द्र विकल, सदस्य, विधान सभा ।

२---श्री फतेह सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ।

३---श्री जगवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा ।

४---श्री यशपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ।

५---कृषि सचिव"

इसमें मैं यह समझता हूं कि कृषि सचिव का रहना इसलिए जरूरी होगा कि वह इस समिति के मंत्री का काम करेंगे या कनवीनर का काम करेंगे । तो अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कृषि मन्त्री जी ने बताया कि यह उनकी नीयत है तो मैं भी चाहता हूं कि वह शब्दों में आ जाय तो कोई हर्ज नहीं है । जो उनका संकल्प है उसमें वह यह कहते हैं कि यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली कपास की किस्म और ख्याति बनी रहे ।" तो जहां यह कहा गया है वहां सिर्फ मैं यह कहता हूं कि उसके साथ यह भी बढ़ा दिया जाय कि "उसका उचित मूल्य उत्पादकों को मिल सके" मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर कृषि मन्त्री जी इस प्रश्न पर राजी हो जायं कि उचित मूल्य भी उत्पादकों को मिल सके जैसा कि उन्होंने कहा है तो फिर उसके बाद जो आलेख्य सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिसके ऊपर स्वीकृति मांगी जा रही है उस आलेख्य को बदलने की जरूरत पड़ेगी । उसको बदलने में मैं समझता हूं जिन पांच महानुभावों के नाम इसमें दिये हैं वह सभी . . .

श्री अध्यक्ष---एक प्रश्न है इस विषय में कि आपका जो पहला संशोधन है वह इंडियन काटन ऐक्ट की धारा ३ और ७ की परिधि में नहीं आता है क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि :

"The Provincial Government may for the purpose of maintaining the quality or reputation of the cotton grown in any area in the Province, by notification in the official *Gazette*, prohibit the import of cotton or of any cotton or of any specified kind of cotton into that area."

दो परपज इसमें दिये हुये हैं "कि मेन्टेनिंग क्वालिटी ऐण्ड रेपुटेशन" । आप उसमें जोड़ना चाहते हैं एक और परपज कि उचित मूल्य उत्पादकों को मिल सके जो कि इंडियन काटन ऐक्ट में प्रान्तीय सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है । तो आप इसको किस तरह से वैध बताते हैं ?

श्री गेंदासिंह---अब तो मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि जब कोई इस तरह का विधेयक या संकल्प सदन के सामने लाया जाय तो उससे जितने भी सम्बद्ध पत्र या कागज हों वह सभी सदन के सामने रखने चाहिये । मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी माननीय कृषि मन्त्री ने यह कहा है कि इस कानून के आधार पर जो कि १९२३ का बना हुआ है आज तक इस प्रदेश में काम नहीं हुआ है । इस वक्त सरकार ने मुनासिब समझा कि उस पर काम किया जाय । कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो गई । उसमें उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन सेन्ट्रल काटन कमेटी भी दबाव डाल रही है कि यू० पी०

में भी इस तरह का कानून बन जाय। उनकी भी यह सिफारिश है। तो यह सारी सिफारिशें सदन की जानकारी में नहीं है। मैं समझता हूं कि जब तक वह कागजात सदन के सामने न आ जायं तब तक इस प्रश्न पर विचारपूर्ण रूप से होना कुछ कठिन हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो वैधानिक प्रश्न है उस विषय पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से उसको बदलना चाहते है। आपने दूसरी आपत्ति उठा दी। वह तो आप स्वतन्त्ररूप से उठा सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—ऐसे जितने सेन्ट्रल ऐक्ट हैं जो प्राविन्स में लागू होते हैं उनमें प्रान्तों को यह अधिकार है कि वह उसको अमेन्ड कर सकें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, उसके लिये भी रूल्स बने हुए हैं जो ड्राफ्ट फार्म में है। सेक्शन ८ के अनुसार सदन की मंजूरी के लिये वह रखे जाते हैं। सदन को रूल्स बनाने का अधिकार है किन्तु ऐक्ट बदलने का अधिकार नहीं है। उसको रूल्स बनाने का अधिकार है और उसकी भी एक सीमा है कि किस उद्देश्य से आप रूल्स बनायेंगे।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, कनफ्यूजन में हम ही नहीं हैं, वह माननीय कृषि मंत्री जी के दिमाग में भी है। उन्होंने स्वतः इस बात को कहा है कि रुई की कीमत उचित मिला करे। उद्देश्य जो उन्होंने बताया इस संकल्प को रखने का उसमें उन्होंने अभी कहा है। तो इसको रखना रेलेवेंट है और उचित है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया श्री गेंदा सिंह की ओर से वह यह है कि जो संशोधन है वह उस ऐक्ट की परिधि से बाहर जाता है, इसलिये यह विज्ञप्ति जो उस ऐक्ट के अनुसार बनायी जा रही है तो उस पेरेंट ऐक्ट में संशोधन नहीं कर सकते। मेरा काम तो इससे हलका हो गया, लेकिन मेरा कहना यह था कि क्वालिटी जब ठीक होगी तो क्वालिटी के दाम अच्छे मिलेंगे। बहुत ज्यादा पैदा होगी, इसी को बढ़ाने के लिये यह योजना लाई गयी है। यही उसके अन्दर लपज हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर काटन ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट की दफा ३ को हम देखें तो उसमें लिखा है—

"The Provincial Government may, for the purpose of maitaining the quality or reputation of the cotton grown in any area in the Province, by notification in the official *Gazette*, prohibit the import of cotton or of any specified kind of cotton into that area by rail, road, river and sea, or by any one or more or such routes save under, and in accordance with the conditions of, a licence :

Provided that no such notifiction shall be deemed to prohibit the import into any protected area of packages containing any kind of cotton and not exceeding ten pounds avoirdupois weight."

तो क्वालिटी और रेप्युटेशन मेनटेन करने के लिये किसी भी तरीके के प्रस्ताव हम ला सकते हैं। यहां पर आप देखें गे कि "शैल" शब्द भी नहीं है, "मे" वर्ड है, पहले तो यह नोट करना पड़ेगा। अगर प्रोवाइजों में यह होता कि इन्हीं चीजों तक महदूद रहेगा, ऐसी बात भी नहीं है, कहीं पर लिमिटेशन नहीं करते हैं, एक संकेत करता है कि क्वालिटी मेनटेन रहे। गेंदासिंह जी का संशोधन कि रुई की न्यूनतम कितनी कीमत फिक्स हो जाय। कीमत बढ़ाना रुई के रेप्युटेशन को बढ़ाता है, यानी जिस चीज की कीमत ज्यादा होगी उसकी साख भी उतनी ही बढ़ेगी। तो कीमत बढ़ाने से रेप्युटेशन बढ़ता है। यह उद्देश्य तो ऐंसीलियरी है, एक्सप्लेनेटरी है। धारा ८ को आप देखें। उसमें है

"No notification under section 3 or rule under section 7 shall be issued by the Provincial Government of any Governors' Province, ulnless it has

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

been laid in draft before the Legislative Assembly of the Province and has been approved by a Resolution of that Assembly either with or without notification"

यानी जैसा उन्होंने रखा है, तरमीम रखी जा सकती है और वह क्या हो, कैसी हो यह कहीं पर महदूद नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—जरा सा कनफ्यूजन हो रहा है । तरमीम तो हो सकती है, जो रूल्स आगे बने हैं उनमें हो सकती है, लेकिन प्रिएम्बिल जो है उसमें जो उद्देश्य दिया है कि किस उद्देश्य से वे बन सकते हैं वह दफा ३ में दे दिया गया है । उस उद्देश्य को भी आप अमेंड करें, यह अख्तियार सदन को नहीं है । उसमें दिये हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आप नियम चाहे जो कुछ रखें । तो उसके लिये आप बताइये । दफा ८ में दिया हुआ है कि माडिफिकेशन कर सकते हैं विज्ञप्ति में उसमें प्राहीबीशन किया हो, कुछ किया हो, किस तरह से रखे जायंगे काटन के जो आर्डर्स विज्ञप्ति में हों, वह करें, लेकिन उद्देश्य से इस विज्ञप्ति द्वारा जब बदल रहे हैं तो ऐक्ट की दफा एक आप बढ़ा रहे हैं, यह कहां तक वैध है यह सवाल है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एक थोड़ा-सा संशोधन करने से गेंदासिंह जी की मंशा पूरी हो सकती है कि उसकी साख बनाये रखने के लिये जरूरी है कि कीमत भी बढ़ायी जाय ।

श्री अध्यक्ष—नियम में आ सकता है लेकिन उद्देश्य में उसे मत लीजिये । नियम में कहीं आप फिट-इन करना चाहें कीमत बढ़ाने के लिये तो आप उसमें ला देवें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन उद्देश्य में न लगायें ।

***श्री अवधेश प्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—आपने जो अभी सदन का ध्यान आकर्षित किया मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है और मैं आप से सहमत हूं इस विषय पर लेकिन मुझे दूसरी आपत्ति है और वह यह कि, और जैसा कि रूल्स में भी है १३१ के मातहत, हम कनेक्टेड पेपर्स मांग सकते हैं । इस समय माननीय सदस्य इस परिस्थिति में हैं कि उनके पास कोई कनेक्टेड पेपर्स नहीं हैं इसलिये मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप थोड़ी देर के लिये सिटिंग स्थगित कर दें और फिर बाद में शुरू करें ताकि मेम्बर्स के पास कुछ मैटर तो हो जाय जिस पर वह बोल सकें ।

श्री अध्यक्ष—वह तो दूसरा सवाल है, इसको मैंने सुन लिया । लेकिन जो संशोधन है उसका नम्बर एक मैं समझता हूं कि अवैध है उसको वह उपस्थित न करें और दूसरे पर अपना भाषण जारी रखें । जहां तक नियम १३१ का सवाल है वह इस प्रकार से है:

"After a Bill has been introduced any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, be placed on the table of the House".

जब कोई विधेयक उपस्थित कर दिया जाय तो उसके संबंध में कागजात आप मांग सकते हैं ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं अपना केस नियम १३१ पर बेस नहीं कर रहा हूं । मैं एनालोजी ड्रा कर रहा हूं और हमारी सुविधा के लिये आपसे अनुरोध है कि अगर आप सुविधा नहीं दिलायेंगे तो हमें कठिनाई होगी ।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई इस तरह के पेपर्स हों जिनसे माननीय सदस्यों को ज्ञान प्राप्त हो सके तो उन्हें मंत्री जी दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि यह उचित ही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, कोई नोटीफिकेशन सदन में पहले इसलिये रख दिया जाता है और दो तीन दिन इसलिये दिये जाते हैं कि अगर माननीय सदस्य मुझसे कुछ मांगना चाहें और मैं दे सकूं तो दे दूं। यह नोटीफिकेशन सदन की मेज पर २१ मार्च को रख दिया गया था लेकिन किसी ने कुछ मांग नहीं की, इसलिये इस समय अब कोई सवाल नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—गेंदा सिंह जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री गेंदासिंह—मैं समझता हूं कि अगर ऐसा अनुभव कृषि मंत्री जी स्वीकार करें तो यह हो सकता है कि जिस कीमत की तरफ हमारा ध्यान है उस कीमत की भी गुंजायश हो जाय, जैसा कि उन्होंने स्वतः संकेत किया है। हमारे इस संशोधन के रखने के माने यह हैं कि हमारा अनुभव यह है कि जिस वक्त कोई बिल, विज्ञप्ति या संकल्प सदन के सामने आता है तो उसमें कभी भी यह नहीं कहा जाता कि इसका नतीजा किसानों के हित में नहीं होगा, लेकिन जैसा हमने देखा है कि थोड़े दिनों के लिये चाहे नतीजा अच्छा हो जाय लेकिन बाद में वेस्टेड इन्टेरेस्ट्स प्रिवेल करते हैं और जब वेस्टेड इन्टेरेस्ट्स प्रिवेल करते हैं तो किसानों का अहित होता है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी ने आसन ग्रहण किया)।

हमने अपने सूबे में कम से कम दो चीजों को देखा है। समूचे शुगरकेन को हमने सरकार के हाथ में दे दिया। इस वक्त करीब ३० करोड़ मन गन्ना सरकार के हाथ में देकर मिलों को सप्लाई करते हैं। इसके सिलसिले में सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस कानून के मुताबिक जो यूनियन हमने बनाये हैं उन यूनियनों को केवल मिलों को गन्ना सप्लाई करने का अधिकार है, उनको अधिकार नहीं है कि कीमत के सिलसिले में वे बातचीत करें या वे यह कहें कि अपना माल फैक्ट्री को न देकर छोटे कारखाने वालों को देंगे। रेग्युलेशन के नाम पर, रेस्ट्रिक्शन के नाम पर यू० पी के काश्तकारों को अपना माल केवल उसी मिल को बेचना होगा, किसी खांडसारी वाले के पास या किसी बेल वाले के पास वह अपने माल को नहीं बेच सकता है। इसी तरह से कृषि मंत्री जी ने यह कहा कि रुई पर रेस्ट्रिक्शन हो जायगा और लाइसेंस वाले ही रुई मंगा सकेंगे और उसके लिये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर में ये लाइसेंस दिये जायंगे। हो सकता है कि शुरू में इससे कुछ फायदा हो, यद्यपि मैं यह नहीं जानता कि इंडियन काटन कमेटी ने यू० पी० गवर्नमेंट को क्या सलाह दी और उस पर यू० पी० काटन कमेटी ने क्या विचार किया। मेरी बदकिस्मती जरूर है कि मैंने कृषि मंत्री जी को तकलीफ नहीं दी। तकलीफ देने की चेष्टा जरूर दो तीन मर्तबा की, गवाह लेकिन किसको बनाऊं, उनसे भेंट न हो सकी जिसकी वजह से उनको तकलीफ न दे पाया। लेकिन इस वक्त भी मुनासिब यह होता कि माननीय कृषि मंत्री जी इंडियन काटन कमेटी की सिफारिश का संबंधित हिस्सा पढ़ कर सुना देते। यू० पी० काटन कमेटी ने जो कुछ कहा वह पढ़ कर सुना देते तो हमें कुछ इस बीच में ही समझ बूझ लेने का मौका मिल सकता है और उससे बहुत आसानी से मामला सुलझ सकता है। यह तो शुबहा को दूर करने की बात रही।

अब यह कि बाहर से जो कपास आती है वह कुछ सस्ती पड़ जाती है जिसकी वजह से कुछ कपड़ा भी सस्ता पड़ जाता है। लेकिन उसके बजाय अब लोगों को लाइसेंस दिये जायंगे। अब उस लाइसेंस पर सरकार फीस भी लेगी और उसके ऊपर जो लाइसेंस देने वाला अपनी आमदनी समझता है वह भी उसको देनी होगी और कृषि मंत्री जी उस ऊपर की आमदनी को रोकने में समर्थ नहीं हो सकते। उसका सारा का सारा असर कंज़्यूमर पर पड़ेगा। लेकिन हर आदमी जाड़े में अच्छी रुई तो खरीदता नहीं है क्योंकि वह रजाई में डालने के लिये रुई खरीदता है, उसको वह रेशेदार रुई तो चाहिये नहीं। उसको रुई चाहिये घटिया किस्म की, घटिया किस्म

[श्री गेंदासिंह]

की ऐसी रुई कि वह अच्छी तरह से धुन जाय। मैं जानता हूं कि मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के लोग शायद १०० में ९५ आदमी रजाई ओढ़ते हैं। तो उन ९५ फी सदी आदमियों की रजाई के लिये रुई का क्या बन्दोबस्त होगा ? जब रजाई की रुई दिलाने का बन्दोबस्त सरकार लाइसेंस होल्डर से कराती है तो जाहिर है कि जो आदमी एक रुपये की रुई से अपना काम चला सकता है उसे उसके लिये सवा रुपया देने पड़ेंगे। शायद इस बात की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है, इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। जहां सरकार किसानों के हित की बात सोचती है वहां उसे यह भी सोचना चाहिये कि जो किसान पैदा करने वाले हैं उनके अलावा भी ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या सहारनपुर, मेरठ और बुलन्दशहर के जिलों में काफी है। सहारनपुर, बुलन्दशहर और मेरठ के जिलों में खेती करने वालों की संख्या हमारे सूबे में और जगह से कम है। तथा खेती न करने वालों की संख्या और जिलों की अपेक्षा काफी अधिक है। इसलिये उसके स्वार्थ को भी हमको, सदन को और माननीय कृषि मंत्री जी को देखना है। जहां हमें कपास बोने वालों के स्वार्थ को देखना है कि हमारे यहां की कपास की ख्याति बनी रहे दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में, वहां हम यह जरूर चाहते हैं कि कंज्यूमर्स के ऊपर भी इतना ज्यादा बोझ न बढ़ाया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि आज जो कानपुर में कई करोड़ रुपये के कपड़े पड़े हैं उसका कुछ बोझ कपास के ऊपर भी पड़ जायगा। हम समझते हैं कि इस मामले पर थोड़ी गंभीरता से विचार किया जाय कि किस तरह से यह रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय, १० पौंड पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाया जाय या घटाया जाय या क्या किया जाय, इन सारी बातों पर विचार करने के लिये ही मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इन ५ आदमियों की एक समिति बना दी जाय। इन ५ आदमियों में श्री रामचन्द्र विकल तो बुलन्दशहर के रहने वाले हैं, श्री फतेहसिंह राणा, मेरठ के रहने वाले हैं, श्री जगवीर सिंह बुलन्दशहर के रहने वाले हैं, श्री यशपाल सिंह सहारनपुर के रहने वाले हैं और पांचवां मैं समझता हूं कि कृषि सचिव को जरूर इसमें होना चाहिये। ये सारे लोग बैठ कर इस पर विचार विनिमय कर लें, गाइडेंस कृषि मंत्री जी का होगा या दूसरे लोग जो डिपार्टमेंट के होंगे वे भी बैठ सकते हैं। इसलिये इस पर विचार विनिमय करके ही कोई आलेख्य प्रस्तुत करें तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आलेख्य तो प्रस्तुत है। आप अपने संशोधन में इतना बढा दें कि जो आलेख्य प्रस्तुत है उसमें संशोधन प्रस्तुत करने के लिये एक कमेटी होगी।

श्री गेंदा सिंह—हमारा मतलब है कि समिति की स्थापना तो हो ही जानी चाहिये। हमारा जो संशोधन है वह यह है कि जो वर्तमान आलेख्य है उस आलेख्य में संशोधन करने, उसको बढ़ाने घटाने का सब अधिकार उसको होना चाहिये और वह समिति वह काम करे। यह हमारा मतलब है तो मैं समझता हूं कि इस मामले में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इस समय मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री और दूसरे लोगों को सुनने के बाद और मुमकिन हो तो वे कागजात भी आ सकें जिनको हम देख सकें तो सब चीजें देखने के बाद राय कायम की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस समिति की स्थापना से न किसानों का अहित है, न सदन का अहित है, न सरकार का ही अहित है और उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इसलिये इस विश्वास के साथ मैं इस समय अपनी बात को यहीं खतम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बोलते समय कई बातें कहीं जिनको मान लेने में मुझे कत्तई कोई दिक्कत नहीं है। एक उन्होंने कहा कि आज अच्छी कपास पैदा करने की बड़ी आवश्यकता है। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, दो रायें नहीं हो सकतीं। अच्छी कपास हो, अच्छी कपास होनी ही चाहिये, हर तरह की जो पैदावार किसान

करता है वह सब अच्छी किस्म की हो, इसमें कोई २ राय नहीं हो सकतीं । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी दिक्कत हमारे सामने यह है कि किसान के नाम पर, उसकी भलाई के नाम पर, किसान की अच्छी किस्म की चीजें पैदा करने के नाम पर और उसको ठीक कीमत मिल सके इस तरह की बहुत सी बातें कह कर और किसान का नारा लगाकर ऐसी बातें सदन में लाई जाती हैं जिनसे किसान का नुकसान होता हैं, उसका लाभ नहीं होता । जहां तक लाइसेन्स करने की बात है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में दो एक बातें कहूंगा क्योंकि बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं भी उन जिलों से आता हूं जिन पर कि इसका असर पड़ेगा । मैं बुलन्दशहर नहीं मेरठ जिले में ही काश्त करता हूं और वहीं का मैं अपने को समझता हूं। जब किसी के पास लाइसेन्स होगा एक्सपोर्ट का और एक्सपोर्ट वही चीज होती है जो सरप्लस होती है मैं अर्थशास्त्र का बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं लेकिन फिर भी यह नियम है कि कोई वस्तु सरपल्स होगी तो एक्सपोर्ट की जायगी और डैफिसिट होगी तो इम्पोर्ट की जायगी जिस के माने यह हैं कि अगर एक्सपोर्ट करने की बात हो तो उनको खुली छूट होगी कि वे मन-मानी कीमत पर कपास खरीदें और अगर इम्पोर्ट की बात हो तो उनको खुली छूट होगी कि वे जिस दाम पर चाहें माल लाकर बेचें जिसके माने होते हैं कि उत्पादक और कन्जयूमर को नुकसान होगा । नारा लगाया जाता है किसानों के लाभ का और होता है उनका नुकसान । यह रवैया सरकार का किसान के नाम पर उसके नफे और उसकी भलाई के नाम पर ऐसा है जिसमें खोखलापन है और जिनसे किसान को सिवा नुकसान के लाभ नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की मंशा केवल यही थी कि कपास की किस्म अच्छी हो, किसानों को उसकी ठीक कीमतें मिलें जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था पर मने तो कृषि की ग्रान्ट पर बोलते हुये मांग की थी कि अब समय आ गया है कि माननीय मंत्री जी एलान करें कि किसान को केवल कपास की ही नहीं बल्कि हर चीज की फेयर एकोनामिक कीमतें मिलें, लेकिन मंत्री जी ने अभी तक उस तरफ इशारा भी नहीं किया कि वे ऐसा कर रहे हैं । अगर हम सन् १९४९ से आज तक का इन पांचों जिलों का मुकाबला करें तो कपास का क्षेत्र घटा है, बढ़ा नहीं है । इसका कारण क्या है ? मैं यह भी सदन को बता दूं कि औसत ईल्ड भी अगर घटी नहीं है तो वह वैसी ही है बढ़ी भी नहीं है । अगर सरकार की मंशा साफ थी तो मंत्री जी एलान करते कि जिस वक्त एक्सपोर्ट के लिये माल खरीदा जायगा तो वह इतने दाम से कम पर नहीं खरीदा जा सकता । अगर ऐसा किया जाता तो किसान को भी यकीन हो जाता कि हमारी कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नहीं है । लेकिन दुख है कि कांग्रेस सरकार का केवल गांव की तरफ समाजवाद भाग रहा है, गांव वालों के लिये सब कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि गरीब किसान को धोखे में सरकार न डालें और साफ एलान करे कि जिनको हम लाइसेन्स देगें वह निश्चित कीमत से कम पर कपास नहीं खरीदेंगे और केवल क्वालिटी बढ़ाने के लिये यह है ।

यहां ३५/१ का जिक्र किया गया । मैं जानता हूं की ३५/१ का और कई कपासों का सरकार के यहां से बीज मिलता है । होना यह चाहिये कि सरकार उस बीज का वितरण करे और जिन अच्छे काश्तकारों को वह बीज दे उनकी पैदावार को गवर्नमेन्ट परचेज करे और एक फेयर इकोनामिक प्राइस पर परचेज करे । तो मैं नहीं समझता कि क्या मिलावट हो सकती है । इसके मानी यह हो जाते हैं कि सरकार के काटन इंसपेक्टर और एग्रीकल्चर इंसपेक्टर को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कपास में मिलावट है या नहीं । लेकिन जो लाइसेंस लेंगे जिन्होंने कभी कपास पैदा नहीं की है, जिस आदमी ने शायद कभी यह नहीं समझा है कि कपास का पौधा कितना बड़ा होता है उससे आशा की जाती है कि वह वगैर मिलावट के कपास खरीदेगा । क्या आवश्यकता थी सरकार को एक मिडिल मैन पैदा करने की ? यह जो मिडिल मैन पैदा किया है और सरकार जो चाहती है कि लाइसेन्स-होल्डर किसान से खरीदे और फिर सरकार उससे क्वालिटी मैन्टेन करे, अगर मंशा सरकार का यह है, तो उपाध्यक्ष महोदय,क्या दिक्कत थी सरकार को सीधे बाजार में आने में काटन इंसपेक्टर और

[श्री जगवीर सिंह]

एग्रीकल्चर इंसपेक्टर आते और किसानों से कहते कि ३५/१ जो बिलकुल प्योर होगा उस पर दो रुपये मन की सबसिडी देंगे तो किसानों को प्रोत्साहन होता। किसान निश्चित तरीके से ३५।१ बोता। लेकिन आज दिक्कत क्या है ? चाहते हैं कि किसान ठीक कपास उगावें। चाहते हैं कि किसान का गला घोटकर उसकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा कर, उसकी कपास को थोड़ी कीमत में ले लिया जाय और मिडिल-मैन नफा ले जाय।

एक तरफ तो हमारी सरकार की स्टेट ट्रेडिंग की नीति और दूसरी तरफ मिडिल-मैन पैदा करने की नीति। जब लाइसेंस होगा तो उसमें क्या-क्या नहीं होता है, सब कोई जानता है, माननीय मंत्री भी जानते हैं, आप भी, उपाध्यक्ष महोदय, जानते हैं, माननीय सदस्य भी जानते हैं। इन्डियन काटन कमेटी और यू० पी० काटन कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया। बदकिस्मती है कि वह पढ़ने को नहीं मिल सकी। शुरू से यह बात नहीं मालूम थी कि इसका भी कोई जिक्र यहां होगा। मान लिया जाय कि सन् ४६ से सिफारिश थी। आज ऐसी कौन सी बातें पैदा हो गईं, कौन विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आज सरकार को जरूरत महसूस हुई कि फौरन एक विज्ञप्ति निकाल दे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो गेंदा सिंह जी ने यहां पर संशोधन पेश किया है, मंत्री जी किसानों की भलाई के लिए वह कमेटी मुकर्रर करें जिस कमेटी को यह अधिकार हो कि वह जो चाहें इस मामले में सोच विचार कर जो उचित कार्यवाही हो करे। हमारी सरकार हर प्रश्न क्वेश्चन आफ प्रेस्टिज बना लिया करती है, मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वे सोचेंगे और इस संशोधन को मानें क्योंकि इसमें किसानों की भलाई है।

जहां तक ३५/१ और अन्य किसी बीज की बात है, और बहुत तरीके हो सकते हैं। एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस से क्वालिटी सुधर सकती है, इसमें मुझे बहुत बड़ा सन्देह है और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं जिनमें शायद किसी को आपत्ति न हो। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को जरूर स्वीकार कर लें।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो साथी जगवीर सिंह जी ने कहा.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय बलवान सिंह जी, आप कृपया बैठिए। पहले मैं चाहता हूं कि माननीय रामकुमार वैद्य जी का संशोधन ले लिया जाय ताकि सभी संशोधनों पर एक साथ विचार हो जाय।

***श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, इसमें तो नम्बर्स कई हैं संशोधनों के, लेकिन शब्दावली चूंकि एक है और तात्पर्य भी एक ही है, इसलिये आपकी आज्ञा चाहूंगा कि सब को एक साथ ही पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—हां, ठीक है।

श्री रामकुमार वैद्य—

१—संकल्प की अन्तिम पंक्ति के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायं :

"अतः यह सदन एतद्द्वारा उक्त विज्ञप्ति एवं नियमावली के आलेख्य को निम्नलिखित संशोधनों सहित स्वीकृति प्रदान करता है।"

(१) उसके दूसरे पैराग्राफ में शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "अथवा" शब्द "कपास" तथा "ओटी हुई कपास" के बीच रख दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) नियमों के संदर्भ में नियम नं० २ की पहली पंक्ति से शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जायें और शब्द "या" शब्द "कपास" तथा "ओटी हुई कपास" के बीच रख दिया जाय।

(३) नियम नं० ३ की पंक्ति ३ से शब्द "किसी निर्दिष्ट प्रकार की" निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर शब्द "ओटी हुई" रख दिया जाय।

(४) नियम ४ की तीसरी पंक्ति में से "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "या" शब्द "कपास" तथा "ओटी हुई कपास" के बीच रख दिया जाय।

(५) नियम नं० ५ की पंक्ति ३ में से शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "या" शब्द "कपास" तथा "ओटी हुई कपास" के बीच में रख दिया जाय।

(६) नियम नं० ६ की दूसरी पंक्ति में से शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "तथा" शब्द "कपास" एवं "बिना ओटी कपास" के बीच रख दिया जाय।

(७) विज्ञप्ति के पहले पैराग्राफ की पंक्ति ३ में से शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "अथवा" शब्द "कपास" एवं "ओटी हुई कपास" के बीच में रख दिया जाय।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से जो उन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत करते हुए दिया है सामान्यतः मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मंत्री जी का उद्देश्य अत्यन्त पवित्र है। किन्तु शंका होती है प्रक्रिया के सम्बन्ध में जैसा मंत्री जी ने कहा कि कपास की क्वालिटी सुधारने के लिये, उसके उत्पादन को ठीक से वितरित करने के लिए और अन्य ऐसी अनेक आवश्यकताओं की दृष्टि से जो कपास की किस्म को उन्नत कर सकें, यह संकल्प लाया गया है। किन्तु जो इसमें कमी है उसी की ओर मेरे यह संशोधन संकेत करते हैं।

पहली बात तो यह है कि इस संकल्प को लाने के पहले मैं समझता था यदि कपास की पैदावार को बढ़ाना है, उन्नति देना है और जो भी कपास हमारे प्रदेश में और खास कर संरक्षित जिलों में जिनका संकल्प में जिक्र है, पैदा होती है उसमें अधिकाधिक वृद्धि करना है तो मंत्री जी इस प्रकार का संकल्प लाते सदन में, या इस प्रकार के कुछ नियम बनाये जाते जिनके द्वारा कपास की खेती म लोगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन होता। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा उसमें यह बात भी होनी चाहिये थी कि किसान को यह मालूम हो जाय कि यदि मैं कपास उगाऊंगा तो और दूसरी कपास के मुकाबले, खास तौर से संरक्षित क्षेत्रों में जितनी और कैश क्राप्स होती हैं, उनके मुकाबले में उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और मैं जब चाहूं अपनी उपज को बेंच सकूं। तो ऐसा संकल्प लाने की जरूरत थी। फिर उसके बाद ऐसे उपबन्ध आवश्यक थे। किन्तु ऐसा न करके आम तौर पर कपास या कपास से सम्बन्धित दूसरी किस्मों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है और इसके द्वारा अन्य क्षेत्रों से यदि कोई कपास, ओटी हुई कपास या क्षेप्य कपास लेता है तो उसके लिये उसे लाइसेंस लेना होगा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह प्रक्रिया कितनी जटिल होगी। लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस संकल्प में एक "क्षेप्य कपास" शब्द बार-बार आया है और जैसी परिभाषा मैं समझा हूं "क्षेप्य कपास" की, उसका तात्पर्य शायद वेस्ट काटन या मिल सिपिंग से है। यह एक ऐसा पदार्थ है कि जहां कपास के ओटने और धुनाई का काम होता है, मिलों में बहुत से छोटे-छोटे कण रुई के बाहर जाते हैं, वे बेकार रहते हैं और अन्त में एक जाले की सी शकल अख्तियार कर लेते हैं। तो उस सब को इकट्ठा करके मेरे क्षेत्र में अब से लगभग ४० वर्ष पहले कुछ परिश्रमी लोगों ने उसका एक उपयोग करने की बात सोची और मैं उनके प्रति श्रद्धा इस दृष्टि से व्यक्त करता हूं कि आज जब हम इस योजना काल में यह सोचते हैं कि अपने देश में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर लें जो हमारे देश के रहने वालों के लिये उपयोगी हो सकता है तब मैं उनकी सूझ-बूझ की प्रशंसा करता हूं कि यह काटन वेस्ट पहले आम तौर पर फेंक दिया जाता था और जला दिया जाता था। लेकिन आज से ४० वर्ष पहले अमरोहा में एक छोटी-सी मशीन पर जिसको आम तौर पर कार्डिंग मशीन कहते हैं और जो तीन चार हजार रुपये की कास्ट में लग जाती है, हजार बारह सौ

[श्री रामकुमार वैश्य]

की और मशीनें बनती हैं और हजार रुपये करीब बिजली और अन्य कामों के लिये एक थोड़ी सी पूंजी पर चलने वाली इस मशीन पर करीब १० व्यक्ति काम करते हैं और इसके जरिये से सैकड़ों लोगों को काम मिल जाता है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है उससे रुहेलखंड में मुरादाबाद व बिजनौर और मेरठ डिवीजन में मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर पड़ेगा। इन सब में लगभग ५० कार्डिंग मशीनें लगी हुई हैं। इनमें से ४७ केवल मेरे जिले में हैं और इनमें से भी ४१ मेरे क्षेत्र यानी अमरोहे नगर के अन्दर लगी हुई हैं। और इस प्रकार से जो बंधन इन स्थानों के लिये रखा गया है उनमें सब से अधिक प्रभावित मेरा क्षेत्र अमरोहा होगा। इस दृष्टि से मैं आपके द्वारा कुछ प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने रख रहा हूं।

मैं कह रहा था कि मेरे क्षेत्र में कार्डिंग मशीन पर इस तरह के काम हो रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों से जैसे बम्बई और मद्रास से, अहमदाबाद से, लखनऊ से, आगरा से और जहां-जहां काटन मिल्स हैं, जहां जहां टेक्सटाइल मिल्स हैं वहां से धुनी उड़ी हुई कपास इकट्ठा करके अमरोहा लाई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका भाव २ रुपये से १० रुपये तक होता है। जब इसके विपरीत जो हमारी अच्छी ओटी हुई रुई है उसका भाव ४० से ७० रुपये होता है प्रकट है कि इस दरिद्रता के समय में गरीब लोग जाड़े में ओढ़ने के लिये रजाई बनाने के लिये रुई नहीं खरीद पाते। इस साल जाड़े के महीनों में रुई हमारे पश्चिमी जिलों में लगभग पौने दो रुपये सेर कच्ची तोल से बिकी है। कच्ची काटन की अमरोहा में धुनाई की जाती है। अमरोहा के अतिरिक्त मुरादाबाद और उसकी तहसील हसन में और जो दूसरे क्षेत्र हैं हमारे सरहद के वहां भी इस प्रकार की धुनाई होती है। इस तरह से एक बहुत बड़ा व्यवसाय अमरोहे में चल रहा है। ४१ मशीनों पर लगभग ५ सौ व्यक्ति काम करते हैं। इनसे लगभग ५ सौ मन वेस्ट काटन धुन कर तैयार किया जाता है। मेरा अनुमान है कि ४०, ५० हजार कत्तिनें, दूर दूर तक गरीब कत्तिनें, इसका सूत कातती हैं और एक दिन में लगभग आधसेर, तीन पाव तक सूत कातती हैं। इससे ज्यादा वे कात नहीं सकतीं। चूंकि प्योर नेचुरल काटन में उसका सम्मिश्रण नहीं किया जा सकता किन्तु इस प्रकार इस वेस्ट काटन का वहां बहुत अच्छा प्रयोग हो जाता है। यहां उसका प्रदर्शन करना बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं उसका कुछ थोड़ा सा नमूना अपने साथ लाया हूं और आज ही मंत्री जी और सम्बन्धित अधिकारी महानुभावों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं विश्वास नहीं करता कि हम किस प्रकार से उसको अच्छी रुई या अच्छी कपास से मिला सकते हैं।

श्रीमन्, यह अवस्था है कि हमारे देश में ४०, ५० वर्ष पहले जिस वेस्ट काटन का कोई उपयोग नहीं था उसके लिये एक नगर विशेष की सूझ बूझ ने एक उत्तम प्रयोग करना शुरू किया और उसका वह प्रयोग इस सीमा तक बढ़ गया है कि आज सारे प्रदेश में अमरोहे का अनुकरण करके वह वेस्ट काटन धुनी जाती है। इस वेस्ट काटन में से लगभग ५० प्रतिशत काटन निकल आती है चूंकि उसका अधिकांश कांटा जिसको कहते हैं, उसमें मिट्टी मिली होती है, लकड़ी वगैरह होती है वह सब निकाल दी जाती है और उसका जो उपयोगी भाग है उसको निकाल कर उससे कालीन, निवाड़, दरियां बिछाने के लिये, मसलन् गरीब लोगों के इस्तेमाल के लिये २, २ और ३, ३ रुपये के मूल्य के खेस बनाये जाते हैं। इस तरह से इस कार्य में इस क्षेत्र में ५०, ५२ हजार आदमी लगे हुये हैं और यदि सेन्सस किया जाय तो और ठीक संख्या मालूम हो सकेगी। उस क्षेत्र में जहां इस प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं वे सारी बहुत छोटी पूंजी से हैं और अशिक्षित और गरीब लोगों द्वारा किया जाने वाला यह व्यवसाय है। अब सरकार द्वारा यह प्रतिबन्ध ऐसे गरीब लोगों द्वारा किये जाने वाले और अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले और कम पूंजी से चलने वाले व्यवसाय पर लगाया जायगा। यदि व्यवसाय पूर्ण विकसित हो चुका होता, या यदि शिक्षित व्यक्ति उस कार्य को करें तो इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगना

कोई अनुचित बात न होती, लेकिन जिस तरह की आज की स्थिति है और जब सरकार का यह आदेश है कि कपास के स्तर में और कपास की किस्म में उन्नति हो, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि वह छोटा-सा व्यवसाय जो असरोहा में आज चल रहा है वह समाप्त हो जायगा। इसलिए मेरे इन सब संशोधनों का तात्पर्य एक ही है कि मंत्री महोदय ने जो संकल्प सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसमें से जहां-जहां भी शब्द "क्षेप्य कपास" आया है उसे हटा दिया जाय। जैसा कि मैं श्रीमन् के सम्मुख अपने संशोधन पढ़ते हुये निवेदन कर चुका हूं, मुझे आशा थी कि मंत्री महोदय इस संकल्प को लाते समय जो विचार मुझसे पहले गेंदा सिंह जी ने व्यक्त किये कम से कम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि न केवल इस विषय में जो मंत्री जी ने अपने उद्देश्यों को प्रकट किया उन सब पर अच्छी तरह से विचार हो सकेगा बल्कि इस समस्या पर एक जिम्मेदार कमेटी बैठ कर भली-भांति विचार कर सकेगी। मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरी इस मांग को जरूर स्वीकार कर लेंगे क्योंकि सदन का समय भी अब बढ़ गया है और मैं आशा करता हूं कि यदि कमेटी स्थापित करना मंत्री जी स्वीकार करें तो वह अपनी रिपोर्ट ५–६ दिन में दे सकती है। लेकिन यदि किसी कारणवश मंत्री जी ऐसा न स्वीकार करें तो मेरा निवेदन यह है कि यह प्रतिबन्ध जो इस संकल्प के द्वारा जिन चीजों का रुई से थोड़ा-सा भी सम्बन्ध है उन सभी पर लग रहा है तो उनमें से कम से कम क्षेप्य कपास या काटन वेस्ट को मुक्त कर देंगे।

आज हम सब एक ही भावना में चलते हैं, सरकार भी यह मांग करती है और देश की सारी शक्ति इस बात पर लगी हुई है कि हम ऐसे साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें और इस प्रकार करें कि हमें दूसरों का मुखापेक्षी न होना पड़े। मैं समझ नहीं पाता कि जो चीज वेस्ट है, जिस वेस्ट का अभी तक हम उपयोग नहीं कर पाते थे उसका यदि कोई सदुपयोग होने लगा है और आज उससे लाखों लोगों को काम मिल रहा है, ऐसी अवस्था में जब कि वह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है, जिसका प्रदेश के और भागों में प्रचार भी नहीं हुआ है, अन्य प्रदेशों की क्या बात है, तो ऐसी दशा में उसे प्रतिबन्धित कर देना, प्रत्येक स्टेज पर माल बाहर से मंगाते हुये लाइसेंस को लगा देना इस उद्योग का गला घोट देना होगा। श्रीमन्, इस आलेख्य के शब्द यह हैं कि प्रत्येक व्यापारी, आयातकर्ता उस क्षेत्र से माल मंगा और भेज सकेगा लाइसेंस के द्वारा जहां उसे भेजना हो बशर्ते कि वह क्षेत्र भी संरक्षित क्षेत्र न हो। और मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि अन्य प्रान्तों में भी इस तरह की योजना चल रही है कि कपास की किस्म को अच्छा बनाने के लिये इस तरह का प्रतिबन्ध लगा दें। तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यदि हमारे यहां वेस्ट काटन उन क्षेत्रों से आती है कि जो पहले से संरक्षित क्षेत्र बन चुके हैं तब तो उसका मतलब यह है कि इस कार्य को अपने यहां एकदम समाप्त कर देना होगा और वे हजारों गरीब आदमी जिनमें अधिकांश स्त्रियां हैं वे सब के सब बेकार हो जायंगे। अतः मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। संकल्प की अन्तिम पंक्ति के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायं :

"अतः यह सदन एतद् द्वारा उक्त विज्ञप्ति एवं नियमावली के आलेख्य को निम्नलिखित संशोधनों सहित स्वीकृति प्रदान करता है—

> अनुदेश के (क) की पंक्ति ५ से शब्द "तथा बिनौले" निकाल दिये जायं और "क्षेप्य कपास" से पहले शब्द "तथा" जोड़ दिया जाय।

आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बलवानसिंह—जो विचार अभी मेरे पूर्व वक्ता ने व्यक्त किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। अभी तक समझ में यह नहीं आया कि यह जो लाइसेंस प्रणाली सरकार चलायेगी इससे क्या फायदा होगा। १९४९ से लेकर आज तक कपास की उपज कितनी हुई यह चीज हमको देखनी होगी। हर साल कपास की उपज गिरती जा रही है। ३०, ३१ और ३२ तक मैंने देखा कि गांव-गांव में कपास ओटने तथा बिनौला निकालने की छोटी-छोटी मशीनें रहीं। स्त्रियां कपास को ओटती थीं, बिनौले निकालती थीं और कपड़ा उससे बनाया जाता था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि कपास गांव में मिल नहीं रही है।

मैं बुलन्दशहर से आया हूं। वहां कपास बहुत होती थी, लेकिन आज कपास की खेती एक किस्म से नष्ट होती जा रही है। सरकार ने यह चीज नहीं देखी कि जब कपास ही नहीं होगी, उपज ही नहीं होगी, पैदावार करने वाले नहीं होंगे तो लाइसेंस की क्या जरूरत पड़ गयी। लाइसेंस देने लगे तो जो कुछ होगा वह भी खत्म हो जायगा। बहुतों की रोजी खत्म हो जायगी। आज आपके नये-नये इंस्पेक्टर्स बनाने से, नये विभाग खोलने से कोई कपास की उन्नति नहीं हो सकती। आपके जितने डेवलपमेंट के काम हैं उन्हें यही देखेंगे कि केवल कागजी काम होता है और काश्तकार का उससे कोई लाभ नहीं हो पाता है। एक बहुत बड़ी रकम इस प्रकार चली जाती है। अगर आप किसान की दृष्टि से सोचें, किसान जो पैदा करता है उसकी दृष्टि से सोचें, खरीदने वाला होता है उसकी दृष्टि से सोचें, आप अगर लाइसेंस का बोझ डाल देते हैं पैदा करने वाले पर और एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट पर लाइसेंस का बोझ नहीं डालते तो कोई फायदा होने वाला नहीं है।

आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के सूबों में विशेषकर यू० पी० में और यू० पी० में खास कर पश्चिमी जिलों में कपास की उपज सब से ज्यादा कम हो गयी है। जितने मिल मालिक हैं उनको दूसरे सबों से कपास लेनी पड़ती है, उसके ऊपर ड्यूटी ज्यादा होती है और इस कारण आज यू० पी० के अन्दर सूत के जितने कारखाने हैं उनको रुई के दाम ज्यादा देने पड़ते हैं जिससे कपड़े के दामों में वृद्धि हुई है। मेरा कहना यह है कि बुनियादी चीज यह है कि आप को अगर अपने सूबे में कपास का एरिया ज्यादा करना है तो किसान को ज्यादा पानी की मदद दीजिये, बीज की मदद दीजिये, खाद की मदद दीजिये और किसान को कपास के दाम ठीक से मिलें। साथ ही मेरा कहना यह भी है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करें कि आज की पैदावार में, कपास की पैदावार में वृद्धि हो जब तक सरकार दामों की नीति को ठीक से नहीं चलायेगी पैदावार नहीं बढ़ सकती। आप एक साल पहले नीति निर्धारित कीजिये कि कपास के ये दाम होंगे, फिर आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर्स मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है जो देखें कि बीज अच्छा है या नहीं अच्छा है या कीड़े मारने की दवा वितरित की जाय। आप केवल काश्तकार को बतला दीजिये कि उसको इतने दाम मिलेंगे। इस यू० पी० का काश्तकार समझदार है और अगर उसको अपनी लागत से दाम ज्यादा मिलेंगे तो कपास की पैदावार जरूर बढ़ेगी।

मंत्री जी सोशलिस्ट विचारधारा को जानते हैं। जितने समाजवादी देश हैं उनके अन्दर उनको ज्ञात होगा कि काश्तकार को पैदावार के दाम कितने कितने मिलने चाहिये। अगर आज आप हिन्दुस्तान की पैदावार का मुकाबला मिस्र से करें, आप इनका विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर आयेंगे कि जब तक काश्तकार को प्रोत्साहन या मुनाफे की दर में कोई चीज नहीं देंगे तब तक इसमें कोई प्रगति नहीं आ सकती है। आखिरकार, वह कपास क्यों बोये? कपास की जड़ें ६-६ इंच नीचे जाकर जमीन की खुराक ले आती हैं। अगर कोई ३, ४ साल इसकी फसल करने लगे तो उसकी जमीन खराब हो जायगी। उसको आप क्या साधन देते हैं, उसको आप क्या मुआवजा देते हैं, इस पर विचार करना होगा। जब आपके पास चीज ही नहीं तो लाइसेंस लगाने से क्या फायदा है?

अगर आप चाहते हैं कि कपास सस्ती मिले, किसान के बदन पर कपड़ा आये क्योंकि मैं देखता हूं कि इस सूबे के ५० फीसदी लोग नंगे रहते हैं, ११-१२ साल तक की लड़कियों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बदन पर कपड़ा नहीं रहता है और फिर कपड़े के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं तो सरकार की नीति यह हो कि कपास के बेंचने वालों पर लाइसेंस लगाया जाय तो बीच वाले कहां जायंगे ? इसलिये आपके इस ऐक्ट से किसान, जनता, खरीदने वाले और पैदा करने वाले सभी को नुकसान है। इसलिये इसको एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। जहां-जहां कपास के इलाके हैं वहां के लोगों को प्रोत्साहन दें तो लोग खुद कपास बोना शुरू कर देंगे। जैसा कि रामकुमार जी ने कहा, अगर कपास की उपज ज्यादा होगी तो बहुत से नये-नये धंधे खुलेंगे और लाखों आदमियों को रोजगार मिलेगा। हिन्दुस्तान की नंगी जनता को कपड़ा मिलेगा। अगर सरकार लाइसेंस लगायेगी तो इससे देश को नुकसान होगा और नये-नये धंधे ठप्प हो जायंगे। आज कपास नाममात्र को बोई जाती है। मीलों गांवों में कपास का खेत नजर नहीं आता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कपास की पैदावार को नष्ट होने से बचायें, गांव के अन्दर जो धंधें चलते थें उनको प्रोत्साहन दें और इस लाइसेंस सिस्टम को खत्म करें।

श्री मुल्ला प्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदासिंह जी तथा अन्य साथियों ने पेश किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे मंत्री जी चाहते हैं कि कपास की अच्छी उपज हो और उसका अच्छा मूल्य मिलें, तो हम भी यही चाहते हैं। सरकार की तरफ से इसके लिये प्रस्ताव आते हैं तो हमें भी खुशी होती है। हम चाहते हैं कि किसान को फायदा हो। मैं तो पूरे प्रदेश की उपाध्यक्ष महोदय, नहीं बता सकता हूं लेकिन बहुत से जिलों में गया हूं और देखा है कि जिस जमाने में कपास होती थी उस जमाने में हमारे उन्नाव जिले में बहुत ज्यादा कपास होती थी और वह देशी कपास होती थी। आज भी हमारे जिले में कपास बोई जाती है दरख्त होता है, फूल होते हैं और उसमें फल जो होता है वह गिर जाता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अच्छी कपास बोने के लिए पांच जिलों में इसको लागू किया है लेकिन हमारे जिले में भी कपास बोई जाती है। कहीं १० विस्वा, कहीं एक बीघा, कहीं पांच विस्वा, इस तरह से बोई जाती है। लेकिन वह कब बोई जाती है ? ऐन मौके पर वह नहीं बोई जाती है। उसमें खाद या पांस जो उपज के लिए जरूरी होती है, वह ऐन मौके पर नहीं दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जहां-जहां यह पुरानी कपास होती थी वहां की मिट्टी को टेस्ट कराया जाय और देखा जाय कि कौन सी कपास उसमें हो सकती है। देशी हो सकती है या सरकार के दिए हुए बीज जो हैं उसकी कपास हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मिट्टी को जरूर टेस्ट करायें क्योंकि मेरे इलाके में आज से बहुत दिन पहले लाखों मन की तादाद में मेरे जिले उन्नाव में कपास होती थी। मैं गांव बता सकता हूं मुरादाबाद, मुर्तजापुर, रघुराजपुर, नवल गांव और है बदपुर, दरौली, ऊधू और इसी तरह से पुरवा के कुछ हिस्से में और इधर उन्नाव तहसील में भी काफी कपास की उपज होती थी। उस कपास से हमारे किसानों को बहुत फायदा होता था, इतना फायदा होता था कि जिस वक्त रबी की बुवाई होती थी उस समय वह कपास होती थी। वह कपास को बेचकर और बीज खरीद कर के अपने खेत में बुआई करते थे। तो, उपाध्यक्ष महोदय मेरा सुझाव है कि मेरे जिले की मिट्टी टेस्ट कराई जाय। अगर यह हो जाय तो हमारे जिले में काफी कपास हो सकती है क्योंकि हमारी जानकारी में लाखों मन कपास वहां हुई है और आज भी किसान नहीं मानता है, बोता है, कुछ सरकार के बताये हुए और कुछ अपने मन से वही पुराने बीज बराबर बोता चला जा रहा है क्योंकि किसान तो सोचता है कि यह तो भगवान की माया है। सरकार यह सोचती है कि भगवान की माया नहीं है हमारे बताए हुए के अनुसार किसान काम करे तो हर एक चीज अच्छी उपज सकती है। किसान एकदम कहता है कि भगवान की माया है, इसलिए कपास नहीं होती है। हम बोते रहेंगे कभी हो जायगी, तो अगर मिट्टी टेस्ट हो जाय और देखा जाय कि किस कारण से कपास की उपज नहीं होती है, तो इससे फायदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं चाहूंगा कि दूसरी जगहों में भी मिट्टी को टेस्ट कराया जाय।

[श्री मुल्ला प्रसाद 'हंस']

हमारे साथियों ने दूसरे-दूसरे सुझाव दिये लेकिन मैं यह सुझाव दूंगा कि दूसरे जिलों में भी जहां कपास होती है और किसान कमाता है, बोता है, सींचता है लेकिन फिर भी उसकी मेहनत बेकार जाती है, मैं चाहता हूं कि मेरे सुझाव को जरूर माना जाय और वहां की मिट्टी का टेस्ट कराया जाय। जहां तक उसके मूल्य का मामला है, आज वह हालत है कि किसान को बहुत ज्यादा ऊंचे दाम पड़ते हैं और जितना फायदा होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति को होता है। किसान जो उसे पैदा करता है उसे फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ऐसा कानून लागू किया जाय कि इससे ज्यादा मुनाफा कोई नहीं ले सकता है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे सुझाव को मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---भाई देखो, अभी तो कपास का जिक्र आया। कपास की पैदावार क्यों गिरती जाती है? सब साहबान ने कहा कि कपास की पैदावार गिरती जा रही है। कपास हमेशा आद्रा की बोई हुई अच्छी आती है। २१ जून से पहले अगर बारिश हो जाय तो कपास अच्छी होगी। कपास १५ अप्रैल से लेकर १५ मई और १५ जून के पहले जो बोई जायगी वह कपास फलेगी। क्योंकि बरसात जुलाई में होती है और पीछे को हटती चली जा रही है और सिंचाई के अन्य साधन हैं नहीं और कपास चूंकि वक्त पर बोई नहीं जा सकती है इस वजह से उसकी उपज अच्छी हो नहीं सकती। क्वार में आकर बरसात हुई....

श्री उपाध्यक्ष---यह किस नियम से सम्बन्धित है आपका भाषण? नियमों में व्यवस्था की जा रही है कि इसके लिए लाइसेंस हो। कपास बोने वगैरह का जहां सम्बन्ध हो उसको जरा उद्धृत करते चलें।

श्री टीकाराम---मैं बतलाये देता हूं। लाइसेंस तभी होगा जब हमारी उपज होगी। उपज के ऊपर लाइसेंस लगेगा। जहां पर बिक्री और लाइसेंस का सम्बन्ध आता है वहां पर किसान की उपज का मूल्य बराबर मिले और उससे ज्यादा हो तब तो वह कपास ज्यादा बोयेगा और उपज करेगा और जब उसका मूल्य नहीं मिलेगा तो वह उसकी पैदावार नहीं करेगा। तो लाइसेंस के लग जाने से उपज पर बार पड़ेगा और लाइसेंस जो दरम्यानी लगेगा उतना ही दाम बढ़ेगा और हमारी चीज सस्ती बिकेगी। उसके सबब से उपज के दाम उतने नहीं मिलेंगे। सरकार अगर यह चाहती है कि कपास की उपज बढ़े तो लाइसेंस लगाना छोड़ दे। लाइसेंस कतई न लगाये और उसका यह भाव निर्धारित कर दे कि हम इस भाव से खरीदेंगे। अपने आप किसान उसको ज्यादा पैदा करेगा क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। यह सूरत हमने पिछले तजुर्बे में देख ली है कि जो चीज गरां बिकती है उसी की पैदावार लोग करते हैं। गन्ने की पैदावार इसी तरह बढ़ी और इसी तरह मूंगफली की पैदावार बढ़ी। जिस चीज के दाम कम मिलेंगे उसकी पैदावार गिरती चली जायगी। इस लिहाज से मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि जहां कपास की बिक्री पर लाइसेंस लगाया जा रहा है वहां लाइसेंस का नाम न ले और किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाय। जो सरकार उनको आबपाशी वगैरा की मदद दे सकती है वह दे लेकिन लाइसेंस का नाम न ले। जब इसकी पैदावार ज्यादा हो जाय तब लाइसेंस लगाया जाय।

*श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, कपास की खेती बढ़ाने के लिये लाइसेंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लाइसेन्स लगाया जायगा तो उससे कपास की पैदावार कम हो जायगी। मैं निवेदन करूँगा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे साधन प्राप्त किये जायं। मेरे यहां बहुत ज्यादा कपास होती थी और मैं उसका ही बिजनेस करता था। मेरी राय से कपास की पैदावार बढ़ाने के तरीके ये हैं कि उसको तेज किया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पहले जब गेहूं ३ रुपया मन बिकता था तो उस समय कपास १० रुपया मन बिकती थी। उस समय लोग कपास की खेती ज्यादा करते थे। कपास में लागत ज्यादा आती है तो उसी हिसाब से उसको कपास की कीमत मिलनी चाहिये। अगर आज गेहूं का दाम २० रुपये है तो उसी हिसाब से कपास का दाम बढ़ना चाहिये जिससे लोग उसको ज्यादा बोयें। कपास के लिये अगर बैसाख में खेत तैयार हो जाय तो उसके बाद उसमें कपास की खेती करने से कपास ज्यादा पैदा होती है और अच्छी पैदा होती है....

श्री उपाध्यक्ष--मैं अभी टीकाराम जी को टोक चुका हूं कि इस पर इस तरह के विवाद की आवश्यकता नहीं है कि कैसे उपज उसकी बढ़ाई जाय।

श्री भूपकिशोर--मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि अगर समय के ऊपर कपास को बो दिया जाय तो वह अधिक पैदा होती है। उसका खेत तैयार करने में बहुत लागत आती है और उसमें खर्च अधिक आता है। अगर कपास को तेज न हीं किया जाय तो काश्तकार फिर उसकी खेती नहीं करेगा। इसलिये कपास की खेती बढ़ाने के लिये सरकार आबपाशी का इन्तजाम सब से पहले करे। जब बैसाख में उसको पानी मिल जाय तो दो नुराई उस बरसात से पहले हो जाय। यह नुराई लगाने की प्रथा अब बन्द है। अगर बरसात के पहले ही इसको बो दिया जाय और बरसात के पहले पानी इसको मिल जाय और कपास जड़ पकड़ जाय तो पैदावार ज्यादा होती है....

श्री उपाध्यक्ष--आप इस विषय में काफी बता चुके हैं। अब विषय पर बोलिये। मैं इस तरह से बोलने की अब इजाजत नहीं दूंगा। आप यह भाषण अनियमित कर रहे हैं। इसमें लाइसेन्स देने का विषय आना चाहिये।

श्री भूपकिशोर--मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। लाइसेन्स दिया जायगा तो उससे कपास की खेती की पैदावार बढ़ेगी नहीं। कपास की कीमत पर कंट्रोल आप लगाइये, लेकिन इतनी कीमत उसको मिलना चाहिये जिससे उस काश्तकार के लिये कुछ प्रलोभन हो। गेहूं से ४ गुनी और ५ गुनी कीमत ज्यादा मिलनी चाहिये तो फिर इसकी पैदावार अधिक बढ़ेगी....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर फिर कार्यवाही आरम्भ हुई।)

श्री भूपकिशोर--कपास की फसल अपने यहां अच्छी हो इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। पुरानी कपास से नई कपास की अपेक्षा अधिक पैदावार नहीं होती है। मेरी राय में वह खराब निकलती है और कम निकलती है और जो नई कपास है ३५ एफ० उसका बीज डालने से अच्छी पैदावार होती है और उसमें फी बीघा की पैदावार भी ज्यादा निकलती है। इसलिये पुरानी कपास की जगह पर नई कपास ३५ एफ० का प्रयोग किया जाय तो पैदावार ज्यादा बढ़ेगी। उससे कपड़े भी अच्छे बनेंगे क्योंकि उसका रेशा अच्छा निकलता है। अच्छे रेशे से अच्छा कपड़ा बनता है और साफ बनता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये पुरानी कपास को बन्द किया जाय और ऐसा कानून बनाया जाय जिससे काश्तकार उसको बो न सके। नई कपास के लिये लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय तो ज्यादा पैदावार होगी और खुद काश्तकार ज्यादा पैदा करेंगे। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि कपास के ऊपर जो लाइसेंस लगाये जाने की बात सोची जा रही है वह न हो। लाइसेंस कपास पर लगाया जायगा, इसलिये मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि कपास के उत्पादन पर भी थोड़ा-सा जिक्र हो। आज देश में या संसार में मानव के लिये जो आवश्यक चीजें हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गरीबदास]

उनमें भोजन, वस्त्र और मकान है। भोजन और मकान की जो समस्या है वह इससे संबंधित नहीं है, लेकिन वस्त्र की समस्या ऐसी है कि यह निर्विवाद है कि उसके बिना मनुष्य की रक्षा नहीं हो सकती। अंग्रेजी राज्य में अंग्रेज चाहते थे कि मैनचेस्टर, लंकाशायर या दूसरी जगह का कपड़ा भारतवर्ष में बिके जिससे उनको यहां की सम्पत्ति लूटने का मौका मिले और कपास के उत्पादन को घटाने के लिये जो भी सम्भव उपाय किये गये वे सामने हैं। मैं बुन्देलखण्ड की बात जानता हूं। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे जिले में दो मिल चलते थे कपास के, लेकिन आज पता नहीं है कि उस कपास का बिनौला कहां है और नया बीज जो आप देते हैं वह ठीक से फलता नहीं है, अच्छी कपास निकलती नहीं है। इसलिये लाइसेंस न लगाने के साथ-साथ यह जरूरी है कि बुन्देलखण्ड की कपास का बीज कहां है उसका पता लगाया जाय और उसका प्रचार कराया जाय। साथ ही किसानों को इसके लिये प्रोत्साहन मिले कि उनको कपास से इतना पैसा मिलेगा जितना कि अन्न से नहीं मिलता।

पहले गेहूं अगर १६ सेर का बिकता था तो कपास ५ सेर की बिकती थी, लेकिन समय पर पानी और खाद न मिलने और बीज के लुप्त हो जाने के कारण उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। पानी, खाद, उसका भाव ये सब निर्धारित करने के साथ-साथ किसान को यह आश्वासन मिलना चाहिये कि वह फलां रेट पर खरीदी जायगी और अन्न की फसल से उसका भाव अधिक होगा, तभी वह उसको पैदा करेगा और उसका उत्पादन बढ़ेगा। इस आधार पर यह लाइसेंस लगाने या न लगाने की बात सोची जाय। जब पैदावार बढ़ेगी और कपास अच्छी होगी तो उसके लिये यह आवश्यक होगा कि लाइसेंस न लगाया जाय। ऐसा अगर नहीं होगा तो जो भावना होगी वह जागरुक नहीं हो सकती है और जो नये डिपार्टमेंट खोलने जा रहे हैं, जिनमें केन इंस्पेक्टर और बी० डी० ओज० हैं, वे नहीं जानते हैं कि किसान को फायदा हो रहा है या नुकसान, उनको तो तनख्वाह मिलनी चाहिये। वे यह दिखला देंगे कि इतनी फसल बोयी गयी और इतना पानी लगाया गया। तो समय पर खाद और पानी के प्रबन्ध के साथ-साथ बुन्देलखण्ड के बीज का पता लगाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि खराब कपास अच्छी कपास में न शामिल हो सके जिससे कि लोगों को अच्छी कपास प्राप्त हो, इसलिये लाइसेंस लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन हम उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि ठीक दाम अगर किसानों को नहीं मिलेंगे तो कपास पैदा ही नहीं होगी, तो लाइसेंस किस चीज पर लगायेंगे। बात तो किसान की कहते हैं, लेकिन दिल पूंजीपतियों के साथ है। यदि कपास पर लाइसेंस लगा दिया जायगा तो मैं यह कहता हूं कि लोग कपास बोना ही बन्द कर देंगे क्योंकि फिर जितने दाम उनको मिलने चाहिये वे उनको नहीं मिल सकेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे, यह भी बता दूं। लाइसेंस लग जाने के बाद कपास हर जगह लोग खरीद नहीं सकेंगे, सिर्फ लाइसेंन्स वाले ही खरीदेंगे और लाइसेंस वाले आपस में साठ-गांठ करके जिस भाव से चाहेंगे उसी भाव खरीदेंगे जैसा कि गन्ने के सम्बन्ध में सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा नियम बना दिया गया है कि किसान किसी दूसरी जगह छोटी फैक्टरियों में या कोल्हुओं पर गन्ना नहीं बेच सकता, सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। ऐसा भी हुआ है कि अगर कहीं पर कोई कोल्हू गाड़ दिया गया तो उस पर भी सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया, बल्कि यहां तक कि किसानों पर गोलियां भी चलाई गईं। तो इससे सिद्ध है कि सरकार पूंजीपतियों के साथ में है।

दूसरी चीज यह है कि अगर कपास पर लाइसेंन्स लगा दिया गया तो कपास का उत्पादन घटेगा। आंकड़ों से साबित है सरकारी नौकरों और अफसरों पर बहुत पैसा सरकार खर्च कर देती है। आज बड़ी तादाद में बड़े-बड़े अफसर लखनऊ और कानपुर में जो कि अंग्रेजी-दां हैं रखे गये हैं और किसानों का एक भी लड़का नहीं रखा गया है। ये अक्सर खेती के कपास की हालत जानते भी नहीं। उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन जो खेती करता है,

वह किसान के लड़के नहीं रखे जाते । बजट में देखा जाय कि कितना रुपया कपास के बीज पर खर्च किया गया है और कपास के उत्पादन पर खर्च किया गया, पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया तो पता चलेगा कि केवल नाममात्र के लिये बीज पर खर्च किया गया और सारा का सारा पैसा सरकारी नौकरों व भत्तों पर खर्च किया गया । यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो सरकार को चाहिये कि कोई लाइसेंन्स मुकर्रर न करे । सोशलिस्ट पार्टी कई वर्षों से कहती चली आ रही है कि दाम निर्धारित किये जायं । ऐसा न करने के कारण ही गल्ले के दाम भी बढ़े और गुड़ के दाम बढ़े । इससे साबित होता है कि सरकार पूंजीपतियों की ओर है । जिस समय गल्ला, कपास, गुड़, जूट, आदि किसानों के घर में पैदा होता है उस समय वह सस्ता होता है और जब उनके घर से निकल गया तो वह गरां हो जाता है । अक्तूबर के महीने में यानी कार्तिक के महीने में कपास खिलती है और उसके बाद माघ में कड़ा जाड़ा शुरू होता है और अधिक जाड़े के कारण कपास का खिलना बन्द हो जाता है । माघ के महीने में जाड़ा भी अधिक हुआ और बरसात की बदरी हुई, ओला-पत्थर गिरे जिससे कपास का कितना नुकसान हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई कि उनको छूट दी जाय । कपास एक ऐसी चीज है जो देश, प्रदेश और दुनिया के लिये इज्जत रखने वाली चीज है । कपास से ही कपड़ा होता है । यदि आदमी अच्छा कपड़ा न पहने तो दुनिया में उसकी इज्जत नहीं रह सकती है । लेकिन आज कपास को इस प्रकार से ठुकराने का कोई जवाब नहीं है । आज से ७०, ८० वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में नवाबी जमाने में हर गांव में कपास बोई जाती थी और चर्खे चलते थे । लेकिन आज लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी उत्पादन केवल इसलिये नहीं बढ़ रहा है कि वह रुपया नौकरों पर खर्च हो रहा है जिनमें किसी के नातेदार, किसी के रिश्तेदार और किसी के दोस्त हैं । वे काम कैसे करें ? यदि वही पैसा ग्राम पंचायत द्वारा किसानों पर खर्च किया जाता तो उत्पादन अवश्य बढ़ता । मजबूरन किसान जनवरी और फरवरी में कपास को बाजार में पूंजीपतियों और आढ़तियों को सस्ते दाम पर बेचते हैं क्योंकि उस समय उसे लगान देना होता है, सिंचाई देनी होती है, अपने ब्याह शादियों के लिये उसे पैसा चाहिये । मगर वही कपास की रुई उसे सेठ साहूकारों से २ रुपये सेर तक कार्तिक में खरीदनी पड़ती है जब कि वह अपने कपड़े, लिहाफ इत्यादि बनाता है ।

सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर गरीब किसानों का शोषण कराती है और उन्हें लुटवाती है । सोशलिस्ट पार्टी ११ वर्ष से कहती आ रही है कि उत्पादन इसलिये घटता जा रहा है कि किसान को उसकी मेहनत का पैसा पूरा नहीं मिलता है । यदि किसान कपास बोना बन्द कर देगा तो आप किस चीज का लाइसेन्स बढ़ावेंगे ? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । गांव के सभी लोग कहते हैं कि माघे मंदी कपास और चैते मंदा गुड़ । जब किसानों के घर से ये चीजें निकल जाती हैं तब महंगी होती हैं सोशलिस्ट पार्टी बराबर कहती है कि किसान के घर से ये चीजें निकलने से अगली बार पैदा होने तक केवल ४ पैसे का हेर-फेर भाव में रहे । मिल मालिकों की चीनी और कपड़े का भाव साल में कभी नहीं घटता-बढ़ता है । तो किसान की पैदावार के साथ ही यह अन्याय क्यों हैं ?

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि लाइसेन्स न लगाया जाय और सिंचाई की दर इतनी कम कर दी जाय कि सरकार रोजगार और मुनाफे की ओर न जाय परन्तु लागत के दाम पर सिंचाई कर वसूल किया जाय । इसी तरह से देश में उत्पादन बढ़ सकता है और सरकार को लाइसेन्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट में जो नोटीफीकेशन या नियम बनाने का गवर्नमेंट की ओर से सुझाव दिया गया है और जिसका विरोध लाइसेंन्स के सिलसिले में इस सदन में किया जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर इस लाइसेंन्स की प्रथा का औचित्य क्या है । जहां तक मैं समझ सका हूं, लाइसेंन्स की प्रथा का उद्देश्य यह होता है कि या तो सरकार कुछ आमद को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

करती है या लाइसेंन्स के जरिये से कुछ आंकड़े जमा किये जाते हैं जिससे किसी विषय विशेष के बारे में अध्ययन करने में सरकार को सहूलियत मिले । इन दोनों बातों को कसौटी पर कसकर देखने से मुझे इस लाइसेन्स की प्रथा का कोई औचित्य नहीं मालूम होता है । न तो उत्तर प्रदेश की आमदनी करोड़ या दो करोड़ बढ़ जायगी और न सरकार के पास कोई ऐसे नये आंकड़े पैदा हो जावेंगे । हां, हिन्दुस्तान में अगर देखा जाय तो सबसे पहले लाइसेन्स आर्म्स का हुआ और उसका कुछ कारण विशेष था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने समझा कि बन्दूक देने के लिये लाइसेन्स दिया जाय । अंग्रेजी राज्य के पहले हिन्दुस्तान में लाइसेंस का कोई सिस्टम नहीं था । दूसरा लाइसेंन्स का सिस्टम एक्साइज का था और वह केवल इसलिये अंग्रेजों ने किया था कि उसके जरिये से सरकार अपनी आमदनी बढ़ा सके । जब लड़ाई शुरू हुई उस समय हमने देखा कि कपड़े पर लाइसेंस, गल्ले पर लाइसेन्स, कोल्हू पर लाइसेंस, मोटर पर लाइसेन्स, गर्ज कि हर चीज पर लाइसेंस हो गया । अगर हमारे देश में आज भ्रष्टाचार है तो यह लाइसेंस का सिस्टम उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है । आज परिवहन विभाग में लाइसेन्स के सिस्टम की वजह से जिस कदर कुनबापरस्ती हो रही है और जितना भ्रष्टाचार है अथवा किसी भी विभाग को ले लीजिये, एग्रीकल्चर या फूड को ही ले लीजिये, माननीय मंत्री महोदय को अवकाश नहीं मिलता है कि नजदीक से मंडी में जाकर इस बात को देखें कि लाइसेन्स का सिस्टम कैसे काम करता है । मैं यह नहीं कहता हूं कि फूड डिपार्टमेंट में लाइसेंसिंग सिस्टम की वजह से इतना भ्रष्टाचार है जितना कहीं नहीं होगा मगर मैं यह कह सकता हूं कि इससे हर तरफ दिक्कत पैदा हुई और उसकी वजह से शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है ।

आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर यह नया प्रहार मिनिस्टर साहब द्वारा हो रहा है । एग्रीकल्चर विभाग का भ्रष्टाचार केवल उसी वक्त मालूम होता है जब बीज बांटा जाता है, जब जबर्दस्ती फर्टेलाइजर्स दिये जाते हैं, वह रोज-रोज देखने को नहीं मिलता है । इसमें कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर होगा उसके जरिये से या उसके किसी मातहत के जरिये से ये लाइसेन्सेज दिये जायेंगे । जिस प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंसिंग सिस्टम है और सेनीटरी इंस्पेक्टर उसकी वजह से बहुत बदनाम होते हैं, उसी तरह से अगर आपने काटन के सिलसिले में भी लाइसेन्स कर दिया तो उसमें भी कुनबापरस्ती होगी, फेवरटिज्म होगा, रिश्वतखोरी होगी । जब कोई व्यापारी लाइसेंसिंग की बात सुनता है तो वह तुरन्त ही दरख्वास्त दे देता है क्योंकि वह समझता है कि लाइसेंसिंग मोनोपली क्रियेट करती है । जब मोनोपली क्रियेट हो जाती है तो व्यापारी कभी भी ईमानदारी बरत नहीं सकता । मेरा तो यह विश्वास है कि अगर यह लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया गया तो कपास की पैदावार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा ।

इसका दूसरा पहलू और है । इसमें एक सूची इस प्रकार की दी हुई है कि फलां-फलां स्टेशन पर अगर एक्सपोर्ट होगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी । इससे यह मालूम होता है कि यह रूल्स डिसक्रिमिनेटरी है । क्योंकि इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी खास हिस्से में लाइसेंन्स दिया जायगा और दूसरे हिस्से के लिये नहीं होगा । अगर ऐसा है तो अवैधानिक है । ऐसा कई बार हुआ है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अवैधानिक है ।

अगर यह इस स्पष्टीकरण के साथ जारी किया जाता है कि इससे कपास की पैदावार ज्यादा होगी तो मेरा निवेदन यह है कि इस वक्त पिछले ३० वर्ष से कपास की खेती उत्तर प्रदेश में करीब-करीब खत्म सी हो गयी है । पिछले दो सालों से अवश्य इसके बारे में कुछ प्रयत्न हुआ है । लेकिन अगर यह लाइसेंसिंग सिस्टम जारी किया गया तो जो थोड़ी बहुत रुचि पैदा हुई है वह भी समाप्त हो जायगी । तम्बाकू की खेती भी इस लाइसेंसिंग की वजह से ही समाप्त हो गयी । इससे न तो गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू का फायदा है, न उत्पादकों को फायदा है । यह सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि १९२३ के ऐक्ट में ऐसा प्रावीजन था, अब तक कुछ किया नहीं गया, आफिस को अब पता लगा तो उसको रूल्स बनाने की सूझी । इस लाइसेंसिंग सिस्टम की

व्यावहारिकता किसी प्रकार नहीं मालूम होती है। इसलिये यह जो विज्ञप्ति दी गयी है, सरकार की तरफ से, यह लाइसेंस की बात जो की गयी है इससे किसानों में एक अजीब तरह का डर पैदा हो जायगा। अगर माननीय मंत्री महोदय इस विज्ञप्ति को वापस ले लें तो कपास की पैदावार ज्यादा बढ़ सकेगी।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामकुमार जी वैद्य के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं और इस मसले पर जो भाषण आज हुये उनको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो ५ जिलों में रुई के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है इसका कोई असली मकसद मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्यों लगाया जा रहा है। एक दलील पेश की गयी है और वह दलील सिर्फ इतनी पेश की गयी है कि बाहर की रुई में वेस्ट काटन को कहीं पर मिक्स कर दिया जाता है और उसे असली रुई कह कर बेचा जाता है। इसलिये इस सिस्टम के द्वारा उसमें फर्क किया जा सकता है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी उस कपास क्षेत्र का रहने वाला और कोई भी मिल ओनर इस बात को कभी कबूल नहीं कर सकता है कि वेस्ट काटन में अच्छी रुई मिलायी जा सकती है। क्योंकि उसका कारण यह है कि जहां मिल में रुई धुनी जाती है वहां रुई की एक उड़ान होती है और वह जाकर छत में और दिवालों में चिपक जाती हैं और वह तेल से तर भी हो जाती है। जब वह तर हो जाती है तो वह रुई किसी प्रकार से दूसरी अच्छी रुई में नहीं मिलायी जा सकती है और न उसे मिलाकर अच्छी रुई की नस्ल बदली जा सकती है।

एक बात और है श्रीमन् कि अगर वेस्ट काटन के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो उन क्षेत्रों की सैकड़ों बेवा स्त्रियों की रोजी पर बड़ा भारी कुठाराघात होगा। क्योंकि उसका कारण यह है कि वह रुई तेल से भीगी होती है तो उसका रेशा टूट जाता है। उसमें रेशा नहीं होने की वजह से उससे बारीक सूत नहीं बन सकता है, इसलिये भी उसे किसी दूसरी रुई में नहीं मिलाया जा सकता है। वेस्ट काटन से मोटा सूत ही निकाला जा सकता है इसलिये उस इलाके की गरीब और बेवा महिलायें उस प्रकार की रुई से मोटे किस्म के सूत ही तैयार करती हैं जिससे कालीनें या दरियां बुनी जाती हैं या और कोई मोटा काम होता है और इस प्रकार से हजारों बुनकरों और कातने वाली महिलाओं का जीवन उसके ऊपर निर्भर होता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा तो उस क्षेत्र के ऐसे लोगों की रोजी पर बड़ा भारी कुठाराघात होगा।

श्री उपाध्यक्ष—कपास के आने जाने पर रोक लगाने का कोई मकसद नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं यह नहीं कहता हूं कि कपास आने और जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का मकसद है, लेकिन लाइसेंसिंग सिस्टम को कायम करके जो यह एक खाई या मेंड़ बनायी जा रही है उसको लांघने के लिये छोटे लोगों की इतनी लम्बी टांग नहीं है कि वे उसे लांघ सकें। इसलिये मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम के द्वारा रुई के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है तो उससे क्या छोटे लोग, जिनका जीवन चर्खे के ऊपर मुनहसिर है, उस लाइसेंसिंग की खाई को लांघने में समर्थ हो सकेंगे? लाइसेंस मिलता है बड़े-बड़े लोगों को, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को या बड़े-बड़े कारोबारियों को जो कि बड़े-बड़े आफिसरों को दावतें खिलाते हैं और जिनके घरों में बड़े ऊंचे-ऊंचे सोफे हैं और जिनके यहां सुनहरे और चांदी के चाय के सेट हैं। उन्हीं लोगों को लाइसेंन्स प्राप्त होते हैं। शाम को दावत हुई और सुबह को लाइसेंस मिला। क्या किसी चर्खे वाले को भी लाइसेन्स मिलता है? क्या कभी किसी जुलाहे या करघे वाले को भी कभी कोई लाइसेन्स मिला है? नामुमकिन है, तजुर्बे से साबित है कि सन् १९४२ से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता और हाथ मलकर रह जाते हैं। इसलिये जहां पर यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है और जहां के लिये यह लाइसेन्स की पद्धति बनाई जा रही है वहां यह श्री रामकुमार जी वैद्य का संशोधन स्वीकार किया जाय और उसमें से क्षेप्य कपास की बात निकाल दी जाय। अगर केवल प्योरिटी की ही बात है तो क्यों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवप्रसाद नागर]
नहीं अच्छी क्वालिटी का बीज देकर, अच्छी स्वायल और मैन्योर के द्वारा पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाता और इन ५ जिलों में आयात निर्यात पर क्यों लाइसेंसिंग की प्रथा चला रहे हैं ? इससे न पैदावार बढ़ेगी और न उसकी रक्षा होगी । मैं समझता हूं पैदावार घटेगी और कपास की रक्षा भी नहीं हो पायेगी ।

हम जानते हैं कि जहां पर जूट होता है वहां पर कहीं भी इस प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है और बराबर वहां जूट की खेती प्रगति कर रही है और वह इलाका इस प्रदेश की ही नहीं वरन् देश की जूट की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा कर रहा है । जिस तरह से जूट को अछूता रखा गया है और उस पर किसी तरह का लाइसेन्स नहीं है, इसी तरह से कपास पर भी कोई प्रतिबन्ध न रखा जाय; बल्कि जिस तरह से जूट योजना चलाई गई उसके लिये अफसर रखे गये और तमाम साधन जुटाये गये इसी तरह से कपास के लिये भी योजना बनाई जाय कि कहां कपास अच्छी हो सकती है, कहां उसकी आवश्यकता है और कहां पर किसान उस में दिलचस्पी लेते हैं और मेहनत कर सकते हैं, इस तरफ ध्यान दिया जाय बजाय इसके कि लाइसेन्स दिये जांय । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय । बस इतना ही कहना था ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विज्ञप्ति इस सदन के सामने रक्खी गई, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, यदि इस तरह की विज्ञप्ति माननीय वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री के द्वारा रखी जाती, लेकिन माननीय कृषि मंत्री द्वारा ऐसी विज्ञप्ति लाना कि जिसके द्वारा कपास के ऊपर लाइसेन्स लगाया जा रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है । विज्ञप्ति रखते समय माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस को लाने का कारण यह है कि इसके द्वारा उत्पादकों को अधिक मूल्य मिल सकेगा और उसकी क्वालिटी में भी सुधार होगा । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी कमेटी है कि जिस ने यह सिफारिश की है कि प्रदेश की जो कपास है उसकी क्वालिटी खराब है ? दूसरे उपज बढ़ाने की बात कही गई और क्वालिटी की बात कही गई, लेकिन जब उपज बढ़ाने की बात न होगी तो क्वालिटी भी नहीं सुधरेगी । उन्होंने कहा कि केन्द्र से बार-बार कहा जा रहा है कि इस तरह की व्यवस्था यहां होनी चाहिये । मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन सेन्ट्रल काटन कमेटी ने क्या कहा है । मैं उस के पेज ११३ की तरफ ध्यान दिलाऊंगा—परन्तु मैं यहां यह खेद प्रकट करूंगा कि हमारी लाइब्रेरी में यू० पी० काटन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली, मुमकिन है वह मंत्री महोदय के पास हो, हमें दस घंटे तक बैठकर पढ़ने में या तलाश करने में शर्म नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज की रेलेवेन्ट पुस्तकें नहीं मिलतीं तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर ही है । तो इसके पेज ११३ पर लिखा है 'ग्रो मोर काटन कैम्पेन" । इसमें है कि :

"The measures adopted as in the previous years, under the Cotton Extension Schemes for increasing the production of cotton, consisted of—

(i) Expansion of cotton area by reclamation of waste and fallow lands, by replacement of food and other crops by cotton and by growing cotton as a second crop ;

(ii) Intensive cultivation by (*a*) provision of extra irrigation facilities, (*b*) inter-croping cotton with other crops, (*c*) use of improved seed, (*d*) application of manure and fertilisers, (*e*) provision of adequate plant protection measures and (*f*) adoption of improved cultural methods, and,

(iii) Propaganda and technical advice to cotton growers."

तो मान्यवर, इसमें यह सुझाव दिया गया है कि कुछ लैंड्स चुने जायं जहां पर वह पैदा हो सकती है । ज्यादा से ज्यादा उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जायं आखिर में कहा गया है कि जो लोग कपास पैदा करते हैं उनको विभाग की ओर से टेक्निकल एडवाइस

देनी चाहिये। क्या मैं आपके द्वारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से पूछ सकता हूं कि आपके विभाग के आदमियों ने टिलर्स आफ दि स्वाइल को क्या राय दी है? वह खेत पर जाने की तकलीफ करते हैं? लखनऊ में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कपास की उपज खराब है। क्यों है? क्यों नहीं देखते? जो सरकार दावा करती है सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का उससे हम यह उम्मीद करते हैं। मैं बेन्थम के शब्दों में कह देना चाहता हूं "ग्रेटेस्ट गुड आफ दि ग्रेटेस्ट नम्बर" होना चाहिये। "बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय" हो, ऐसा काम करना चाहिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सिंचाई के साधन तो क्या कम से कम साधन नहीं दिये जाते हैं। एक्सपर्ट एडवाइज तो स्वप्न की बात है। विभाग के लोगों को वहां जाने में तकलीफ होती है।

इस किताब में बहुत कुछ लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ कहा गया है। पेज ६४ पर उत्तर प्रदेश के बारे में है, उसको मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं:

"Selection of superior long stapled cotton from desi and American varieties suitable for cultivation in Western and Central Uttar Pradesh."

इसमें दो जगह की बात कही गई है। इसके बाद पेज ६५ पर लिखा है:

"Scheme for improvement of cotton in Rohilkhand Tarai area in Uttar Pradesh. This scheme was started in April, 1951. The objects of the scheme are (i) to evolve desi varieties suitable for growing under barani conditions in the sub-montane districts of Uttar Pradesh and (ii) to evolve hardy American types which can be grown under irrigation in restricted localities as a rotation crop with sugarcane."

इसमें यह दिया हुआ है कि किस तरह से सुधार हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन सुझावों के अनुसार उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर विभाग ने क्या कार्यवाही की? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर प्रकाश डालें।

मान्यवर, दो पहलू हैं। अधिक से अधिक जब पैदावार होगी तो उपयोग किस प्रकार होगा। श्रीमन्, प्रेस्ड काटन जो हमारी कही जाती है, उसकी अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो पता लगता है कि बेल्स आफ ३९२ पौंड ईच, उत्तर प्रदेश में सन् १९५४-५५ में ९,१६१, सन् १९५३-५४ में ३,७८२ और सन् १९५२-५३ में २,५८५। पंजाब में ४,३६,७१९ सन् १९५४-५५ में, ३,४९,५१० सन् १९५३-५४ में और ७,१२,६२५ सन् १९५२-५३ में। इस प्रकार ....

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही जारी हुई।)

श्री प्रतापसिंह--मान्यवर, मैं बता रहा था कि प्रेस्ड काटन जो है कई प्रान्तों को लेकर जैसा मैंने पंजाब का उदाहरण दिया उसी प्रकार जितने भी प्रान्त हैं मैं समझता हूं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। इसके बाद मैं दूसरे आंकड़े पेश करता हूं नम्बर आफ यार्न स्पन के। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर डाला कि चर्खे से कपास को काता जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश ने किस तरह से तरक्की की है वह मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने १९५४-५५ में १२०, १९५५-५६ में १९६ और १९५६-५७ में २१२। मद्रास को लेते हैं तो १९५४-५५ में २५४, १९५५-५६ में २४० और १९५६-५७ में २४१। मैसूर को अगर देखा जाय तो १९५६-५७ में ४४६ और बम्बई में १,८०६।

तो दोनों चीजें मैंने बतायीं कि कितना काता जाता है और कितना प्रेस किया जाता है, इन दोनों में उत्तर प्रदेश पीछे है। इसके बाद जो आखिरी बात कहनी है, जैसा कि मंत्री जी से उम्मीद करता हूं जब से उन्होंने कार्य सम्भाला है वह इस देश की कृषि में काफी दिलचस्पी

[श्री प्रतापसिंह]

रखते हैं, तो माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पश किया है वह अपना महत्व रखता है। इसलिये कि आज भी मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र हम से कुछ कहता है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की परिस्थिति निम्न है तो हमें उत्पादक और उपभोक्ता, दोनों के हितों को सामने रखना है, दोनों के इंटरेस्ट का समन्वय कर सकें इस तरह की स्थिति में हम कोई एसी एक काम्प्रीहेंसिव चीज लायें, इसके लिये आवश्यक है कि माननीय गेंदासिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि एक कमेटी का निर्माण हो जो केवल लखनऊ में बैठकर नहीं, बल्कि जहां-जहां कपास पैदा होती है वहां जायेगी और इंडियन काटन सेन्ट्रल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी जिसको विज्ञप्ति में बढ़ाया जा रहा है जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके, क्वालिटी भी बढ़ सके और पैदा करने वाले लोगों को दाम भी अधिक से अधिक मिल सकें, इसके लिये आवश्यक है कि माननीय गेंदासिंह जी के सुझाव को मंत्री जी मानें। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार समाजवादी समाज व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है ताकि सब को समान अवसर मिले तो इसके लिये आवश्यक है कि कमेटी की स्थापना हो और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उचित कदम उठाये।

लाइसेंस वाली बात ऐसी है कि जो जमीन पर कपास पैदा करता है उसको लाइसेंस मंत्री जी की दृष्टि में भले ही मिल जाय, लेकिन नौकरशाही के जमाने में उसको नहीं मिल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे पूर्व वक्ता माननीय प्रताप सिंह या गेंदा सिंह जी ने कहा कि जो लिट्रेचर इस प्रस्ताव से संबंधित है वह हमारा दुर्भाग्य है, नहीं मिल पाया। मैं इसका दोषारोपण मंत्री जी पर नहीं करता शायद उनके खयाल में न रहा और उन्होंने सोचा कि हम ढूंढ लेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है, लाइब्रेरी में तमाम छान मारा और इस नोटीफिकेशन में भी ऐसा इशारा कहीं नजर नहीं आया कि मंत्री जी के पास ऐसा (literature) हो सकता है। नियम के अनुसार जैसा मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता ने कहा कि वह साहित्य सदन की मेज पर होना चाहिये था। मैंने कोशिश की, सदन की मेज पर भी देखा और संबंधित कर्मचारियों से पूछा लेकिन जब कहीं संबंधित साहित्य नहीं मुहैया हुआ तो मुझे मायूसी हुई। इस तरह क कोई भी विषय के लिये यह कतई मंत्री जी की मंशा नहीं थी, जैसा कि हम बराबर उनको जानते आये हैं पिछले २, ३ साल से कि इसके ऊपर पूरा वादविवाद न हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जब लिट्रेचर मिलता नहीं तो पूरा जस्टीफिकेशन नहीं हो पाता। और गलतियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे हमने सेल्स टैक्स बिल पास कर दिया और वह हाई कोर्ट से अल्ट्रावायरस करार हो जाता है, तो पूरा लिट्रेचर न होने के कारण ही ऐसा होता है। हम चाहते भी थे कि इसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन हो, यहां पर विचार-विनिमय हो, सारा दिन बीतने को है लेकिन उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य माफ करेंगे चूंकि किसी को अभी तक पूरा ज्ञान इस नोटीफिकेशन के बारे में नहीं है तो किसी तरह से टाइम बिताया जा रहा है। मैं तो सीधी बात कहने का आदी हूं चाहे इधर के लोग बुरा मानें और चाहे उधर के, लेकिन कहूंगा सीधी-सीधी बात। इस समय तो मैं गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अभी वैद्य जी ने वेस्ट काटन के संबंध में कहा है उसको मंत्री जी को मान लेना चाहिये, क्योंकि waste और soiled चीजों में प्रेस्टिज का सवाल बना देने से अक्सर अपनी भी prestige soiled हो जाने का अंदेशा हो जाता है। वैद्य जी ने कहा कि waste cotton पर लाइसेंस रखने से मुरादाबाद की कालीन और दरियों की इंडस्ट्री खत्म हो जायगी तो उस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये। वेस्ट चीजों में मिलावट का कोई डर नहीं होता और अगर मिलावट के लिये आपका डिपार्टमेंट सजा नहीं दे सकता तो उसके लिये यह क्रेडिट की बात नहीं है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बिल के लिये शायद सीरियस भी नहीं हैं, क्योंकि यह स्कीम बहुत पहले लागू हो गयी थी और जैसा माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा कि यह Grow More Cotton Campaign का एक पार्ट है। इसमें जो लाइसेंस वाली बात है उसके औचित्य के लिये मंत्री जी ने बताया था कि अच्छी और शुद्ध नस्ल की कपास इन जिलों में पैदा की जाये और उसमें बाहर की मिलावट न हो। इस सारी योजना का सूत्रपात १९५१ में हुआ और उत्पादन का टार्गेट बनाया गया कि १९५५-५६ तक ४२.३ लाख Bales सारे भारत में पैदा हों। आज पहली अप्रैल से माननीय मंत्री जी ने इस योजना को शुरू किया है। यह पहली अप्रैल तो फूल्स डे कहा जाता है। एक बार पहले भी रुई की उन्नति के कार्यक्रम का आरम्भ उन्होंने ३२० एफ० के बारे में किया था और उसका नतीजा जैसा वे चाहते थे उससे उल्टा निकला। तो अब की बार अगर सूत्रपात पहली अप्रल से हुआ तो क्या फिर उनका वही नतीजा प्राप्त करने का इरादा है।

श्री उपाध्यक्ष--मालूम होता है कि इस तारीख का असर सदन पर भी पड़ रहा है। (हंसी)।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--सदन पर जरूर पड़ेगा और सदन में जो सब से बड़े हैं उन पर सब से ज्यादा पड़ेगा। जैसे गुरू वैसे चेला। (हंसी)

भारत सरकार के बारे में मैं बताऊं कि उसनें भी योजना में मदद दी। सारे देश में ५८,१०,००० रुपया उस पर खर्च हुआ। ९,८९,००० रुपया तो स्टाक पर खर्च हुआ। जहां तक अपने प्रदेश का सवाल है उसने कितना योग दिया ? उस वक्त यह था कि १९५५-५६ में सारे भारत में ४२.३ लाख और १९५४-५५ में २९.८ लाख बेल्स रुई पैदा हो जानी चाहिये। तो भारत में उस वक्त कपास कितनी हुई ? १९५४-५५ में इसके आंकड़े इस तरह हैं। ५४ लाख ६० हजार है, लेकिन अपने प्रदेश का कंट्रिब्यूशन कितना है यह देखने की बात है। जहां तक अच्छा बीज बाटने की बात है १९५०-५१ में ६,०१० मन बाटा। १९५१-५२ में टार्गेट था २ हजार मन और बाटा १,१२० मन। १९५२-५३ में टार्गेट था ६,१०० मन और बाटा ५,०५३ मन। १९५३-५४ में टार्गेट था ९,५०० मन और बाटा ५,६५० मन। १९५४-५५ में टार्गेट था ७,००० मन और बाटा ५,७६६ मन। अब काटन के लिये खाद की जरूरत पड़ती है तब रेशा अच्छा होता है। लाइसेन्स से महज अच्छा रेशा नहीं हो जायगा। अब आप देखें कि १९५०-५१ में खाद के लिये टार्गेट था १,२३० टन और बाटा १०० टन। १९५१-५२ में टार्गेट था २०० टन और बाटा १५० टन। १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्रमशः टार्गेट था ४००,५०० और १,००० टन और बाटा ३१७, ४२० और ५५४ टन। अब इसका असर लामुहाला प्रोडक्शन पर पड़ेगा। अब आप देखें कि पर एकरेज भी प्रोडक्शन घटा है। १९५०-५१ में १०६ हजार एकड़ में बोई गयी १९५१-५२ में १९३ हजार एकड़ में, १९५२-५३ में २०७ हजार एकड़ में, १९५३-५४ में १४० हजार एकड़ में तथा १९५४-५५ में १४६ हजार एकड़ में काटन बोई गयी। इस तरह से हमारा १९५२-५३ पीक टाइम था वह लेकिन फिर गिरता गया। ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। आप प्रोडक्शन देखें। १९५०-५१ में ४५ हजार गांठे, १९५१-५२ में ६३ हजार गांठें, १९५२-५३ में ७० हजार गांठें, १९५३-५४ में ४४ हजार गांठे और १९५४-५५ में ४३ हजार गांठें कपास पैदा हुईं।

मैं अपने मित्र से पूरा इत्तिफाक नहीं रखता कि पंजाब में ढाई मन या तीन मन पर एकड़ का औसत है तो यहां भी उतना हो। वहां पर २०० से २५० पौंड पर एकड़ तक प्रोडक्शन है। हो सकता है वहां पर एवरेज पर एकड़ प्रोडक्शन इसलिये अच्छा हो कि वहां की मिट्टी अच्छी हो, लेकिन फिर भी उत्पादन अपने यहां उसके मुकाबले में बहुत कम है, इतनी कम नहीं होनी चाहिये। उनका ज्यादा हो, लेकिन हमारे यहां एक्सपर्ट्स बहुत कम हो रहे हैं। हमारी तरफ से खरीफ व रबी आन्दोलन, खरीफ आन्दोलन सबका स्वागत किया गया, कोई एजिटेशन नहीं हुआ, लेकिन सरकार का तर्जुबा क्या हो रहा है ? सेमिनार किये जाते हैं जहां सिवाय आफिसर्स

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

के कोई नहीं आता। जनता का उस पर से विश्वास उठ गया है। हलद्वानी से मीनार में केवल २–४ आदमी बाहर के जरूर दिखाई पड़े बाकी सब अफसर थे। उन्होंने प्रस्ताव बना कर भेज दिया कि यह प्रान्त भर की राय है। होना यह चाहिये कि विशेषज्ञों को मोबाइल वेन्स देकर गांव-गांव में भेजा जाय, लेकिन यह नहीं होता है। आप बख्शी क तालाब पर समिनार करते हैं, सिनेमा दिखाते हैं, लेकिन इससे काटन की वेरायटी बढ़ने वाली नहीं है भले ही लाखों रुपया आप खर्च कर दें। इस रिपोर्ट में यही आया है कि उत्तर प्रदेश में जो कम रुई बोई जाने लगी है उसकी पैदावार की कमी का एक मुख्य कारण यह है कि फसल को वक्त पर पानी नहीं मिल पाता है। इसके लिये मैं जानता हूं कि सरकार कुछ प्रयत्नशील भी है, लेकिन यह समस्या ठीक तरह से टैकिल नहीं हो रही है। ऐसी जगहों पर बांध बनाय जा रहे हैं जहां चौगुना खर्च होता है। जिला गढ़वाल में मरोड़ा पर बहुत आसानी से और कम खर्च में बांध बन सकता था, लेकिन काफी रुपया खर्च करने के बाद फिर उसकी जांच ही नहीं करायी गयी।

(लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, क्या कोई टाइम लिमिट है?

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव पर १५ मिनट होते हैं, यह तो बहुत पुराना नियम है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, पांच मिनट मुझे और दे दें, क्योंकि मैं तो ऐसे बोल रहा था कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि पहाड़ों में दो तरफा घाटियां होती हैं। तो दो दीवालें तो भगवान् ने बना ही रखी हैं, एक दीवाल नीचे की तरफ की जरूरत होती है ताकि पानी रोका जा सके। काफी नदियां हैं वहां जैसे रामगंगा, काली, धौली, कोसी आदि जिन पर शारदा सागर, नानकसागर से सस्ते बांध बन सकते हैं। वहां एवापोरेशन भी कम होगा, क्योंकि एक तो टेम्परेचर Low रहता है और दूसरे चूंकि वह तालाब गहरा ज्यादा होगा तो उसका ऊपर का एरिया कम होगा तो सारे का सारा पानी गर्मियों में यहां आ सकता है। इतना ही नहीं, जो हमारे प्रान्त में बाढ़ आ जाया करती है वह भी कम से कम आधी तो रुक ही जायगी।

मंत्री जी को इस ओर तवज्जह देनी चाहिये कि हमारे यहां रुई की न सिर्फ टोटल ईल्ड घट गयी है बल्कि ईल्ड per acre भी घट गयी है। अपने यहां के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लिटरेचर हमारे पास नहीं है, अगर वह होता तो हम सारी बातें कह देते, लेकिन दूसरे प्रान्तों में रुई की उन्नति करने के लिये, उसके फाइबर की जांच करने के लिये बड़ी अच्छी-अच्छी लेबोरेटरीज हैं। पता नहीं मंत्री जी के पास क्या-क्या हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि आल इंडिया बेसिस पर जो लोग लिखते हैं वे यहां की रिसर्च के बारे में जिक्र भी नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री गेंदासिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बदकिस्मती है कि मैं माननीय कृषि मंत्री जी का मत इस संबंध में न जान सका। ऐसी हालत में अन्दाजे पर ही मुझे बहुत-सी बातें कहनी पड़ेंगी। किसी माननीय सदस्य ने उस तरफ से उठ कर, जिसकी जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ से भी हुई होती, इस पर रोशनी नहीं डाली कि लाइसेन्स की प्रथा को जारी करने का उद्देश्य क्या है। जो कुछ उन्होंने कहा था वह अपर्याप्त था, उस पर कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राय कायम करना बहुत कठिन है, अन्धेरे में टटोलना है और उस अन्धेरे में टटोल कर फिर मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि अगर मेरी बात सही है तो ऐसा काम करना चाहिये कि वे कठिनाइयां उत्पन्न न हों। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपनी राय व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा था उसमें से एक बात मुख्य थी कि वह प्रदेश में कपास की क्वालिटी अच्छी रखना चाहते थे।

(इस समय ३ बजकर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पीठासीन हुए।)

अब श्रीमन्, क्वालिटी अच्छी रखने के क्या माने हैं? इसके माने हो सकते हैं कि अच्छी कीमत मिले, अच्छा कपड़ा तैयार हो और अच्छे ढंग से उसकी खपत हो सके, यही मकसद होगा और अगर है तो मैं समझता हूं कि लाइसेंस की प्रथा जारी न करके यह चीज और तरह से की जा सकती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अपने प्रदेश में किस प्रकार की फसल की कितनी जरूरत है। इसका कोई नियोजित व्यवस्था हमारे पास नहीं है। आपने देखा होगा कि सदन में कई बार चर्चा हुई है कि गन्ने की खेती बढ़ रही है और अनाज की खेती घट रही है। जिस समय लाइसेंस की प्रथा जारी करने की बात होती है तो उसके माने हैं कि किसी व्यवस्था को नियोजित करने के लिये हमारा कदम है और मैं समझता हूं कि कपास को नियोजित करने की व्यवस्था है। यदि ऐसा है तो सारी कृषि उत्पादन पर नियोजित व्यवस्था होनी चाहिये। जैसे कपास, गन्ना, जूट, तिलहन आदि चीजें कितनी हमारे यहां पैदा हों। अगर सरकार इन सारी चीजों पर विचार करके हमको अवगत कराये तो हम समझ सकते हैं कि सरकार क्या चाहती है? यह सब से बड़ी खामी है। इसको हमें दूर करना चाहिये।

मैंने इस संबंध में सरकार से पूछा था कि जब आप चाहते हैं कि गन्ने की खेती अपने प्रदेश में कम हो तो सरकारी फार्मों पर क्यों बढ़ाई जा रही है? इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है और कहा जाता है कि जब तय हो जायगा तो बता दिया जायगा। बोने का सीजन खत्म हो गया, लेकिन जानकारी नहीं हो पाई। आप कपास का उत्पादन कपड़ा बनाने के लिये चाहते हैं, गद्दा बनाने के लिये चाहते हैं या खाली धुनने के लिये चाहते हैं। इसमें आयात और निर्यात दोनों की बातें हैं और बन्दरगाह तक पहुंचाने की बात है। इन जिलों में जो रुई मंगाई जायगी तो इनके अलावा प्रदेश में, देश में इस्तेमाल करें और अगर गुंजाइश हो तो निर्यात भी किया जाय। अगर ऐसा है तो हमारे सामने आना चाहिये जिससे हम उसको जान सकें। हमको शुबहा करने का हक है और शुबहा करने का हक इसलिये है कि जहां कहीं भी रेस्ट्रिक्शन और व्यवस्था का नाम लिया गया वहां हमेशा किसान को नुकसान उठाना पड़ता है, उत्पादक को नुकसान उठाना पड़ता है, उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ता है। नफा इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठाया, उन लोगों ने उठाया जो लोग तिजारत करते हैं। इसलिये हमें शुबहा करने का हक है और इसलिये हम पूछते हैं।

अप्रासंगिक नहीं होगा अधिष्ठाता महोदय, हम आप से कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री ने विधान परिषद् में कहा कि जो इस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया से ३६ रुपये चीनी का दाम मुकर्रर है वह ३३.३४ नया पैसा लागत मूल्य में चीनी तैयार होती है। वह स्वतः स्वीकार करते हैं। वह चीनी आज ४० रुपये मन बिके। उसमें रेस्ट्रिक्शन हमारे लिये यह है कि हम गन्ना बोने वाले जो हैं वह सरकार जिसके हाथ बेचने को कहे, जिसको एसाइन्ड या रिजर्व एरिया कर देती है उसके अलावा दूसरे के हाथ नहीं बेच सकते हैं। ३६ रुपये मन की चीनी को ४० रुपये मन में बेचते हैं मिल मालिक। मैं आपसे पूछता हूं कि कृषि मंत्री जी का ध्यान उस तरफ जाता है या नहीं? मैं तो सबेरे जब उठता हूं तो पहला काम यह करता हूं कि हापुड़ और कानपुर का मार्केट रेट पढ़ता हूं और उसमें भी पढ़ता हूं चीनी की कीमत। वह आज ३९ रुपये है मिल डेलिवरी। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर ३६ रु० की कीमत

[श्री गेंदासिंह]

कंट्रोल्ड है तो सरकार को देखना चाहिए कि वह किस भाव से बिक रही है। आज भारतवर्ष की सारी उपज की आधी से ज्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में होती है। वह किस भाव पर बिक रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार काफी मजबूत सरकार है उसको इस बात को देखना चाहिये। मैंने यह इसलिये कहा कि यह रेस्ट्रिक्शन किन लोगों के लिये हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन उन लोगों के लिये हो रहा है जो छोटे-छोटे रुई से काम करने वाले हैं, या उन लोगों के लिये है जो उससे लाभ उठायेंगे और कंज्यूमर्स की कमर तोड़ेंगे। इसलिये मैं सोचता हूं कि यह मामला साफ हो जाना चाहिये। सफाई के साथ हो। सदन इस बात को जानता है और यह सारी बातें आज अंधेरे में हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रुई का मामला बहुत पेचीदा मामला है। यह मामला कुछ हमारे सूबे का ही नहीं है, समूचे हिन्दुस्तान का है। रुई हमारे प्रदेश में बहुत कम पैदा होती है दूसरे प्रदेशों में ज्यादा पैदा होती है। दूसरे प्रदेशों से रुई मंगाने के इन स्टेशनों पर हम रुकावट डालना चाहते हैं। हमारे मन में यह बात उठती है कि क्या यह बात सही नहीं है कि वहां से जो रुई निकल कर यू० पी० में आती है वह रुई कुछ सस्ते दाम में लोगों को मिल जाती है, उस रुई को रोकने की गरज से ऐसा काम हो रहा है। अब अन्धेरे में ही तो टटोलना है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मेहरबानी करके जवाब दे दीजिएगा। मध्य प्रदेश में रुई ज्यादा होती है। बम्बई में ज्यादा होती है। जिन प्रदेशों में ज्यादा पैदा होती है उन प्रदेशों में इत्तिफाक से रुई की मिलें भी ज्यादा हैं। मिल वालों की यह साजिश हो सकती है कि वह रुई यू० पी० में आकर न खपने पावे। यू० पी० में रुई की जरूरत पड़ती है, रुई की जरूरत ओढ़ने के लिये, गद्दा बनाने के लिये और फिर सूत कातने के लिये पड़ती है। उनको यह है कि रुई की कीमत बढ़ जाती है अगर यह यू० पी० में रुकावट डाल दें और लाइसेन्सिंग की प्रथा कर दें जो इंडियन काटन कमेटी ने सिफारिश की है। तो यह हो सकता है कि वह रुई की खपत यू० पी० में न होकर के वहां पर रेस्ट्रिक्टेड उसका आयात हो जाय दूसरी जगह के लिये। तो यह प्रतिबन्ध लगाने के बाद यह बात हो सकती है कि वहां का उत्पादक जो रुई पैदा करने वाला है वह नुकसान उठावे और यहां का जो उपभोक्ता है रुई का, कपड़े का, वह नुकसान उठावे। यह दोनों बातें दिखाई देती हैं। इन दोनों बातों के देखने के बाद हम कोई बात समझ नहीं सकते हैं कि आया यह है क्या बात। इसलिये मैं सोचता हूं कि कमेटी की सिफारिश जो मैंने की है, मैंने जो संशोधन रक्खा है वह इस गरज से रखा है। मुझे नहीं मालूम कृषि मंत्री जी मुझे नहीं बताते, सदन को कांफिडेन्स में लेने की जरूरत वह नहीं समझते तो जो पांच आदमियों की कमेटी होगी वह इन सारी बातों पर इंडियन काटन कमेटी की सिफारिश को और यू० पी० की काटन कमेटी जिसको कि मैं जानता नहीं हूं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई ऐसी कमेटी यू० पी० में है .....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह कमेटी मुकर्रर कर दें और उस कमेटी से सलाह मशविरा कर लेना माननीय कृषि मंत्री जी के स्वभाव के अनुकूल है, विरुद्ध नहीं है। वह अपने सम्मान के विरुद्ध इस बात को नहीं समझेंगे। अगर ऐसी बात होती तो मैं ऐसी गलती और ऐसी गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन एक बात निवेदन कर दूं कि अगर वह इस बात को नहीं मानते हैं तो मुझे माफ करेंगे, मैं यह कोई इनसुनियेशन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह शुबहा जरूर कर रहा हूं और यह शुबहा दूर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं से इसकी डोरी दूसरी जगह से हिल रही है। डोरी हिलती है और उस हिलने की वजह से उत्तर प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ता है। डोरी हिलती है दिल्ली से। जब तक यू० पी० और बिहार दोनों मिलकर अपना फैसला करते थे

गन्ने की कीमत का तब तक कोई नुकसान नहीं हुआ किसानों को अधिष्ठाता महोदय, १९४७–४८ तक। जिस जमाने से सीधे-सीधे हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट को यह फैसला करने की नौबत आई और उसने यू० पी० और बिहार से इस अधिकार को छीन लिया तब से इसका नतीजा यह हुआ है कि हम भुगत रहे हैं। भीतर ही भीतर वह भी सोचते होंगे कि गन्ने की कीमत बढ़ जाय लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि जबान बन्द रखो और जबान बन्द रखते हैं। मैं जानता हूं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ इंडियन काटन कमेटी की यह सिफारिश है कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाओ, ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कोई यह कागज छपा छपाया हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से थोड़े आया होगा, यह कागज तो यहां छपा होगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं क्या बताऊं मुझे देख कर कुछ ताज्जुब होता है कि कितनी दिक्कत की बात लोग खड़ी कर रहे हैं। इस में एक जगह लिखा हुआ है दूसरे पन्ने पर—"इसके साथ नत्थी प्रपत्र 'ग' में ऐसे लाइसेन्सों की प्रमाणिक प्रतिलिपि प्रत्येक प्रेषण (कंसाइनमेंट) के साथ माल भेजने वाले स्टेशन (डिस्पैच स्टेशन) पर दी जायगी और इसके साथ डेलीवरी वाले स्टेशन का रेलवे या सड़क का बीजक रहेगा और तब वह इस संबंधित रेलवे या सड़क अधिकारियों द्वारा रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय या परिवहन आयुक्त को भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के सचिव के पास भेजे जाने के लिए भेजा जायगा।" अब मुझे जल्दी में अपनी बात कह देनी है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह तो एक उदाहरण मैंने दिया। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको ऐसा फैला दिया गया है कि इसमें भ्रष्टाचार की बहुत गुंजायश है। झूठे कागजात तैयार किये जायंगे, झूठे कागजात तैयार किये जाने से जो कुफल होता है वह कुफल भोगना पड़ेगा।

मैं आपसे निवेदन करूं कि यह भी एक जगह दिया हुआ है प्रार्थना-पत्र के पैराग्राफ २ में कि "क्षेप्य कपास की आवश्यकता केवल ..... के प्रयोजन के लिए है और इसका उपयोग लाइसेन्स अधिकारी के अनुदेशों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से नहीं दिया जायगा।" कपास हम खरीदें उसका दुरुपयोग क्या होगा। मालूम नहीं, समझ में नहीं आता। कपास कोई लेकर आग तो लगाना नहीं चाहेगा। क्या करना चाहेगा? इसके माने क्या हैं जरा समझायें माननीय कृषि मंत्री जी। कपास खरीद करके हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं।

यह भी है कि जिस प्रयोजन के लिए लाइसेन्स लिए हुए हैं उसके अलावा दूसरे किसी काम में इस्तेमाल करने की जरूरत हो तो हमको उस लाइसेंसिंग एथारिटी से पूछना पड़ेगा कि हम इस्तेमाल करें या न करें। यह क्या जिन्दगी है कि हर चीज पर इस तरह का बन्धन? मैं समझता हूं सरकार का यही उद्देश्य है और इसी से काटन की किस्म को अच्छा बनाने के लिये यह किया जा रहा है, लेकिन अगर रुई की किस्म को अच्छा बनाना है तो रुई के बीज के लिये कोई रुकावट नहीं है। जो बिनौला होगा उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अगर आप देखें शुरू शुरू में, पहले ही पेज पर जो तीसरा आइटम है उसमें यह लिखा हुआ है कि—"अनुसूची (१) में पारिभाषित संरक्षित क्षेत्र में बिनौले का परिवहन खंड (१) और (२) के प्रवर्तन से मुक्त है और उस पर प्रतिबन्ध नहीं है"। तो अगर उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाना है तो उसके लिये बिनौले पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह चाहे जिस किस्म का आवे उसमें किसी किस्म का सुधार करने की गुंजायश नहीं है। कृषि विभाग निगाह जरूर रखता है और अगहनी का भदई और भदई का अगहनी वह किया करता है और अगर इस तरह से वह बट जाता है तो उसको सरकार स्वीकार करे और उसमें सुधार किया जाय लेकिन अगर इसमें कोई रुकावट नहीं है तो कोई और मकसद है जिस मकसद को मैं जानना चाहता हूं। इसलिये मैं समझता हूं—मैं उनकी नीयत पर तो हमला करना नहीं चाहता हूं लेकिन अगर आप इस तरह से करना ही चाहते हैं तो कमेटी को जरूर बिठाया जाय जिसके लिये मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा निवेदन है इस काम को सोच समझ कर और पूरी तरह से विचार करके किया जाय।

*श्री रामकुमार वैद्य—मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया है। मुझे तो यह आशा है कि साधारण और छोटा सा जो मेरा संशोधन है माननीय मन्त्री जी उसको मान लेंगे इसलिये कि इस संकल्प के उद्देश्य में कहा गया है कि कपास की किस्म को ऊंचा करने के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। जिस क्षेत्र में कपास का आयात निर्यात होगा और ओटी हुई कपास का या वेस्ट काटन का जो व्यापार होगा वह सब लाइसेंन्स के द्वारा करना होगा। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया वह मैं फिर माननीय मन्त्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो यह वेस्ट काटन का संकल्प आया है उसको हटा देना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि वेस्ट काटन पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये। मैंने इस चीज को पहले काफी विस्तार से कहा था। मैं यह समझता हूं कि किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध, चाहे वह लाइसेन्स के रूप में हो या निषेधाज्ञा के रूप में या सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में हो उससे कुछ प्रेशर व्यवसाय पर जरूर पड़ता है। दूसरे यह भी खतरा होता है कि उसमें कुछ लोगों को एकाधिकार मिल जाता है। जैसा कि मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में निवेदन किया कि मेरे यहां अमरोहा में जहां से मैं आता हूं वेस्ट काटन का सबसे अधिक यूज होता है। सारे प्रदेश में ५० मशीन उसके लिये लगी हुई हैं जिनमें से ४१ मशीन अकेले अमरोहा में लगी हुई हैं जहां पर वेस्ट काटन से करीब ५०० मन माल रोज तैयार होता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप उसको उसमें से निकालने की कृपा करें। वह रुई कुछ तो तेल से मिली हुई होती है जिसको आयली काटन कहते हैं कुछ कचरे किस्म की रुई होती है और कुछ और इसी तरह की होती है जिसको एकत्रित करके लोग अपने यहां इस्तेमाल के लिये ले आते हैं। हजारों मजदूर आज उस काम में लगे हुये हैं और उसका उपयोग करके अपना पेट पालते हैं। जो चीजें वहां पर तैयार होती हैं वह राज्य के दूसरे जिलों में भी जाती हैं, श्रीमन्, आपके जिले में भी, मिर्जापुर में बहुत ज्यादा बनकर हमारे यहां से जाती हैं। यह बहुत सस्ती होती है। वेस्ट काटन का भाव २ रुपये से १० रुपये मन तक होता है और कार्डिंग के बाद अमरोहा में आधे के करीब कुछ ऐसा भाग निकल आता है जिसका मोटा सूत काता जा सके। वह भी २–३–४ नम्बर का कत सकता है क्योंकि उसके रेशे मोटे होते हैं।

तो यह जो शंका कृषि विभाग और मंत्री जी की है कि वह सूत रुई में मिलाया जा सकता है इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा रुई का स्थान हमारे जीवन में भोजन के बाद दूसरा है उसका बना कपड़ा आच्छादन के काम आता है तो उसकी कमी जो कि हमारे प्रदेश में और देश में है बहुत सीमा तक इस तरह से हम पूरी करते हैं कि जो वेस्ट काटन पहले जलायी जाती थी पिछले ४० वर्षों से उसको हम बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में लाते हैं और उससे सूत की रस्सियां, निवाड़ बनायी जाती हैं और कालीन दरियां तथा इस तरह की मोटे इस्तेमाल की चीजें बनायी जाती हैं और यह उद्योग ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जिनके पास न ज्यादा पैसा है न योग्यता है। मजदूर किस्म के लोग हैं जो बेकार सी चीज को साफ करके उपयोगी चीजें बनाते हैं। इस पर लाइसेंसिंग सिस्टम बुरा असर डालेगा। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मंत्री जी कपास के स्तर को बढ़ाने के लिए रुई की बढ़ती को कायम रखने के लिए कोई प्रतिबन्ध न लगायें, लेकिन मिलों से कूड़े के रूप में जो वेस्ट काटन बाहर निकाली जाती है अगर उसका उपयोग इस नियोजन के जमाने में कुछ लोग कर रहे हैं जिनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है—लगभग ५०–५५ हजार के होगी तो उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा। एक दिन में लगभग १० छटांक ३ पाव और १ सेर भी कात लेते हैं और बहुत अच्छा उपयोग उसका होता है, साथ ही अच्छी रुई सुरक्षित रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी मेरे उस संशोधन को स्वीकार करें। मंत्री जी के दल का विशाल बहुमत है, उसको देखते हुए यह तो निश्चित है कि उनका संकल्प पारित हो जायगा, फिर भी मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने रखे हैं और जो विषय संशोधनों द्वारा मैंने उठाया है उसमें जो हमारी वेस्ट काटन है उसके जिस जिस संदर्भ में और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां जहां वे शब्द आये हैं उसको मुक्त कर देंगे और मेरे क्षेत्र में जो अच्छा सा कुटीर उद्योग चल रहा है उसका नाश होने से बचायेंगे। मुझे इतना ही कहना है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--मुझे और कुछ नहीं कहना है।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा उन सब माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस छोटी सी विज्ञप्ति को लेकर आज ही मुझे सब चीजों को समझाने की कोशिश की। जमीन कि किस तरह से मिट्टी देखी जाय, उसको किस तरह से उपजाऊ बनाया जाय, कहां खाद की जरूरत है, कहां बांध बने, पहाड़ पर दोनों तरफ दो दीवारें तैयार हैं, तीसरी दीवार की जरूरत है, ऊपर से पानी कम गिरेगा, नीचे से ज्यादा गिरेगा और कपास की खेती कैसे होती है, बीज कहां से लाया जाय, खाद कहां से लाई जाय, किस तरह से क्या किया जाय क्या न किया जाय, सारी शिक्षा आज दे दी उसके लिये मैं आपके द्वारा फिर एक बार सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं सोच रहा था कि क्या आज ही सब का जवाब दूं लेकिन उपाध्याय महोदय ने मुझे तम्बीह कर दी कि आज पहली अप्रैल है बहुत से लोगों ने अपना दिल खोलकर अपनी बातें कही हैं इसलिये सबका जवाब देना आज मेरे लिये आवश्यक नहीं है।

जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं। उसमें छपाई में कुछ गल्ती हो गई है। बिनौला का जहां तक सम्बन्ध है उसको शुरू में नहीं लिया गया है, वह बिनौला उसमें आ गया है इसलिये इसको निकाल दिया जाय, इसको मैं स्वीकार करता हूं। जहां तक रामकुमार जी वैद्य के संशोधन का सम्बन्ध है वह एक ऐसी चीज है जिसे वह महसूस करते हैं कि वह पचासों हजार आदमियों को बेरोजगार होते हुये नहीं देख सकते हैं और न मैं ही उनको बेरोजगार करना चाहता हूं। मैं उनको यह विश्वास दिला सकता हूं कि यहां इन संशोधनों को मंजूर कर लेने से इस विज्ञप्ति का जो उद्देश्य है वह खब्त हो जायगा और विज्ञप्ति का पूरा फायदा नहीं होगा। इसलिये मुझे खेद है कि मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो व्यापार उनके यहां है, जो घरेलू धंधे या उद्योग धंधे वेस्ट काटन के उनके यहां हैं उनको बढ़ाने के लिये जितनी भी सहायता की जरूरत हो उसको देने के लिये मैं तैयार हूं और उसमें किसी प्रकार की कोताही न मेरे दिमाग में है और न मैं उसको चाहता हूं और बर्दाश्त करना चाहता हूं। इसलिये मुझे आशा है कि मेरे इस विश्वास दिलाने के बाद वह इन संशोधनों पर ज्यादा जोर नहीं देंगे।

जहां तक श्री गेंदासिंह जी के संशोधन का सम्बन्ध है, असल में उनके दिमाग ने इस तरह से काम किया कि पहला संशोधन जो उन्होंने रखा उसके कन्टीनुएशन में उनका दूसरा संशोधन भी था। लेकिन अब जब कि पहला संशोधन आउट आफ आर्डर हो गया तो उन्होंने सदन पर या हम पर इतनी दया नहीं की कि उसे भी एक नेसेसरी कारोलरी समझकर सदन का समय न लेते लेकिन उन्होंने जड़ काटने के बाद भी शाखा को लिया और उसको आधार बनाकर चलते रहे। उनकी सारी शक्ति इस बात में लगी कि कीमत किस तरह से दिलाई जाय और इसके लिये वह तमाम दुनिया की बातें कहते रहे। कीमत दिलाने की बात, जो कि आउट आफ आर्डर हो गई लेकिन फिर भी उनका सारा व्याख्यान दोनों दफे उस आउट आफ आर्डर की नींव पर ही पूरा सुपरस्ट्रक्चर था.....

श्री गेंदासिंह--क्या पहली अप्रैल की बात तो आप नहीं कह रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--उसी का जवाब दे रहा हूं पहली अप्रैल का। उसमें कमेटी बनाने के लिये और आलेख्य प्रस्तुत करने के लिये है, तो क्या आलेख्य जो सदन में प्रस्तुत हुआ वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

गायब हो गया ? वह आलेख्य तो प्रस्तुत हो चुका अब कमेटी किस काम के लिये बनायी जाय। संशोधन की अगर आप आवश्यकता बताते तब तो ठीक था, लेकिन आलेख्य की अब आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आप कहते हैं "अतः यह सदन एतद्द्वारा उक्त विज्ञप्ति के अनुसार नियमावली के आलेख्य प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाने का निश्चय करता है।" यह आलेख्य तो प्रस्तुत हो चुका है। इसलिये इस कमेटी का कुछ भी काम नहीं रहा। अब दूसरा सवाल यह है कि ऐसा कहा जाता है किसी चीज को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके लिये कमेटी बना दी जाय और कोई तारीख मुकर्रर न की जाय। इसीलिये इसमें उन्होंने कोई तारीख मुकर्रर नहीं की। तो क्योंकि यह आउट आफ आर्डर है, जो काम कमेटी को सुपुर्द किया जा रहा है वह काम भी खत्म हो चुका है, उस कमेटी की कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं हुई है फिर भला इसको मैं किस प्रकार से मंजूर कर सकता हूं। इसलिये मुझे अफसोस है कि अगर आप इसको आउट आफ आर्डर करार नहीं देते तो मैं इस गलत चीज को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न। माननीय कृषि मंत्री जी ने दूसरे पोर्शन का हवाला दिया और कहा कि वह आउट आफ आर्डर है। माननीय अध्यक्ष ने पहले पोर्शन को तो आउट आफ आर्डर करार दिया, लेकिन दूसरे के लिये कहा कि उसके विषय में आप बोल सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने केवल अपने विचार रखे हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे यह निवेदन करने का अधिकार है कि अगर आप आउट आफ आर्डर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो मैं उसको मंजूर नहीं करूंगा।

श्री गेंदासिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं अब एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। ठीक इसी जुर्म में मुझे कल सजा मिली है। स्पीकर साहब ने आज यह व्यवस्था दे दी कि वह आउट आफ आर्डर नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह आउट आफ आर्डर है। और ऐसा कहने का उनको अधिकार है। कम से कम उनको इसमें सुधार करना चाहिये। मैं इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता कि जिस बात को स्पीकर साहब ने इन आर्डर करार दिया है उसको वे आउट आफ आर्डर कहें और फिर कहें कि बार-बार कहेंगे कि यह आउट आफ आर्डर है।

श्री अधिष्ठाता---स्पीकर साहब ने जो बात कही उसको तो वे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको निवेदन करने का बार-बार अधिकार है।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे स्पीकर साहब से हर वक्त निवेदन करने का अधिकार है। मुझे खुशी है कि कल जो गेंदा सिंह जी का एडमोनीशन होने वाला है उससे पहले ही उनको समझ आ गयी और तम्बीह होने के पहले ही वह गलती मान गये।

श्री अधिष्ठाता---पर्सनल बातें न हों तो अच्छा है।

श्री मोहनलाल गौतम---अधिष्ठाता महोदय, बहुत-सी बातें कही गयीं। एक चीज को देख कर मुझे दुःख होता है और वह यह कि बहुत से समाजवादी यहां हैं जो मुझे कह देते हैं कि पहले मैं समाजवादी था। मैं कांग्रेस समाजवादी पहले था और वही अब भी हूं। वह साहित्य पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि उसके जन्म के वक्त कौन था और उससे अनेक पार्टियों ने जन्म लिया, पौत्र-प्रपौत्र तथा पार्टियां और शाखायें हुईं। उसके जन्म का साहित्य अगर पढ़ें तो मालूम होगा कि बाप-दादों का जन्म क्यों हुआ और उसकी औलाद किस तरह से पैदा हुई। इसलिये मुझे एक बात देख कर दुःख होता है कि समाजवादी कोई बात तो कही नहीं जाती, समाजवादी कोई सुझाव दिया नहीं जाता और बस एक बात है कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है, किसानों के लिये यह हो गया, वह हो गया, और सरकार पूंजीपतियों

का साथ दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो नोटिफिकेशन है यह किसानों को नुकसान देने वाला है? किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं बतलाया कि इससे यह नुकसान होगा। मुझे सब से ज्यादा ताज्जुब इस बात से होता है कि समाजवादी लोग लाइसेंस, कंट्रोल और प्लानिंग के खिलाफ हैं। उसमें क्या भ्रष्टाचार होता है यह तो दूसरी बात है, लेकिन कोई समाजवादी अगर प्लानिंग के खिलाफ है तो वह समाजवादी नहीं है। कोई प्लानिंग लाइसेंस या कंट्रोल के बिना नहीं हो सकती है।

श्री उग्रसेन---क्या यही प्लानिंग है कि आज लोग भूखों मर रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

श्री मोहनलाल गौतम---इसलिये समाजवाद की बात छोड़ दीजिये और व्यक्तिवाद की बात कहिये। आप अपने को कहिये कि हम समाजवादी नहीं हैं, व्यक्तिवादी हैं और पूंजीपतियों के साथी हैं। जब आप समाजवाद का नारा लगाते हैं तो समाजवाद से प्लानिंग अलग नहीं हो सकती। कोई समाजवाद बिना प्लानिंग के अधूरा है, निकम्मा है और घटिया है। आज के समाज में जब कि मिक्स्ड इकोनामी है, प्लानिंग बगैर कंट्रोल और बगैर लाइसेंस के मुश्किल है। इसलिये हर बार समाजवादियों द्वारा लाइसेंस और कंट्रोल की खिलाफत करने की बात मेरी समझ में नहीं आती। गांधीवादी लोग तो इस बात को कह सकते हैं, लेकिन जो समाजवादी सिद्धान्त की बात करते हैं वे इस बात को नहीं कह सकते। यह सही है कि हमारे समाज में खराबियां हैं, लेकिन जब लाइसेंस और कंट्रोल होगा और प्लानिंग होगी तभी समाजवाद होगा, उसके बिना समाजवाद नहीं हो सकता।

एक बात एक साहब ने बहुत अच्छी कह दी, मैं क्या कहूं, कि हम अंधेरे में भटक रहे हैं, लेकिन उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---अच्छा है कि आप उनको उजाले में कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं यही प्रयत्न कर रहा हूं। मैं उन चीजों का जवाब नहीं देता हूं जो उनको और ज्यादा अन्धेरे में ले जायं, क्योंकि वे बहुत अन्धेरे में भटक रहे हैं। मैं उनको रास्ता दिखलाने की कोशिश करूंगा और आपकी आज्ञा को भी शिरोधार्य कर सकूंगा।

एक बात बहुत दोहराई गयी कीमतों के बारे में। यह बात आज चल रही है, सब इस बात को मानते हैं कि जब तक प्रोडक्शन का कीमत के साथ सम्बन्ध नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन का प्लान नहीं हो सकता। कीमतें निर्धारित की जा रही हैं। स्टेट ट्रेडिंग मंजूर हो चुका है, स्टेट ट्रेडिंग में कीमत निर्धारित होगी। स्टेट ट्रेडिंग अगर कामयाब होगा तो तीन जगह कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी---पैदा करने वाले को क्या कीमत दी जाय, खाने वाले से क्या कीमत ली जाय और पैदा करने वाले और बेंचने वाले के बीच में जब वह खाने के लिये बेंचे। तो इस बीच में दो तीन दफा कीमत निर्धारित की जायगी और आज हमारा देश उस तरफ जा रहा है। इसलिये जहां तक कीमत के निर्धारित करने की बात है उसमें कोई बहस नहीं है।

माननीय गेंदासिंह जी ने एक सवाल और उठाया। उनको बहुत दुःख इस बात का है कि गन्ने की यूनियन को यह अधिकार नहीं दिया कि वह कीमत का फैसला मिल मालिक से स्वयं कर लेते और नामंजूर करते तो दूसरी जगह कहीं बेंच देते, यानी अगर यूनियन्स को अधिकार हो कीमत का तो मिल मालिक का भी अधिकार उसमें छिपा है कि वह किस कीमत पर देते हैं, क्योंकि सौदा तो दोनों ही करेंगे। तो इस तरह से अब कीमत निर्धारित नहीं रही, मिल मालिक और गन्ना पैदा करने वाले स्वयं फैसला कर लें कि किस दाम पर गन्ना देंगे और लेंगे। इस तरह से उनके सारे व्याख्यान की कीमत निर्धारित करने की बात खत्म हो गई। इस तरह से कीमत खत्म करदें और गन्ना पैदा करने वालों को सौदा करने दें तो यह दोनों चीजें विरोधी हैं। यह बात दूसरी है कि गन्ने की कीमत को कम किया जाय या बढ़ाया जाय, लेकिन दोनों के लिये अधिकार

[श्री मोहनलाल गौतम]

भी हो जाय और कीमत भी निर्धारित हो यह दोनों चीजें साथ नहीं हो सकतीं। मेरी समझ में तो श्री गेंदा सिंह जी की यह बात नहीं आई। मैं निवेदन करूंगा कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर में जहां कपास बोई गई उसका क्षेत्र १९५१-५२ में था ४७,६३७ एकड़ और सन् १९५७-५८ में वह क्षेत्र हो गया ५७,१२४ एकड़ यानी ४७,००० एकड़ के बजाय ५७,००० एकड़ हो गया और करीब ९,५०० एकड़ रकबा बढ़ गया।

यह भी पूछा गया कि कहां-कहां क्या-क्या काम हो रहा है। मैं निवेदन करूं कि कपास की उन्नति के सम्बन्ध में हमारी जो स्कीम्स हैं उनमें हमारे टारगेट्स फिक्स्ड हैं और जो साहित्य माननीय सदस्यों को मिला है उसमें वह दिया हुआ है कि कितने क्षेत्र में वह बोई जाय और कितने बेल्स माल तैयार हो। हमारी प्लान में टार्गेट था कि २,८०,००० हजार एकड़ में कपास की काश्त हो और ५ मन वाली १,१०,००० बेल्स तैयार की जायं। १९५७-५८ में जो हमारी फिगर्स हैं वह कुछ कम रह गईं। हमें २,४०,००० एकड़ कपास की काश्त चाहिये थी, लेकिन उसमें से केवल १,९७,००० एकड़ में ही खेती हुई। इसी तरह से हमारा ९०,००० बेल्स का टार्गेट था, लेकिन हुई ६२,००० बेल्स। इस साल बाद में जो बारिश हुई और उससे जो खरीफ की फसल खराब हुई उसका सब से खराब असर कपास और मक्का पर ही पड़ा था। तो हमारे टार्गेट्स हैं और उन पर हम चलना चाहते हैं। यह चीज जो फंक्शन करेगी वह केवल इन ५ जिलों के लिये है सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बिजनौर, छठे जिले के लिये नहीं है। इसके अलावा कुछ जिलों में केन्द्रीय सरकार की स्कीम भी चल रही है---वह हैं बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी, इटावा, बदायूं, बरेली, कानपुर और हमारी यू० पी० की पाइलट प्रोजेक्ट में इलाहाबाद, झांसी, जालौन, फतेहपुर और हमीरपुर के जिले आते हैं। यहां हम अच्छा बीज नो लास नो प्राफिट बेसिस पर देते हैं, वहां प्लान्ट प्रोटेक्शन का कार्य भी किया जाता है, मुफ्त दवायें वगैरह छिड़की जाती हैं और टेक्निकल ऐडवाइस भी किसानों को दी जाती हैं और खेतों पर जाकर गांव वालों को सलाह मशवरा दिया जाता है। बुन्देलखंड में...

श्री अधिष्ठाता---आपका समय खत्म हो गया।

श्री मोहनलाल गौतम---अभी तो दो मिनट बाकी हैं शायद। मैं यह कह रहा था कि यह सिर्फ पांच जिलों की अच्छी कपास को दूसरी कपास से मिलाया न जाय, इसके लिये नोटीफिकेशन है। इसमें पांच जिलों के अलावा कुछ नहीं है। जो यह कहा जाता है कि रजाई कैसे भरवायेंगे, गद्दा कैसे भरवायेंगे, वह उगाएंगे उस पर कोई रुकावट नहीं है। यह असल में मिलावट को रोकने के लिये है और वह भी पांच जिलों के लिये है। इससे कानपुर के मिल मालिकों के लिये न कोई लाइसेंस है, न कोई रोक-टोक है। यह हम जरूर चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जितनी अच्छी रूई की जरूरत है, हम पैदा कर सकें, ताकि दूसरी जगह से रूई मंगाने की जरूरत न हो। इंडस्ट्रीज को, चाहे काटेज इंडस्ट्री हो या बड़ी हो, उस सबको सहूलियत मिल सकती है। श्रीमन्, बहुत सी और जो चीजें हैं उनका सम्बन्ध इन नोटीफिकेशन से नहीं है, इसलिये मैं उनका उत्तर देना जरूरी नहीं समझता।

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को आपके सामने रखता हूं। प्रश्न यह है संकल्प की अन्तिम पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"अतः यह सदन एतद्द्वारा उक्त विज्ञप्ति के अनुसार नियमावली के संशोधित आलेख्य को प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाने का निश्चय करता है :---

(१) श्री रामचन्द्र विकल, सदस्य, विधान सभा,

(२) श्री फतेह सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा,

(३) श्री जगवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा,

(४) श्री यशपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा,
(५) कृषि सचिव।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं श्री रामकुमार वैद्य के संशोधन को आपके सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि संकल्प की अन्तिम पंक्ति के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायं :

"अतः यह सदन एतद्द्वारा उक्त विज्ञप्ति एवं नियमावली के आलेख्य को निम्नलिखित संशोधनों सहित स्वीकृति प्रदान करता है--

(१) उसके दूसरे पैराग्राफ में शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "अथवा" शब्द "कपास" तथा "ओटी हुई कपास" के बीच रख दिया जाय।

(२) नियमों के संदर्भ में नियम नं० २ की पहली पंक्ति से शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाये और शब्द "या" शब्द "कपास" तथा "ओटी हुई कपास" के बीच रख दिया जाय।

(३) नियम नं० ३ की पंक्ति ३ से शब्द "किसी निर्दिष्ट प्रकार की" निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर शब्द "ओटी हुई" रख दिया जाय।

(४) नियम ४ की तीसरी पंक्ति में से "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "या" शब्द "कपास" तथा "ओटी हुई कपास" के बीच रख दिया जाय।

(५) नियम नं० ५ की पंक्ति ३ में से शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "या" शब्द "कपास" तथा "ओटी हुई कपास" के बीच में रख दिया जाय।

(६) नियम नं० ६ की दूसरी पंक्ति में से शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "तथा" शब्द "कपास" एवं "बिना ओटी कपास" के बीच रख दिया जाय।

(७) विज्ञप्ति के पहले पैराग्राफ की पंक्ति ३ में से शब्द "क्षेप्य कपास" निकाल दिया जाय और शब्द "अथवा" शब्द "कपास" एवं "ओटी हुई कपास" के बीच में रख दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट का संशोधन आपके सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि संकल्प की अन्तिम पंक्ति के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायं :

"अतः यह सदन एतद्द्वारा उक्त बिज्ञप्ति एवं नियमावली के आलेख्य को निम्नलिखित संशोधनों सहित स्वीकृति प्रदान करता है :

अनुदेश के (क) में पंक्ति ५ से "तथा बिनौले" निकाल दिये जायं,

और "क्षेप्य कपास" से पहले "तथा" जोड़ दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं आपके सामने संशोधित संकल्प रखता हूं।

प्रश्न यह है कि---यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाली कपास की किस्म और ख्याति बनी रहे :

और उक्त प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा काटन ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, १९२३ की धारा ३ और ७ के अधीन विज्ञप्ति जारी करने एवं नियमावली बनाने का, जो आलेख्य के रूप में इस सदन की स्वीकृति

के लिये सदन की मेज पर रखी जा चुकी है, प्रस्ताव है;

अतः यह सदन एतद्द्वारा उक्त विज्ञप्ति एवं नियमावली के आलेख्य को निम्नलिखित संशोधनों सहित स्वीकृति प्रदान करता है :

अनुदेश के (क) में पंक्ति ५ से "तथा बिनौले" निकाल दिये जायं,

और "क्षेप्य कपास" से पहले "तथा" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९†

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Government Grants (U.P. Amendment) Bill, 1959] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इसमें एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं और इस माननीय सदन के सदस्यों को जो हक प्राप्त हैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रक्रिया नियमावली के नियम १३१ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"१३१—विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति—विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं"

इसके पहले कि मैं हाउस आफ पीपुल्स की रूलिंग रखूं, जो आज विधेयक हमारे सामने आ रहा है वह एक जजमेंट के आधार पर आ रहा है। एक केस है जिसमें लिखा है "रामआनन्द मुराव और छेदी तेली वर्सेज स्टेट"। इस केस के ऊपर जो हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है उसके जजमेंट के आधार पर यह बिल आ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक जजमेंट हमको नहीं मिलता है तब तक विधेयक पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है। अब मैं हाउस आफ पीपुल्स की रूलिंग...

श्री अधिष्ठाता—आप सही कह रहे हैं, उस रूलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रताप सिंह—मैं समझता हूं कि जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक कोई सही चीज नहीं कही जा सकती।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मान्यवर, मुझे भी यही कहना है और इतना और कहना है कि वह जजमेंट मिलने के बाद ही डिबेट हो। माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ फाइल खोल रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की थी श्रीमन् की मेज पर देखने की, तो वह मुहैया नहीं हुआ। उस रूलिंग के मिलने के बाद हमें समुचित वक्त मिले ताकि उसका अध्ययन कर सकें और उसके लीगल इम्प्लीकेशन को समझ सकें तब वाद-विवाद हो। इसके लिये टाइम दिया जाय। आज के लिये सदन स्थगित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं इसके बारे में पहले एक दफा निर्णय दे चुका हूं कि हाई कोर्ट का जजमेंट या किसी कोर्ट का जजमेंट पब्लिक डाकूमेंट होता है और गजट में छपता है। इस वास्ते माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि माननीय राजस्व मंत्री जी उसको आपको पेश करें।

श्री धर्मसिंह—अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसके बहुत अन्दर जाने की आवश्यकता हो। एक दो क्लाज रखे गये हैं.. . .

श्री अधिष्ठाता—यदि आपके पास वह नजीर हो तो उसका थोड़ा-सा हिस्सा पढ़ दें, जिससे प्रकाश पड़ जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, गवर्नमेंट गजट में हाई कोर्ट का फैसला तो नहीं छपता है।

---

†१० मार्च, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अधिष्ठाता—जी हां, नहीं छपता है। मैं गलत कह गया।

श्री धर्मसिंह—जहां तक हाई कोर्ट के जजमेंट का सम्बन्ध है, रामआनन्द मुराव और छेदी तेली फैजाबाद के हैं, इन्हीं का था और जहां तक जजमेंट का सम्बन्ध है मेरे पास उसकी इंगलिश कापी है जो जजमेंट दिया गया है उसके एक अंश को मैं पढ़ रहा हूं —

"I further think that the provisions of section 3 of the Crown Grants Act were not intended to apply to leases like this and their object really was that the terms of the sanads granted to the taluqdars should have effect notwithstanding certain provisions of the Transfer of Property Act. This I think is the decision of the Privy Council in the case of Thakur Jagannath Baksh Singh."

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपके सामने अपनी दिक्कत पेश कर रहा हूं कि अभी आपने यह रूलिंग दी कि कन्सर्निंग पेपर्स दिखाये जा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने यह कहा कि वह पब्लिक डाकूमेंट्स हैं, इसलिये मैं राजस्व मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि आपको दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरी दिक्कत यह है कि नियम १३१ में लिखा हुआ है कि "any member may demand", तो श्री प्रताप सिंह जी ने और गोविन्दसिंह जी विष्ट ने आप से डिमांड की और आपने यह रूलिंग दी कि पेपर्स दे दिये जायं तो आन दि स्पर आफ दि मोमेंट न तो प्रताप सिंह जी देख पावेंगे, न गोविन्दसिंह जी देख पावेंगे और न हम सब देख पावेंगे। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बिल के इंट्रोडक्शन के कुछ समय पहले वे अवेलेबिल हो जाते जिससे कोई आदमी ऐट लेजर उसको देख सके। अब रूलिंग होने पर कौन उसको देख सकता है? तो मेरी प्रार्थना है कि आप कोई टाइम उसके लिये ऐसरटेन कर दें जिसमें इंट्रोडयूस होने से पहले वह पेपर्स मुहैया हो सकें, जिससे मेम्बरान ऐट लेजर उनको स्टडी कर सकें। यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अधिष्ठाता—अवस्थी जी, यह बात उस कमेटी के सामने भी आयी थी जिस समय रूल्स बन रहे थे। मैंने स्वतः इस मामले पर एक संशोधन रखा था। एक दफा पहले भी ऐसी रूलिंग हो चुकी है जब माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था। एक बिल चल रहा था और उसमें भी एक हाई कोर्ट के जजमेंट की बात थी। उस समय भी इसी प्रकार की रूलिंग हो चुकी है। जहां तक पब्लिक डाकूमेंट का सवाल है उसके लिये आपसे एक्स्पेक्ट किया जाता है कि आप उसको देख सकते हैं, कहीं भी, इसलिए मैंने उनको बाध्य नहीं किया। अगर कोई प्राइवेट डाकूमेंट होता तो हम उनसे कहते कि साहब प्राइवेट डाकूमेंट है, इसलिये पेश कीजिये, लेकिन चूंकि पब्लिक डाकुमेंट है, इसलिये मैंने बाध्य नहीं किया, लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि उसको आपको देखने के लिये दे सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, इस हाउस के जो नियम हैं उनका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। रूल्स कमेटी में भी यह बात आयी थी कि लोक सभा से हम गाइड होते हैं। पब्लिक डाकूमेंट के सम्बन्ध में आप की आज्ञा शिरोधार्य करते हुये लोक सभा का एक निर्णय आपके सामने रखना चाहता हूं :

"368. If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the table:

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest."

[श्री प्रतापसिंह]

मान्यवर, आपकी जो रूलिंग है उसको देखते हुये मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इसमें पब्लिक डाकूमेंट का कोई सवाल नहीं है। कोई ऐसा डाकूमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट में गड़बड़ी न पैदा करता हो उसे हाउस की टेबिल पर रखना चाहिये। तो मान्यवर, या तो आप रूलिंग को रिवाइज करें.....।

श्री अधिष्ठाता—मैं रूलिंग को तो रिवाइज नहीं करता। इस मामले में कई बार पहले भी रूलिंग हो चुकी है कि पब्लिक डाकूमेंट के लिये यह बात नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिये मैंने माननीय मंत्री जी से यह बात कही कि वे आपको कापी दिखा दें।

श्री प्रताप सिंह—मैं समझता हूं कि हमारे नियम इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं और जजमेंट की कापी पहले से देना हमारे नियमों के अनुकूल है। अब आप अपनी रूलिंग को रिवाइज नहीं करते और साहित्य पहले से नहीं मिल सकता, इसलिये हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं और वाक आउट करते हैं।

(प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मान्यवर, मुझे इतना आपके समक्ष कहना है कि इसमें रूल्स के इंटरप्रिटेशन का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं इसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसके बारे में रूलिंग दे चुका हूं। जो रूलिंग हो चुकी है मैं उसी को फालो कर रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मुझे बाध्य होकर फिर श्रीमन् वाक आउट करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—उसका तो आपको अधिकार है। आप वाक आउट कर सकते हैं।

(श्री गोविन्द सिंह विष्ट के साथ जनसंघ के अन्य सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—जजमेंट श्रीमान् की मेज पर रख दिया जाय, ताकि हम लोग उसे देख सकें। अब थोड़ा ही समय रह गया है, इसलिये सदन स्थगित कर दिया जाय और कल इस पर बहस हो।

श्री अधिष्ठाता—स्थगित नहीं कर सकता। माननीय मंत्री जी सेक्रेटरी साहब को जजमेंट दे दें और आप उसे देख लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरी दिक्कत आप समझ लें।

श्री अधिष्ठाता—आपकी दिक्कत मैं समझता हूं, लेकिन जो रूलिंग मैं दे चुका हूं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, यह मेरी मजबूरी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह बिल जो है इसके बारे में खास तौर से हाई कोर्ट का एक उल्लिखित जजमेंट है। इसमें कोई डिनायल नहीं है। इस सम्बन्ध में जजमेंट हमारे सामने आना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आप वही बात फिर कह रहे हैं जिस पर इस सदन में पहले ही रूलिंग हो चुकी है। मैंने आपके पास जजमेंट भिजवा दिया है। आप जजमेंट देख लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन जिस वक्त हम जजमेंट देखेंगे तो साथ ही साथ माननीय मंत्री जी का भाषण कैसे सुनेंगे? दोनों ही चीजें एक ही समय पर कैसे हो सकती हैं? इन दोनों कामों को अलग-अलग समय पर होना चाहिये। अगर दोनों काम एक साथ लिये जायंगे तो मैं किसी भी एक काम के साथ जस्टिस नहीं कर सकूंगा। लिहाजा आप ऐसी रूलिंग दें जिससे हम अपनी ड्यूटी को आसानी से पूरा कर सकें।

श्री अधिष्ठाता—मैं सदन को स्थगित नहीं कर सकता। उसका रिलेवेंट पोर्शन चार लाइन में है, आप उसे देख सकते हैं और मंत्री जी का भाषण भी सुन सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं एक सिद्धान्त की बात कह रहा था। यहां तो ४ लाइनें हैं, लेकिन अगर २५ पेज का डाकूमेंट होता तब आप क्या करते? जब पेपर्स उसी समय दिये जायं जिस समय कि मंत्री जी अपना भाषण दें तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी, यह मामला पहले भी कमेटी के सामने आया था और उस पर बहस मुबाहिसा हुआ था। वहां यही तय हुआ कि यह बात नहीं चलेगी कि कोई पेपर न आये जो पब्लिक डाकूमेंट हो तो बहस स्थगित कर दी जायगी। इसलिये मेरी मजबूरी है जब एक बार निश्चय हो चुका है तो उसी को मैं फालो करूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर आप मेरी दिक्कत नहीं समझ सकते हैं तो हम बाध्य होकर वाक आउट करेंगे, ताकि हम अपनी ड्यूटी को ठीक तौर से अन्जाम दे सकें।

श्री अधिष्ठाता—बहुत अच्छा।

(श्री मोतीलाल अवस्थी ने सदन का परित्याग किया।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैं आपको अपनी रूलिंग रिवाइज करने के लिये नहीं कहता, लेकिन जब पूरे अपोजीशन की एक भावना है तो उसका भी आप आदर करें। मैंने जजमेंट के लिये लाइब्रेरी में देखने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला; हाउस के टेबिल पर भी देखने की कोशिश की, लेकिन वहां भी देखने को नहीं मिला और यह बिल अचानक आ गया। उसके बाद हमने पूरा प्रयत्न किया कि हमको जजमेंट मिले, लेकिन वह नहीं मिल सका। आप रूलिंग न रिवाइज करें, लेकिन अब आधा घंटा रह गया है इसलिये माननीय मंत्री जी से आप कहें कि वे इसको कल पेश करें।

श्री अधिष्ठाता—यादव जी, आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं। इसी वास्ते मैंने राजस्व मंत्री जी से कहा कि जजमेंट हमारी टेबुल पर रख दें और उन्होंने रख दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो वह भेजा जा सकता है। अगर आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है और घर जाना चाहते हैं तो मैं रोक नहीं सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव—हमारी दिलचस्पी पूरी है, लेकिन माननीय मंत्री जी भाषण कर रहे हैं हम उनके भाषण को सुनें या जजमेंट पढ़ें, दोनों चीजें एक साथ सम्भव नहीं होंगी। इस लिये प्रार्थना है कि हाउस को स्थगित कर दें।

तो फिर, श्रीमन् हम भी आपकी इस व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—१० मिनट के लिये स्थगित कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं।

(श्री चन्द्रजीत यादव भी सदन छोड़कर चले गये।)

श्री धर्मसिंह—अधिष्ठाता महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह ठीक ही है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। उधर के बैठने वाले सदस्यों को तो एक बहाना मिल गया इस बात के लिये कि यह कायदे में नहीं हुआ, वह कायदे में नहीं हुआ और वे जाने की ही इच्छा रखते थे इसलिये चले गये।

इस विधेयक के द्वारा १८९५ के गवर्नमेंट ग्रांट्स ऐक्ट में संशोधन के रूप में केवल दो ही धाराएं रखी गयी हैं।

(इस समय ४ बज कर २३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से प्रतीत होता है, श्री राम आनन्द मुराऊ और छेदी तेली, ये दो साहब जो फैजाबाद के रहने वाले हैं इस ऐक्ट को चैलेन्ज करते-करते वे हाई कोर्ट

[श्री धर्मसिंह]

में ले गये और हाई कोर्ट ने उसमें एक फैसला कर दिया । तो उसी को रेगुलराइज करने के लिये, ताकि तमाम प्रदेश के राजस्व पर बहुत बड़ा असर न पड़े, यह छोटा सा विधेयक लाया गया है । यदि सरकार इस पर ध्यान न देती और सदन के सम्मुख इसे पास न कराती तो जैसा कि उद्देश्य और कारण में कहा गया है इससे इस प्रदेश के रेवेन्यू इत्यादि पर बहुत बड़ा असर पड़ता । दूसरे जो जमींदारी इत्यादि नजूल पर दी जाती है, जो हमारा पुराना ऐक्ट १८९५ का उसके आधार पर या उसके बाद जमीनों के सम्बन्ध में इस प्रदेश की सरकार ने बहुत से कानून बनाये, उनको चैलेन्ज किया गया और अगर आप क्लाज २ को देखें तो उसमें जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रेफार्म्स ऐक्ट, १९५०, उत्तर प्रदेश अरबन एरिया जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रेफार्म्स ऐक्ट, १९५६, यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ आदि इस तरह के बहुत से कानून इस प्रदेश में पास हो गये । वे चैलेन्ज किये गये । अभी अगर सरकार किसी को जमीन देती है तो उसको यह अधिकार रहता है कि उसको बाद में वापस ले लें । अब अगर यह विधेयक पास नहीं होगा तो इसका राजस्व पर बहुत बुरा असर पड़ेगा । मुझे ज्यादा कहना नहीं है, केवल इतना ही कहना है कि यह प्रदेश के हित में है और सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करने का कष्ट करे ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं, किन्तु राज्य सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि यदि हाई कोर्ट के निर्णय का इस पर ब्रेक न लगता तो सरकार की निद्रा न टूटती । इसलिये मैं सरकार के ला डिपार्टमेंट को भी सावधान कर देना चाहता हूं । १८८२ में ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट बना था । इसके बाद १८९५ में क्राउन ऐक्ट बना था । यह क्राउन ऐक्ट इसलिये बनाया गया कि १८८२ का ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट बड़ी बाधा उपस्थित करता था, लेकिन १८९५ के बाद इधर कितने ही कानून बने और उनका प्रभाव होता था । मेरी समझ में हाईकोर्ट ने ठीक निर्णय दिया है । इधर जो कानून बने उनका कोई वर्णन क्राउन ऐक्ट में नहीं था । इसलिये राज्य सरकार को स्वयं जानना चाहिये था कि ऐक्ट १९२१, ऐक्ट १९२६ और ऐक्ट १९३९ के द्वारा जो टेनेन्ट्स को अधिकार दिये गये थे उनको क्राउन ऐक्ट से कैसे रोक सकते थे ? यह हमारी सरकार का काम था और ला डिपार्टमेंट का काम था कि वह देखें कि मार्ग में क्या क्या कांटे आते हैं ? लेकिन हमारी सरकार इसको अब लाई है, जिसको बहुत पहले ले आना चाहिये था । यद्यपि इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत थोड़ा है, लेकिन यदि यह पास नहीं हुआ तो देश को हानि उठानी पड़ेगी । इसमें कोई विशेष बात कहने की जरूरत नहीं है । मैं ला डिपार्टमेंट को सावधान करने के बाद बैठ जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Government Grants (U. P. Amendment) Bill, 1959] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या १५, १८९५ की धारा २ और ३ का संशोधन । Act IV o 1882, U. P, Act I of 1951. U. P. Act IX of 1957. U. P. Act XI of 1956. U. P. Act XVII of 1939.

२—गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ की धारा २ तथा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाय—

Certain laws not to apply to Government Grants.

"2. Nothing contained in the Transfer of Property Act, 1882, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the U. P. Tenancy Act, 1939 of any other law for the time being in force shall apply or be deemed to have ever applied to any grant or transfer of land or of any interest therein already made or to be made by, or on

behalf of, the Government to, or in favour of, any person; and every such grant or transfer shall be construed and shall take effect as if the said laws had not been enacted.

Government Grants to take effect according to their tenor.

3. All provisions, restrictions, conditions and limitations contained in any such grant or transfer shall be valid and take effect according to their tenor, anything contained in any of the laws mentioned in section 2 or any other law for the time being in force or a decree or direction of a court of law to the contrary notwithstanding."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

कुछ प्रयोजनों के लिये गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने का

विधेयक

सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन भूमियों के अनुदान तथा अन्य हस्तान्तरणों पर कुछ विधियों की प्रवृत्ति के संबंध में सन्देह किया गया है; और यह इष्टकर है कि गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करके उस सन्देह का निवारण किया जाय; ऐक्ट स १५, १८९

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Government Grants (U. P. Amendment) Bill, 1959] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Government Grants (U. P. Amendment) Bill, 1959] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-क्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री, कुमाऊं जमींदारी एबालिशन बिल आप लेना चाहते हैं ?

श्री चरणसिंह—इसमें मैं अपना प्रस्ताव तो पेश कर दूं, लेकिन आज उस पर विचार न हो, क्योंकि इसमें दो संशोधन हैं और जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं वे माननीय मित्र यहां हैं नहीं। मैं चाहता हूं कि उनको पूरी अपार्चुनिटी हो। तो मैं इसको पेश किये देता हूं और कल इस पर विचार हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—लेकिन अगर महानगरपालिका का आप लेना चाहते हैं कल पहले तो फिर बीच में इसको स्टाप नहीं करते बनेगा, अगर विचार में ले लिया जायगा तो।

(कुछ क्षण उपरान्त)

तो कल लेना चाहते हैं आप ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष—सचिव विधान सभा अब उस विधेयक की प्रतियां सदन की मेज पर रख देंगे जो कि परिषद् की तरफ से पारित होकर आया है।

सचिव विधान सभा—मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९ की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १९३–१९५ पर)

श्री अध्यक्ष—तो इसकी मैं सूचना दे देता हूं कि यह पहले ले लिया जायगा। पहला आइटम होगा कल जो कार्यक्रम होगा उसका।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९ को कल को प्राथमिकता दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—वह तो मैंने कह ही दिया। प्राथमिकता दे दी जायगी।

अब कोई और कार्य सदन के सामने नहीं है। इसलिए अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ अप्रैल, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	बन्दियों की संख्या	क्रम-संख्या	जिले का नाम	बन्दियों की संख्या
१	२	३	१	२	३
१	काश्मीर	१	३२	हरदोई	३
२	इलाहाबाद	९	३३	जौनपुर	२
३	करनाल	२	३४	झांसी	७
४	बिहार	१	३५	कानपुर	१६
५	ट्रेचरी (मद्रास) ..	१	३६	खीरी	४
६	आगरा	३	३७	लखनऊ	१७
७	अलीगढ़	१५	३८	मैनपुरी	२
८	अल्मोड़ा	४	३९	मेरठ	५
९	आजमगढ़	३	४०	मिर्जापुर	५
१०	बहराइच	५	४१	मुरादाबाद	८
११	बलिया	३	४२	मथुरा	२
१२	बांदा	३	४३	मुजफ्फरनगर ..	५
१३	बाराबंकी	८	४४	प्रतापगढ़	९
१४	बरेली	६	४५	पीलीभीत	१
१५	बस्ती	५	४६	रायबरेली	४
१६	वाराणसी	१०	४७	रामपुर	१
१७	बिजनौर	१	४८	सहारनपुर	१
१८	बदायूं	२	४९	शाहजहांपुर	५
१९	बुलन्दशहर	८	५०	सीतापुर	१०
२०	देहरादून	३	५१	सुल्तानपुर	१०
२१	देवरिया	९	५२	गढ़वाल	४
२२	एटा	७	५३	उन्नाव	५
२३	इटावा	८	५४	नैनीताल	१
२४	फतेहगढ़	२	५५	दिल्ली	१
२५	फतेहपुर	४	५६	फर्रुखाबाद	२
२६	फैजाबाद	१४	५७	फीरोजपुर	१
२७	गाजीपुर	४	५८	कलकत्ता	१
२८	गोंडा	१७	५९	एक महिला बन्दी, जो खीरी जेल में बन्द है, पागल है, जिसका पता अज्ञात है ।	
२९	गोरखपुर	१२			
३०	जोधपुर	१			
३१	हमीरपुर	३			

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२ पर)

GOVERNMENT, UNITED PROVINCES

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
BUILDINGS AND ROADS BRANCH

No. 637-EI/340—W—1926

Dated Naini Tal, November 24, 1927.

NOTIFICATION

The Jhansi Electric Licence, 1927

FOURTH ANNEXURE
MAXIMA CHARGES

Clause 1

The term "units" as used in this annexure shall be deemed to mean the energy contained in a current of one thousand amperes flowing under an electro-motive force of one volt during an hour.

Clause 2

When the licensees charge any consumer by the actual quantity of energy supplied to him at the following rates :

For any quantity up to forty units per quarter of the English calendar year—rupees twenty only.

For any quantity exceeding forty units per quarter—

(*a*) For lighting, fan and heating purposes—at the rate of annas eight per unit consumed, exclusive of meter rent of rupee one per month.

A minimum monthly charge of rupees five, exclusive of meter rent, will be made.

(*b*) For power and purposes other than those specified in 2(*a*)—at rupees ten per mensem per kilowatt connected plus three and a quarter annas per unit.

This rate shall, however, only apply to energy consumed between the hours of 1 a.m. and 5 p.m.

For energy used between the hours of 5 p.m. and 1 a.m. clause 2(*a*) will apply.

Clause 3

When the licensees measure the quantity of current contained in the supply to the consumer they shall be entitled to charge him for electrical energy according to the rates set forth in clause 2 of this annexure, the quantity of energy supplied to him being taken to be the product of the quantity of current as measured by the meter and the declared pressure at the consumer's terminals, that is to say, full constant pressure at the terminals as may be declared by the licensees under the regulations of the local Government :

Provided that when the licensees supply energy on an alternating system this method of measurement shall not apply and that in such cases the quantity of energy contained in the supply shall be measured by a suitable and approved meter only.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर ।)

सीतापुर जिले में १३६६ फसली की खरीफ की फसल को क्षति पहुंचने के कारण तहसीलवार मालगुजारी तथा लगान में छूट देने का जो प्रस्ताव है और तकावी की वसूली जो मुलतवी की गई है उसकी तालिका ।

क्रम संख्या	तहसील का नाम	प्रस्तावित छूट		तकावी जो मुलतवी की गई	
		मालगुजारी में रु०	लगान में रु०	ऐक्ट १२ के अन्तर्गत रु०	ऐक्ट १९ के अन्तर्गत रु०
		रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	सीतापुर ..	४,६२५·३६	६६७·९७	३,९९७·५०	६,०४१·९२
२	सिधौली ..	१,६५,५६७·७६	२५६·८६	१५,८८३·०४	८,७८७·४३
३	बिसवां ..	३८,१८५·४६	३·२३	२,९४,१११	८८,७९०·५६
४	मिसरिख ..	३६,२२१·११	.	३२,६८३·०१	४२,६७८
	योग ..	२,४४,५९९·६९	९२८·०६	३,४६,६७४·५५	१,४६,२९७·९१

नत्थि 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर)

गांव सभाओं के नाम जिनको १९५७-५८ में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया गया तथा उनके द्वारा वसूल की गई धनराशि

क्रम-संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसे मालगुजारी वसूली का अधिकार दिया गया	गांव सभा द्वारा वसूल की गई धनराशि
१	२	३
		रु० न० पै०
१	परमानन्दपुर	२१९·२५
२	पचवर	६१·४२
३	कुशरमा	५५५·५०
४	अजोरपुर	२०३·२६
५	गद्दोपुर	४·००
६	दशरथपुर	१८०·३५
७	मनई	२२·९४
८	पट्टी	८·८७
९	परेवा	..
१०	काजीहद	१४९·७९
११	सुदनीपुर	१२७·७८
१२	धनहापुर	..
१३	सुरतासापुर	११८.३२

विधान सभा सचिवालय

गांव सभाओं के नाम जिनको १९५८–५९ में माल गुजारी वसूल करने का अधिकार दिया गया तथा उनके द्वारा वसूल की गई धनराशि

क्रम-संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसे मालगुजारी वसूली का अधिकार दिया गया	गांव सभा द्वारा वसूल की गई धनराशि
१	२	३
		रु० न० पै०
१	परमानन्दपुर	७९९·२९
२	कुशरना	६१·३१
३	अजोरपुर	२३५·०७
४	पचवर	—
५	मुरतजाबाद	—
६	धरांव	२७१·३८
७	लकठेपुर	—
८	सिधवन	५·८१
९	पपरावन	३२२·९४
१०	खुइरी	३१६·९७
११	कांधपुर	६४·६१
१२	पाली निगोह	४५७·४१
१३	सुदनीपुर	११९·६०
१४	महमूदपुर	१०९·४३
१५	कट्टोपुर	२७७·५२
१६	कौवापार	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर)

क्रम-संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसल को हानि (आनों में)
१	२	३	४	५
१	देहरादून ..	--	१	५ आने से कम ।
२	बुलन्दशहर ..	अनूपशहर,	९	१ आने से २ आने तक ।
		खुर्जा	८७ में ३४ में हानि नहीं के बराबर है।	
			४४ ग्रामों में	८ आने से कम है ।
			९ ग्रामों में	८ आने से कुछ अधिक ।
३	मथुरा ..	--	३८	१ आने से २ आने तक ।
४	आगरा ..	किरावली	२४	२ आने से ३ आने तक ।
५	मैनपुरी ..	--	४२	२ आने से कम ।
६	एटा ..	तहसील कासगंज	४२	२ आने से ३ आने प्रति रुपया ।
		अलीगंज	६	२ आने से ३ आने ।
७	बरेली ..	--	--	१० आने प्रति रुपया केवल अरहर को ।
८	शाहजहांपुर ..	पौवाया	७	१० आने से १४ आने ।
		तिलहर	४	६ आने प्रति रुपया ।
९	फर्रुखाबाद ..	कन्नौज	७	१ आने से २ आने तक ।
१०	कानपुर ..	देरापुर	३९	२ आने से १६ आने प्रति रुपया ।
११	फतेहपुर ..	खागा	६	१ आने के करीब ।
१२	हमीरपुर ..	मौदहा	११	८ आने से १४ आने ।
		महोबा	३	८ आने से १० आने ।
		चरखारी	५६	६ आने से ८ आने ।
१३	झांसी ..	झांसी	४०	२०० ग्रामों में ६ आने से कम, १ गांव में ६ आने से ८ आने तक तथा ३१ ग्रामों में ८ आना या ज्यादा प्रति रुपया ।
		मऊ	४५	
		गरौठा	१७	
		मोठ	२२	
		ललितपुर	१७	
		महरौनी	६०	
१४	जालौन ..	--	परगना जालौन के २ ग्रामों में	१ आना से २ आने तक ।
१५	वाराणसी ..	वाराणसी	६	८ आने से ११ आने ।
		चन्दौली	९८ में से	
			६९ में	६ आने से कम ।
			७ में	६ आने से ८ आने ।
			२२ में	१२ आने से १६ आने ।

क्रम-संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	फसल को हानि (आनों में)
१	२	३	४	५
		चकिया	२०२	२ आने से ४ आने ।
		ज्ञानपुर	४९	५ आने प्रति रुपया ।
१६	मिर्जापुर ..	चुनार	२६४	१ आने से ६ आने ।
१७	जौनपुर ..	--	७५	गेहूं, चना, अरहर था आलू को १ आत से ३ आने तक ने मटर व जौ को ६ आने से ८ आने तक ।
१८	गाजीपुर ..	गाजीपुर सैदपुर मोहम्मदाबाद	२,०००	मटर १२ आने से १६ आने तथा चना १२ आने प्रति रुपया। ५०० ग्रामों में ज्यादा हानि हुई जिसका अनुमान १२ आने से १६ आने है ।
१९	बलिया ..	--	६	१ आना के लग भग ।
२०	गोरखपुर ..	बासगांव	--	१ आना से २ आने तक।
२१	बस्ती ..	खलीलाबाद	१४	१ आना से कम ।
२२	आजमगढ़ ..	--	१,३९५	१ आना से १५ आने ।
२३	नैनीताल ..	रामनगर	२६	७ आना या ७ आने से कम ।
२४	उन्नाव ..	--	१०	१ आने से ३ आने (पछुआ हवाओं द्वारा)।
२५	सीतापुर ..	--	३४	२ आने से ४ आने ।
२६	खीरी ..	लखीमपुर खैरागढ़	५ ४	२ आने से ६ आने । १ आने से कम।
२७	फैजाबाद ..	अकबरपुर	११	गेहूं १० आने प्रति रुपया, जौ १० आने मटर १२ आने चना ८ आने प्रति रुपया।
२८	गोंडा ..	--	९	२ आने से ४ आने ।
२९	बहराइच ..	बाह नानपारा कैसरगंज	१४ ४ १४	४ आने प्रति रुपया से कम ।
३०	सुल्तानपुर ..	अमेठी	--	१ आना से २ आने ।
३१	प्रतापगढ़ ..	--	६२	१ आना से २ आने ।
३२	बाराबंकी ..	हैदरगढ़	८	२ आने से ५ आने ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर)

इन भूचाल के धक्कों से पट्टी तल्ला दानपुर के ६ गांवों में कुछ मकान पूर्णतः या अंशतः गिर गये हैं । हानि का अनुमान लगभग ६,००० रु० है ।

इसके अतिरिक्त पट्टी तल्ला तिखून, परगना खानपुर के खटिगांव, बच्चम,सोरंग, करमी, खाटी, वरिया कोट तथा कलिवारा आदि गांवों में भी हानि की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तथा वारा मंडल परगना में वृन्दारी रूट पर कुछ गांवों में भी हानि हुई है ।

पट्टी भल्ला दानपुर के गांव नरसल पटियासार में भूचाल के कारण पहाड़ से एक चट्टान खिसक पड़ी और उससे एक पनचक्की नष्ट हो गई तथा वहां के तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

सरकारी इमारतों में कपकोट में स्थित एलोपैथिक डिस्पेंसरी तथा पशु चिकित्सालय की इमारतों को काफी क्षति पहुंची है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

क्र०-संख्या	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या		
		रेगुलर	वर्कचार्जड	योग
१	अधिशासी अभियन्ता	१	--	१
२	सहायक अभियन्ता	८	--	८
३	ओवरसियर	३०	--	३०
४	सुपरवाइजर	८	--	८
५	डिप्टी रेवेन्यू आफिसर	१	--	१
६	एकाउन्टेन्ट	१	--	१
७	असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट	१	--	१
८	ड्राफ्टसमैन	१	--	१
९	असिस्टेन्ट ड्राफ्टसमैन	१	--	१
१०	ट्रेसर	२	--	२
११	हेड क्लर्क	१	--	१
१२	क्लर्क	२१	--	२१
१३	जिलेदार	२	--	२
१४	अमीन	१७	--	१७
१५	पतरौल	२०	--	२०
१६	ट्यूबवेल आपरेटर	२७७	३	२८०
१७	टिन्डल	६	--	६
१८	बेलदार	१२	९	२१
१९	चौकीदार	३	२६	२९
२०	मेट	३५	--	३५
२१	हेड मुन्शी तथा मुन्शी	७	--	७
२२	बरकन्दाज	२१	--	२१
२३	गाज रीडर	३	१९	२२
२४	साइन्टिफिक असिस्टेन्ट	४	--	४
२५	माडल असिस्टेन्ट	४	--	४
२६	लेबोरेटरी असिस्टेण्ट	४	२	६
२७	रनर	२८	--	२८
२८	वफेदार	७	--	७
२९	चपरासी	१०	--	१०
३०	किलिन मुन्शी	--	१	१
३१	क्लीनर	--	६	६
३२	बोरर	--	२	२
३३	मेसन मिस्त्री	--	२	२
३४	मेकेनिक	--	४	४
३५	स्टोर कीपर	--	१	१
३६	भंगी	२	१	३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या		
		रेगुलर	वर्कचार्ज्ड	योग
३७	बोट मैन	--	४	४
३८	ड्राइवर	--	३	३
३९	वर्क एजेन्ट		४	४
४०	पम्प ड्राइवर	--	१	१
४१	हेल्पर	--	५	५
४२	ट्रैक्टर आपरेटर	--	१	१
४३	वर्क सुपरवाइजर	--	१	१
४४	मिस्त्री	३४	--	३४
४५	ट्राली मैन	४	--	४
४६	वाटर मैन	१	--	१
	योग ..			६७२

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२० पर)

प्रश्न संख्या १७३ से संबंधित सूची

गढ़वाल जिले में भूचाल से हुई क्षति का विवरण

ग्राम गूम के २३ मकानात की ५ रु० से लेकर १०० रु० तक की क्षति हुई।
" ९ मकानात की १०५ रु० से २८० रु० तक की क्षति हुई।
" ७ मकानात की २०५ रु० से ५०० रु० तक की क्षति हुई।
" ४ मकानात की ६०० रु० से ८०० रु० तक की क्षति हुई।
" १ मकान की १,००० रु० की क्षति हुई।
" १ मकान की १,२०० रु० की क्षति हुई।

ग्राम खंड बीचला ढांगू के	१	मकान की	८०० रु० की क्षति हुई।
ग्राम रनेथ मला ढांगू के	१	"	२०० रु० की क्षति हुई।
ग्राम खेनड़ी मला ढांगू के	१	"	४०० रु० की क्षति हुई।
ग्राम कठूड मला ढांगू के	१	"	१०० रु० की क्षति हुई।
सर मला उदयपुर के	१	"	२,००० रु० की क्षति हुई।

उत्तराखण्ड पदेश्वर सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर के ग्रामों की सूची जिनमें से से होकर मड़ियाहूं जल–शाखा जाती है

(१) भीलमपुर
(२) नाहरमाऊ
(३) पूरे चाक नारायण
(४) परहुवा
(५) अरजा नाहरमाऊ
(६) सराय चेतन
(७) अजहा
(८) पूरे हरनारायण
(९) काटहओं
(१०) जमालपटी
(११) मटियाही
(१२) डोमपुर
(१३) पूरा प्रताप हाह
(१४) कड़माओं
(१५) भुरेपुर
(१६) सराय खानी
(१७) दाऊदपुर
(१८) अनजो
(१९) उमरपुर
(२०) वहारपुर
(२१) ऊंच गांव
(२२) कोहानी
(२३) राया
(२४) गोपालपुर
(२५) बरना
(२६) खरसवां
(२७) कुरांव
(२८) राजेपुर
(२९) करीरा
(३०) सलारपुर
(३१) अमेंपुर
(३२) चौबेपुर
(३३) भिखारीपुर
(३४) अरहनपुर
(३५) कनढ़ापुर
(३६) चकनवाबाद
(३७) बारी
(३८) रामपुर
(३९) चकिनघिस
(४०) इसमयला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या १८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२३ पर)

"सूची"

नाम	पता
१—श्री जगन्नाथ लाल ..	.. ग्राम दाऊदपुर, तहसील अकबरपुर
२—राम कुमार ..	.. ,, भगवानपुर ,, ,,
३—भुलेश्वर ..	.. ,, रुकनुद्दीनपुर ,, ,,
४—कमल नयन ..	.. ,, सलाहपुर ,, ,,
५—जयदेव सिंह ..	.. ,, जाफरगंज ,, ,,
६—राम चैत ..	.. ,, भदोई ,, ,,
७—राम किशोर ..	.. ,, बड़ा गांव ,, ,,
८—मुसाफिर सिंह ..	.. ,, उमरी जलाल, तहसील टाण्डा
९—राम सरन ..	.. ,, सिसवा
१०—बंस राज ..	.. ,, सहालपुर, तहसील अकबरपुर
११—अमीर हसन ..	.. ,, सिकोहर
१२—हजारी लाल ..	.. ,, खजावा
१३—राम निबल ..	.. ,, परस कटवी
१४—रामअचल ..	.. ,, शेखपुर
१५—फणेश दत्त ..	.. ,, अशरफपुर मजगंवा
१६—राम चन्द्र ..	.. ,, हरया, तहसील टाण्डा

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न २०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

महिला मंगल योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में सन् १९५६ से ३० नवम्बर, १९५८ तक निम्नलिखित कार्य किये गये

३,९३९ बच्चों और २,००९ महिलाओं को शिक्षा दी गई । २,१६४ महिलाओं ने हस्तकला में भाग लेकर २,२७९ वस्तुओं का निर्माण किया, २,४८२ रोगियों को औषधि दी गई । ३७९ चर्खे तथा तकली के प्रदर्शन द्वारा २,१५१ लच्छे सूत प्रस्तुत किया गया । १,३७० बच्चों ने शारीरिक शिक्षा तथा ३,१४६ महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया । २६५ गृह उद्यान बनाये गये । इसके अतिरिक्त १९५६–५७ में गतिशील महिला शिविर आयोजित किये गये जिनमें १५० महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कटाई आदि विषयों में शिक्षा दी गई ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७८ पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में संशोधन किया जाय ; — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

अतएव, भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "तदर्थ निश्चित करें" और कोलन के बीच में शब्द "और विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं" रख दिये जायं । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में — — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (२३) में शब्द "इंडियन" निकाल दिया जाय, और

(२) खंड (५७) में "इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट, १८९९" के स्थान पर "पेट्रोलियम ऐक्ट, १९३४" रख दिया जाय ।

४—मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा २५ का संशोधन

"(क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिये कारावास का दंड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हो ।"

५—मूल अधिनियम की धारा १०७ की उपधारा (४) के प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १०७ का संशोधन

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के संबंध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनाई जायगी उसमें मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो, सभापति के

रुप में होंगे तथा महापालिका के दो और पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी समिति नामोदिष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होंगे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १२६ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १२६ की उपधारा (१) में:—

(१) शब्द "नियत दिनांक से" के पश्चात् शब्द "तथा राज्य सरकार के किन्हीं तदर्थ निदेशों के अधीन रहते हुए" रख दिये जायं;

(२) खंड (क) में शब्द "जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे" निकाल दिये जायं; तथा

(३) खंड (ख) में शब्द "प्राधिकारी के" तथा शब्द "समस्त" के बीच में शब्द "नगर (city) में सम्मिलित क्षेत्र के संबंध में" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ४०४ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ४०४ के प्रतिबन्धात्मक खंड में "इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९११" के स्थान पर "फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८" रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ५८० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ५८० की उपधारा (१) में शब्द "नियत दिन के पश्चात् १२ महीनों तक" के स्थान पर शब्द "उस अवधि में जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय किन्तु जो इस धारा के प्रवर्तित होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के आगे तक न हो" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ५८१ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ५८१ में अंक "१९४८" के पश्चात् एक कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द "तथा" के पहले "यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, १९५३" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की अनुसूची २ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम के संलग्न अनुसूची २ के पैरा १० के उप-पैरा (२) की संख्या बदल कर (३) कर दी जाय और निम्नलिखित को उप-पैरा (२) के रूप में रख दिया जाय:—

"(२) उक्त ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (२) के अन्त के पूर्ण विराम को कोलन में परिवर्तित समझा जाय तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया गया समझा जाय:

"Provided that this sub-section shall not apply to any land acquired under Chapter XIV of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, except—

(*a*) land acquired under sub-section (4) of section 348 of that Adhiniyam, and

(*b*) buildings in the actual occupation of the owner or occupied free of rent by a relative of the owner, and land appurtenant thereto, and

(*c*) gardens not let to tenants but used by the owners, as a place of resort."

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के, जिसे २४ जनवरी, १९५९ ई० के असाधारण गजट में विज्ञापित किया गया था, इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य उक्त अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (१) के खंड (क) की कठोरता को दूर करना है। वर्तमान उपबन्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी पाया गया हो और उसे ६ महीने से अन्यून अवधि के लिये कारावास का दंड दिया गया हो तो वह पांच वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचन से विवर्जित हो जाता है। यह उपबंध कुछ कड़ा है और उक्त विधेयक के पारित होने के समय विधान परिषद् में उसकी आलोचना भी की गई थी। तत्पश्चात् सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि इस उपबन्ध का परिष्कार किया जाय और कारावास की सीमा बढ़ा कर तथा अनर्हता घटाकर अर्थात दोनों प्रकार से उसे रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल्स ऐक्ट के उपबन्धों के अनुरूप कर दिया जाय।

२—इस अवसर पर कुछ अन्य संशोधन भी कर दिये गये हैं, जो या तो औपचारिक हैं या अविवादास्पद हैं।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वशासन मंत्री।

विधान परिषद सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२२ एल० ए०—१९५९—८४५।